मूल्य 30/-
मई, 2017

अब निर्वाचन आयोग में सुधार की बारी

अमित शाह के स्वर्णकाल की कल्पना!

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह संवाद की राह

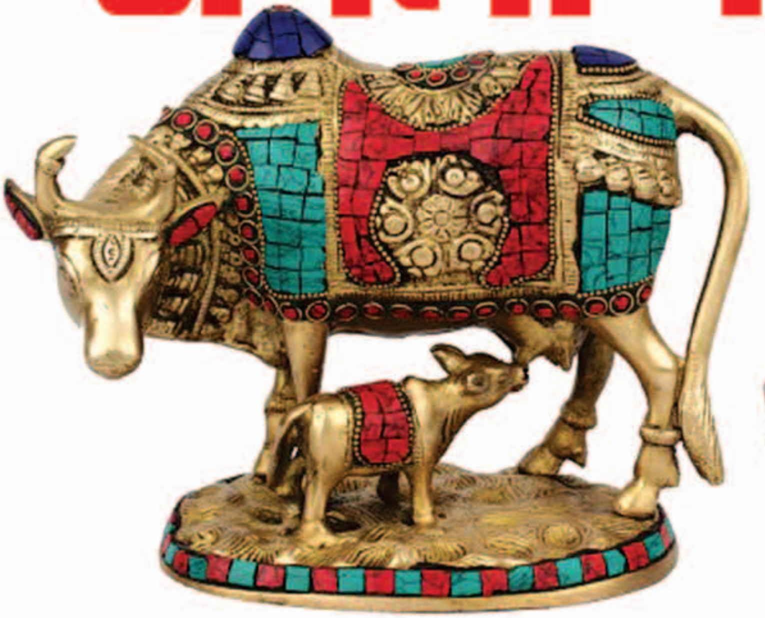

अर्थचिंतन - गौधन बनाम डॉलर

योगी राज

तूफानी रफ्तार सुशासन की बहार

Career Magazine
DIALOGUEINDIA
... Dialogue for Change in Education

Portal for Current News & Analysis :
www.dialogueindia.in

Invitation

3rd DIALOGUEINDIA Academia Conclave 2017

राजनीतिक पत्रिका
डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की चाह - संवाद की राह

Portal for Career & Competition
www.dialogueindiaacademia.com

In association with Industrial Design Section

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
Indian Institute of Technology Delhi

Conclave Media Partner

अमर उजाला
हर सवेरे नया जोश नया उजाला

" WAKE UP INDIA for Reform & Transformation in Higher Education"

& Exhibition on Innovative Design (Entry Open for All)

on June 24,2017 from 10 am to 6 pm. LHC-121, Lecture Hall complex, IIT Delhi campus, Delhi

Schedule of REGIONAL CONCLAVE & AWARD FUNCTION

Delhi

(Invitee institution from - • West and central India - Rajasthan , MP,Chattisgarh, Gujrat, Maharastra, Goa, • South India - Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamilnadu, Kerala • all India ranking holder institution)
Award distribution ceramony with cultural program nearby five star hotel from IIT Delhi followed by cultural program and dinner from 7 pm onward on June 24, 2017 : 7.00 pm to 11.00 pm

Lucknow

on May 20, 2017 from 10 am to 5.00 pm.
HOTEL CLARKS AVADH
8, M.G.Marg, Hazratganj, Lucknow
(Invitee institution from North & NE Region - Uttar Pradesh, Uttrakhand, Bihar, Jharkhand, West Bengal , Odissa, Assam and other NE state)

8th DIALOGUE INDIA National Ranking (For Private Higher Education Institutions in India) 2017

5th DIALOGUE INDIA Academia Awards (For Private Higher Education Institutions in India) 2017

Chandigarh

on June 3, 2017 from 10 am to 5.00 pm.
J W Marriott Hotel,
Plot No.6, Sector 35-B, Dakshin Marg, Chandigarh
(Invitee institution from Punjab, Haryana, HP,and J& K)

AWARD CATEGORIES : Top Private Universities of India • Top Private Medical Colleges of India • Top Private Dental Colleges of India • Top Private Engineering Colleges of India • Top Private Management Colleges of India • Top Colleges of all categories on Infrastructure / Placement / Innovation / Upcoming wise • Best V.C. / Director /Principal of Universities / Institutes / Colleges of India • Best Engineering Colleges : State/Zone/National wise • Best Management Colleges : State/Zone/National wise • Editor Choice Education Excellency Award

Electronic Media Partner
OPENकोर्ट

For Business Enquiry Please Contact
dialogueindia.in@gmail.com
08860787583

LIVE TELECAST ON
SADHNA PLUS NEWS

OUR ASSOCIATES

CONSORTIUM FOR INNOVATION
Career Plus
Design Council
ENGINEERS ZONE IES GATE PSUs

विषय सूची

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की चाह संवाद की राह
मई, 2017

06
अब निर्वाचन आयोग में सुधार की बारी

12
तूफानी रफ्तार - सुशासन की बहार

23
अर्थचिंतन : गौधन बनाम डॉलर

32
अमित शाह के स्वर्णकाल की कल्पना!

39
ममता बनर्जी, मौलवियों के कब्जे में

42
नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न

46
यहां कौन है सुनने वाला स्वच्छाग्रह का सच ?

52
जीएसटी को संसद की मंजूरी

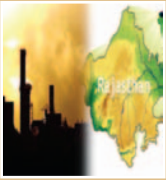
21
बनेगी रिफाइनरी बदलेगी सूरत

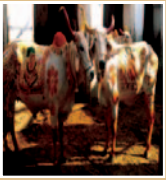
30
आस्था बचाने से रुकेगा गोवंश का कत्ल

36
सबको सन्मति दे भगवान!

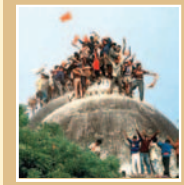
37
अयोध्या : आडवाणी, जोशी और उमा भारती पर चलेगा मुकदमा

41
मुद्दे की बात करो, बकवास न करो चीन

50
नियति एवं कर्मों का फल देने वाला न्याय प्रिय ग्रह

56
हम झारखण्ड की संस्कृति को देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं - अमर दावरी

58
सेवा के नाम पर चंदा, धर्मान्तरण धंधा

हमारे बारे में

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह संवाद की राह

वर्ष- 8 **अंक- 9**

संपादक
अनुज कुमार अग्रवाल

प्रबंध संपादक
डॉ. सारिका अग्रवाल

विशिष्ट संपादक
अभिषेक गुप्ता

विशेष संवाददाता
शरीफ भारती, आर.एन. द्विवेदी,
अमित त्यागी, डॉ विजय अग्रवाल

उप संपादक
सोनाली मिश्र

मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)
विजय कुमार

जन सम्पर्क अधिकारी
पंकज कुशवाहा, निशांत पांडेय

ब्यूरोचीफ
उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह
मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया
हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश - नवीन कांगो
राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे
उत्तराखंड - रूपक प्रजापति एवं राजेश गुप्ता
उड़ीसा - अश्विनी जैना
दिल्ली - जितेन्द्र तिवारी
महाराष्ट्र - तेजेन्द्र सिंह

डिजाइन एवं ग्राफिक्स
विकास, मनीष, दीपक

मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39
अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स
मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन : 011-27652829, 08860787583
फैक्स : 011-27654588
ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in
dialogueindia.in@gmail.com
ई-पत्रिका : **www.dialogueindia.in**

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा स्टेलेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित

मई, 2017 माह के लिए प्रकाशित

- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

प्रतिक्रियाएं

श्री थावरचंद गहलोत जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार के साथ उनके संसद भवन स्थित कार्यालय मे अभिषेक गुप्ता, विशिष्ट संपादक डायलॉग इंडिया और श्री अक्षय बंसल जी ने भेंट की।

6 अप्रैल 2017 को पूर्णियाँ (बिहार) के जद (यू) से लोक सभा के सदस्य संतोष कुमार ने पूर्णियाँ एवं सीमांचल क्षेत्र के सर्वागींण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्णियाँ के हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सीमांचल की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। सांसद, संतोष कुमार ने पूर्णियाँ मे एआईआईएमएस की शाखा की स्थापना, कुर्सेला से बिहारीगंज रेलखंड के अमान परिवर्तन का कार्य, सीमांचल क्षेत्र के कृषकों के हित में मक्का एवं आलू फसलों का उचित समर्थन मूल्य की व्यवस्था,पूर्णियाँ से हवाई सेवा अविलंब शुरू करने की व्यवस्था और पूर्णियाँ को स्मार्ट सिटी मे शामिल करने की मांग किया ।

हाल ही सुर्खियों में आये प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) शिव सेना से लोक सभा के सदस्य से मुलाकात करते हमारे विशिष्ट संपादक अभिषेक गुप्ता।

अब बात कायापलट की

जाति, पंथ ,भाषा के टूटते बंधनों के बीच नये भारत का उदय हो चुका है। वैदिक संस्कृति और गाय का महत्व अब चर्चा और बहस का बिषय है। गाय जो वैदिक संस्कृति का आधार थी, की महत्ता पुनर्स्थापित होने की चर्चाओं के बीच भारत के प्राचीन गौरव, ज्ञान और वैश्विक मान को पुनर्स्थापित करने की मांग मुख्यधारा में आ चुकी है।

लो अब दिल्ली भी मोदीमय हो गयी। उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल के बारे में भी राजनीतिक विश्लेषको के यही अनुमान हें कि यहाँ भी भगवा लहर आनी ही है। तमिलनाडु, केरल और बिहार के लिए भी भगवा खेमा इन्हीं कोशिशो में है। मोदी की नीतियों और व्यक्तित्व के प्रति जनता की दीवानगी अब जूनन में बदलती जा रही है। विमुद्रिकरण और जी एस टी लागू करवाना मोदी सरकार के बड़े आर्थिक फैसले थे जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। किंतु मोदी जनता में इसलिए अधिक लोकप्रिय हुए क्योंकि उन्होंने देशी संस्कृति को प्रतिष्ठित किया और दूर देशों में भी उसके मान की स्थापित किया। एक और बड़ी बात उन्होंने देश में टोपी पहनाने यानि छल कपट और बिचौलिया संस्कृति पर लगाम कसी। उन्होंने हर वो रास्ता बंद कर दिया जिससे गरीब और मध्यम वर्ग लुटा जाता रहा। हालांकि देश की आयात संस्कृति पर वो लगाम नहीँ लगा पाए किंतु घोटाला और लूट संस्कृति को काबू कर लिया है। अब जबकि शॉर्टकट से माल कमाने में लगे एक बड़े वर्ग को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है तो अब मजबूर होकर वह रचनात्मक तरीके से और मेहनत कर काम करने पर मजबूर होता जा रहा है। अब यही वर्ग देश में नई औधोगिक क्रांति के ड्राइविंग फ़ोर्स बनेंगे और आयातित माल पर क्रमश: अंकुश लगता जाएगा।

लोगों की अपेक्षाओं पर मोदी बार बार खरे उतरे हैं और हाल ही के उत्तर प्रदेश के चुनावो की जीत और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ पर लगाया गया उनका दांव भी ऐसा सटीक बैठा कि विपक्षियों के होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी के सुशासन के स्वाद का योगी आदित्यनाथ की जनहित में ताबड़तोड़ फैसले लेने की रणनीति ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में दिलाया। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में आए क्रांतिकारी कदम और सुशासन की बहार से आमजन आनन्दित हैं। भ्रष्ट, कपटी और धूर्त लोगों पर जितनी तेजी से गाज गिर रही है उससे पूरे देश में लंबे समय बाद अत्यंत सकारात्मक माहौल बना है। अब हिंदुत्व की बात सम्मान से की जाने लगी है और स्वयं को हिंदू या भारतीय कहना विवादित नही वरन गौरव की बात बन चुकी है। जाति, पंथ ,भाषा के टूटते बंधनों के बीच नये भारत का उदय हो चुका है। वैदिक संस्कृति और गाय का महत्व अब चर्चा और बहस का बिषय है। गाय जो वैदिक संस्कृति का आधार थी, की महत्ता पुनर्स्थापित होने की चर्चाओं के बीच भारत के प्राचीन गौरव, ज्ञान और वैश्विक मान को पुनर्स्थापित करने की मांग मुख्यधारा में आ चुकी है। गौ, ग्राम, गंगा, हमारे मान बिंदु, सांस्कृतिक प्रतीकों और भाषा के सम्मान के लिए नए उपक्रमो के बीच ब्रिटिश संस्कृति, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजो द्वारा थोपा गया संविधान, न्याय प्रणाली, नोकरशाही, शिक्षा और स्वास्थ्य तंत्र और बाज़ार का लूटतंत्र सबके प्रति जनता में आक्रोश और नकारात्मकता के भाव भरते जा रहे हैं। भारत का जनमानस अब सुलग रहा है और अपने मौलिक स्वरुप में राजव्यवस्था की वापसी चाहता है। वह फिर से ज्ञान परंपरा वाली पीढ़ी और आध्यात्म, योग आधारित जीवन शैली की और बढ़ना चाह रहा है। मोदी सरकार इन जन अपेक्षाओ को समझ रही है और निरंतर बदलाव और सुशासन के एजेंडे को बढ़ा रही है। किंतु जनता की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं कही ज्यादा हैं। लोग देश का कायापलट चाहते हैं और पुन: वैभवशाली भारत की कल्पना करने लगे हैं किंतु इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार और समाज को जो उपाय करने हैं वे खासे कम हैं। सच तो यह है कि सरकार और समाज दोनों कई मुद्दों पर दिग्भ्रमित हैं। पश्चिमी जीवन शैली को छोड़ पुन: भारतीय जीवन शैली अपनाने के बीच समाज गहरे अंतर्द्वंद से गुजर रहा है और सरकार भी। डॉलर-पौंड अर्थव्यवस्था को पीछे कर पुन: गाय आधारित अर्थव्यवस्था या उस जैसे मापदंड वाला जीवनतंत्र विकसित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है वो भी तब जबकि अधिकाँश संवैधानिक संस्थाएं और हमारी न्यायपालिका,नौकरशाही के साथ ही कॉरपोरेट जगत व मीडिया भी विदेशी नीतियों और पद्धतियों से निर्देशित होते है, जिनका आम भारतीय से कोई सरोकार नहीँ होता। अगर मोदी बड़े बदलाव करते हैं तो बड़े द्वन्द और संघर्षो से गुजरना होगा। अपनी रॉबिनहुड वाली छवि से मोदी ने जनता पर तो पकड़ मजबूत कर ली है किंतु लाख कड़ाई और निर्देशों के बाद भी तंत्र पूरी तरह काबू में नहीँ आ पाया है। भ्रष्ट सरकारी अमले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही से वे बचते रहे हैं जिस कारण उनकी नीतियों को जमीन तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। साफ़ छवि की बदौलत कुछ समय तक तो वोटर जुड़ा रह सकता है किंतु जमीनी परिणामो के अभाव में कुछ समय बाद हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए बड़ी मछलियों पर वास्तविक कार्यवाही से जब तक डर का माहौल नही बनेगा तंत्र काबू में नही आ पायेगा। अत: इस दिशा में गहराई से सोचें मोदी जी और उनके मंत्री व मुख्यमंत्री।

अनुज अग्रवाल
संपादक

● अरुण तिवारी

अब निर्वाचन आयोग में सुधार की बारी

आज़ाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ था। किंतु भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों का एहसास जनता को पहली बार तब हुआ, जब 1990 में टी. एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। इसके बाद से निर्वाचन आयोग ने हर चुनाव में अपने को बेहतर करने की कोशिश की; बावजूद इसके हर चुनाव ने साबित किया कि निर्वाचन आयोग में सुधार की गुजांइश अभी काफी है। बीते चुनाव के बाद उपजी अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा यह भी है।

एक चरण में मतदान करा पाने में अक्षम

बीते चुनाव ने बताया कि कई चरण में चुनाव होने से न सिर्फ मतदान प्रभावित होता है, बल्कि दलों, उम्मीदवारों और खुद निर्वाचन आयोग का चुनाव खर्च बढ़ जाता है। चुनाव प्रक्रि या की लंबी अवधि के लंबे समय के लिए शासन में सब कुछ ठप्प पड़ जाना, तीसरा नुकसान है। इस दौरान मीडिया में भी बस चुनाव का ही शोर रहता है। तात्कालिक महत्व के कई मुद्दे चर्चा से गायब हो जाते हैं। जाहिर है कि भारत के निर्वाचन आयोग को अपनी क्षमता के इतने विस्तार की ज़रूरत है कि वह एक चरण में चुनाव संपन्न करा सके।

दोषपूर्ण मतदाता सूची

मतदाताओं के नाम, पिता/पति का नाम तथा उम्र दर्ज होने में गलती न हो; निर्वाचन आयोग आज तक यह गारंटी नहीं दे पाया। मतदाता सूचियों के दोषपूर्ण होने की बात भी हर बार सामने आती है। कभी मौजूद मतदाता का नाम मतदाता सूची से कटा मिलता है, तो कभी जो मृत है अथवा वहां रहता ही नहीं, उसका नाम मतदाता सूची में मिलता है। वाराणसी में तो विश्वनाथ मंदिर के महंत और स्वयं मेयर की पत्नी का नाम मतदाता सूची से गायब मिला। एक सर्वेक्षण के मुताबिक, करीब 15 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने पैतृक और शहरी निवास दोनो जगह अपने नाम लिखा रखे हैं। नाम काटने-जोड़ने में भी स्थानीय दबंगों की भूमिका देखी आई है। सूची में नाम काटने और जोड़ने की प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने के कारण यह संभव हो पाता है। इसमें सुधार कब होगा ?

मतदान के गलत आंकड़े

निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की ज़रूरत बताता सबसे गंभीर व ताजा मामला उत्तराखण्ड से आया। उत्तराखण्ड में 15 फरवरी को मतदान हुआ। मतदान के पश्चात् 15 फरवरी को ही उत्तराखण्ड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राधा रतूड़ी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होने 68 प्रतिशत मतदान का आंकड़ा पेश किया। पूरे आंकड़े आने पर विभाग ने 70 फीसदी मतदान की उम्मीद जताई। हफ्ते भर बाद राज्य निर्वाचन विभाग ने 65.64 प्रतिशत मतदान के आंकड़े पेश किए। अंतर सिर्फ कुल मतदान प्रतिशत में नहीं मिला, उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी ज़िले में 73 की बजाय 68.95 प्रतिशत, टिहरी ज़िले में 60 की बजाय 55.40 प्रतिशत, पौड़ी ज़िले में 60 की बजाय 54.95 प्रतिशत तथा देहरादून में 67 की बजाय 63.45 प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा सामने आया। वोट प्रतिशतों में आया यह अंतर कोई पहली बार नहीं है। पिछले चुनावों के दौरान उत्तराखण्ड और उत्तर-प्रदेश में हुए कुल मतदान और घोषित परिणाम में शामिल कुल मतों में अंतर पाया गया था। गाजियाबाद के नीरज सक्सेना और संजीव गुप्ता द्वारा यह बात चुनाव आयोग के संज्ञान में लाने के बाद केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने संबंधित आंकड़ों को अपनी वेबसाइट से हटाकर अपना दोष छिपाने की कोशिश की थी। इस बार केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाने की बात की; किंतु इस प्रकरण से स्पष्ट है कि मामला सख्ती से ज्यादा, सुधार का है।

ईवीएम शंका का प्रमाणिक समाधान ज़रूरी

उक्त प्रकरण के बाद यह शंका उठनी स्वाभाविक है कि गड़बड़ी व्यापक है; या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में अथवा निर्वाचन में लगी टीमों में। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव में भी ईवीएम के जरिये धांधली की शिकायत की गई थी। ईवीएम को लेकर बसपा ने भी अदालत में जाने की बात कही। दिल्ली नगर निगम चुनावों को मतपत्रों के

जरिए कराने की आम आदमी पार्टी की मांग को दिल्ली उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया । ईवीएम पर उठने वाली इन उंगलियों को आप हारे हुए की खीज जरूर कह सकते हैं, लेकिन भूलने की बात नहीं कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया था। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ईवीएम के खिलाफ क़ानूनी लड़ाई लड़ी थी और भाजपा प्रवक्ता श्री जीवीएल नरसिंह राव ने ईवीएम को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए बाकायदा एक किताब लिखी थी। श्री किरीट सोमैया तथा महाराष्ट्र के वर्तमान मु2यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़नवीस स्वयं 2010 के ईवीएम विरोधी आंदोलन में शामिल रहे हैं। मतलब यह कि हार होने पर खुद भाजपा ने भी ईवीएम पर सवाल उठाये हैं।

ईवीएम विरोधी आंदोलन के वक्त अमेरिका के मिशीगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भी भारत में प्रयोग की जा रही वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ की संभावना जताई थी। शोधकर्ता ने घर पर बनाई एक मशीन तथा मोबाइल के जरिये ईवीएम में दर्ज नतीजों को बदलकर दिखाया था। 2010 के ईवीएम विरोधी आंदोलन के दौरान हैदराबाद के इंजीनियर हरिप्रसाद ने भी बाकायदा प्रदर्शन कर यह दर्शाया था। छेड़छाड़ की संभावना को सिद्व करता एक वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया पर देखा गया है। तकनीकी जानकारों के मुताबिक, जरूरी नहीं है कि इस धांधली में निर्वाचन आयोग शामिल हो। वोटिंग मशीन आपूर्ति करने वाली कंपनियों की मिलीभगत से भी छेड़छाड़ को व्यापक पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है।

पूर्व चुनाव आयुक्त श्री एस. वाई. कुरेशी ने इस संभावना को सिरे से खारिज किया है। उन्होने लिखा है कि भारत में ईवीएम तथा इसमें इस्तेमाल होने वाली चिप का निर्माण इलेक्टॅनिस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे दो ऐसे उद्यम करते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा शंकाविहीन है। ईवीएम मशीनों को दूसरी मशीन अथवा सिस्टम से जोड़कर संचालित करना असंभव है। अत: हैकिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान यूनिट को सक्रिय किए बगैर कोई वोट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ईवीएम को जिस खास गुलाबी पेपर से सील किया जाता है, उस पर सियासी दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराये जाते हैं। समक्ष आये ईवीएम शंका मामलों को मुंबई और कर्नाटक उच्च न्यायालय की क्लीन चिट के बाद शंका करना बेवजह है।

अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया है, इसलिए जरूरी है कि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि महज् बयान देने की बजाय, प्रमाणिक समाधान प्रस्तुत करे; ताकि ईवीएम पर लोगों का भरोसा पुन: बहाल हो। यहां गौर करने की बात यह भी है कि इसी दृष्टि

जरूरी है कि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि महज् बयान देने की बजाय, प्रमाणिक समाधान प्रस्तुत करे; ताकि ईवीएम पर लोगों का भरोसा पुन: बहाल हो।

से वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव तक हर वोट की मतदाता पावती रसीद व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। विशेषज्ञों के अनुसार, 2019 में हमें मतदाता पावती रसीद युक्त 20 लाख वीवीपीएटी मशीनों की ज़रूरत होगी। किंतु इस दिशा में निर्वाचन आयोग की तैयारी अभी भी 'सौ दिन चले अढ़ाई कोस' वाली है। निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाये।

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई में फिसड्डी

सुधार का चौथा बिंदु, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करने में निर्वाचन आयोग का फिसड्डी होना है। सुप्रीम कोर्ट की धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगने पर ताज़ा रोक आपको याद होगी। रोक के तुरंत बाद प्रचारकों की जुबां पर आये धर्म-जति सूचक शब्दों को आप भूले नहीं होंगे। बसपा समर्थकों द्वारा पैसा बांटे जाने की खबरें अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से आईं। क्या कभी किसी पर कोई ठोस कार्रवाई हुई ? तय सीमा से अधिक चुनावी खर्च पर कार्रवाई का नियम है; बावजूद इसके खर्च सीमा का उल्लंघन बराबर जारी है। अमेठी के सपा प्रत्याशी गायत्री प्रजापति द्वारा मंगाई साड़ियां फतेहपुर में पकड़ी गईं। सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। एग्जिट पोल चुनाव को प्रभावित करते हैं। ऐसी मान्यता के चलते, चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के नतीजों को किसी भी मीडिया प्लेटफार्म पर पेश करने पर रोक है। बीती 11 फरवरी को एक नामी समाचारपत्र की वेबसाइट ने इस रोक का उल्लंघन किया। प्रबंधन ने कहा कि संपादन ने ऐसा विज्ञापन विभाग के कहने पर किया, जबकि गिरफ्तारी संपादक की हुई। यही सब वजह है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन वाले निर्वाचन आयोग की कभी चिंता नहीं करते।

शपथपत्र सत्यापन में अक्षम

नामांकन के वक्त झूठी जानकारी देने पर सदस्यता से वंचित किए जाने का नियम है; बावजूद इसके उम्मीदवार झूठे-सच्चे शपथपत्र देकर चुनाव लड़ते हैं। क्यों ? क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास शपथपत्र सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। मौलिक भारत ट्रस्ट की एक याचिका का जवाब देते हुए केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मतदान और नामांकन दाखिल करने की बीच की समयावधि काफी कम होती है; लिहाजा, निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों और शपथपत्रों की सत्यता की जांच संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग, यह शपथपत्र छह माह पूर्व क्यों नहीं ले सकता अथवा अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए वह किसी अन्य एजेंसी की मदद 1यों नहीं ले सकता ?

दलों पर नियंत्रण में अक्षम

राजनीतिक दलों के पंजीकरण व मान्यता देना केन्द्रीय निर्वाचन आयोग का काम है। जन प्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग सिर्फ उसी दल का पंजीकरण करेगा, जो भारतीय संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा

मौलिक भारत की मुहिम हुई कामयाब

चुनाव आयोग ने चुनावो के समय उम्मीदवारों के द्वारा भरे जाने वाले शपथ पत्रों की जांच की प्रक्रिया तय की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दिए हाल ही में सम्पन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में उतरे उम्मीदवारों के शपथपत्र जांचने के आदेश। 30 जून तक पूरी करनी होगी प्रकिया। नप सकते हैं कई माननीय।

मौलिक भारत सदस्यों द्वारा दिनांक 17जनवरी 2017 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री नसीम ज़ैदी को चुनाव सुधार के लिए पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था कि -

चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा (Conduct of Elections Rules-1961 के नियम 4 ए के अंतर्गत नामांकन के साथ (फॉर्म 26) में भरे जाने वाले शपथ पत्र में बयान किये गए तथ्यों की सत्यता की जांच निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए।

पांच राज्यों के चुनाव प्रक्रिया के चलते प्रार्थीगण के पत्र उपरोक्त का भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा कोई निस्तारण न होते देख व शपथ पत्रों की जांच की गंभीरता के मद्देनजर नीरज सक्सैना (एडवोकेट), संजीव गुप्ता (इंजीनियर) द्वारा एक ONLINE RTI APPLICATION No. ECOMM/R7/2017/50236 दिनांक 10 फरवरी 2017को निर्वाचन आयोग में दाखिल कर दी जिसमें दस बिंदुओं पर सूचना मांगी गयी थी।

परन्तु भारत के निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली सचिवालय द्वारा एक महीना बीत जाने के बाद भी पत्र उपरोक्त दिनांक 17जनवरी 2017 एवं Online RTI Application दिनांकित 10 फरवरी 2017 का कोई जवाब नहीं दिया गया ।

कोई सूचना/जवाब न दिए जाने की स्थिति में प्रार्थीगण ने मजबूर होकर दिनांक 10 मार्च 2017को स्वयं भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली सचिवालय पर पहुँच कर RTI APPLICATION की कॉपी पुनः प्रेषित की।

भारत निर्वाचन आयोग के जन सूचना अधिकारी अवर सचिव श्री कुमार राजीव द्वारा पत्र संख्या F.No. 4/RTI/PB/2017/NS-I/183 दिनांक 30 मार्च 2017के माध्यम से RTI APPLICATION बिंदु क्रमांक 9 पर निम्न सूचना दी है -

आरटीआई का प्रश्न (9)

कृपया सूचित करें कि हमारी प्रार्थना चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा (Conduct of Elections Rules-1961 के नियम 4ए के अंतर्गत नामांकन के साथ (फॉर्म 26) में भरे जाने वाले शपथ पत्र में बयान किये तथ्यों की सत्यता की जांच निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए. पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो प्रार्थीगण को सूचित करें और सबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति भी उपलब्ध करवाएँ।

निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदा प्रश्न (9) का जवाब

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या 76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/ EEPS/2017Vol-I दिनांक 23 March 2017के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निवेदन किया गया है कि वर्ष 2017में पंजाब, इत्यादि में विधान सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में दर्शायी गयी सम्पत्तियों के ब्यौरे की जांच करे ।

झूठा शपथ पत्र भरे जाने के संदर्भ में कृपया निर्वाचन आयोग के निर्देश संख्या 4/2014/SDR.Vol-I दिनांक 26 April 2014 का संदर्भ ग्रहण करें (प्रति संलग्न)

(Anne 4 copy of Reply from Election Commission PIO dated30/03/17).

भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या 76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/EEPS/2017Vol-Iदिनांक 23 March 2017 द्वारा निदेशक (अन्वेषण-V) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय नयी दिल्ली एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक को निर्देशित किया कि वर्ष 2017 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की जाँच (चुनाव आयोग एवं CBDT) के मध्य (दिनांक 19 जून 2013 को सम्पन्न हुई मीटिंग) में निर्धारित किये गए निम्न मापदंडों के आधार पर की जाय।

श्रेणी - A : विशिष्ट मामले जिन्हे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अग्रसारित किया जाय (Category-A : Specific Cases forwarded by ECI)

श्रेणी - B - वे मामले - जिनमे प्रत्याशी द्वारा वर्तमान चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र से तुलना किये जाने पर यदि चल अचल संपत्ति में बेतहाशा (अप्रत्याशित) वृद्धि नजर आती है।

(category - B :Cases witnessing phenomenal growth when the current affidavit is compared to that filed during the previous elections, if any)

श्रेणी -C - वे मामले - चुनावों में विजयी होने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनावी शपथ पत्र में घोषित चल-अचल संपश्रि की सत्यता उनकी आयकर विवरणी से मिलान करके पता लगाई जाय (यदि उनके द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की जाती है)

(Category – C : Cases of winning Candidates and the veracity of the affidavits compared to the returns of income, if any filed by them.)

श्रेणी - D वे मामले - जहाँ पर आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) नहीं दिया गया है किन्तु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक घोषित की गयी है

(Category-D : Instances where there was no PAN but movable/immovable asset disclosed were in excess of Rs. 5 Crore)

By Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

F. No 4/RTI/PB/2017/NS-I //83 Dated: 30th March, 2017

To

1. The Chief Electoral Officer, Punjab, Chandigarh

2. The Chief Electoral Officer, NCT of Delhi, Delhi

Subject: - Transfer of an application under Section 6 (3) of the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 10.03.2017 received in the Commission on 10.03.2017. The information sought by you is as under: -

Sr. No	Information Sought	Reply
1.	Kindly information the action initiated by Election Commission of India on our abovementioned OBJECTION letter dated 17 January, 2017 and also the file movement and file noting of various officials (as on date)	Your representation dated 17.1.2017 was received in Commission on dated 17.01.2017. The same was forwarded to the CEO, Punjab with the request to look into the matter and furnish a factual report to the Commission. The report is still awaited (Copy enclosed)
2.	Please inform the action, if any, initiated by Election Commission of India regarding our prayer—That no person should be allowed to be enrolled in the electoral rolls at his or her own whims in violation of section 20 RP Act 1950 and illegally qualify for section 5 (C) of RP Act 1950 by submitting forged or fictitious documents along with Form6 or Form8A	The matter may be taken up with the concerned ERO hence, the application is transferred to CEO, Punjab under Section 6(3), of the Right to Information Act, 2005.
3.	Please inform the date of resignation of Jarnail Singh the AAP MLA from AC-42 Rajauri Garden Delhi.	14th January, 2017
4.	Please inform the Date of Acceptance of resignation of Jarnail Singh the AAP MLA from AC-42 Rajauri Garden Delhi.	14th January, 2017
5.	Please inform the date till which Jarnail Singh the AAP MLA FROM AC-42 Rajauri Garden Delhi was an Ordinary Resident of Delhi.	The matter may be taken up with the concerned ERO hence, the application is transferred to CEO, Delhi under Section 6(3), of the Right to Information Act, 2005.
6.	Please inform the date from which Jarnail Singh the AAP MLA from AC-42 Rajauri Garden Delhi became an ordinary Resident of AC-83 Lambi Assembly Constituency in or anywhere in Punjab	The matter is may be taken up with the concerned ERO hence, the application is transferred to CEO, Punjab under Section 6(3), of the Right to Information Act, 2005.
7.	While filling his Nomination Papers and Affidavit dated 17 January, 2017 before Returning Officer of AC-83 Lambi Assembly constituency in Punjab whether Jarnail Singh the AAP MLA FROM ac-42 Rajauri Garden Delhi filed an additional affidavit with No Demand certificate. If YES please provide certified copy of all documents as per rules.	The matter may be taken up with the concerned RO, hence, The application is transferred to CEO, Punjab under Section 6(3), of the Right to Information Act, 2005 for necessary action.
8.	Please provide certified copies (as per rules) of all documents submitted as proof of Ordinary Residence in Punjab by Jarnail Singh before Electoral Registration Officer of AC-83 Lambi Assembly Constituency, Punjab.	The matter may be taken up with the concerned ERO, hence, The application is transferred to CEO, Punjab under Section 6(3), of the Right to Information Act, 2005 for necessary action.
9.	Please inform the action initiated (if any) by Election Commission of India regarding our prayer—That affidavit in Form 26 (Rule 4A) (Control of Elections Rules- 1961), filed by all contesting candidates along with nominations must be verified by Election Commission for the truthfulness of their contents. Please provide certified copy of the concerned documents.	The Commission has requested the CBDT to verify the affidavits of contesting candidates of General Election to the Legislative Assembly of Punjab, 2017 etc. particulars relating to assests vide Letter No. 76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/EEPS/2017Vol-I dated 23rd March, 2017. (Copy enclosed) For filing of false affidavits you may kindly refer to the Commission instruction No. 4/2014/SDR.Vol-I dated 26th April, 2014. (Copy enclosed)
10.	In the exercise of its powers and performing its duties and functions as mentioned in Election Commission of India's Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04 January, 2017 declaring Schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Utter Pradesh by virtue of Article 324 read with Article 172 (1) of the Constitution of India and Section 15 of Representation of the People Act, 1951. Please inform whether the contents of Affidavit in Form26 (Rule 4A) filed by Jarnail Singh along with his nomination paper were verified by Election Commission of India or Not in compliance of its duties enshrined under Article 324 of the Constitution of India.	-do-

2. If you are not satisfied with the information provided to you, you may make appeal to the 1st Appellate Authority within 30 days of receipt of this letter.

Sh. K.F. Wilfred,
Principal Secretary & First Appellate Authority,
Election Commission of India,
Room No. 307, Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delh-110001.

Yours faithfully,

(KUMAR RAJEEV)
UNDER SECRETARY &
CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Copy to:

1. Sh. Neeraj Saxena (Advocate) and Sanjeev Gupta (Engineer) 20 Naveen Park, Sahibabad-202005, Ghaziabad (UP). He is requested to contact CEO, Punjab for items No. 2,6,7 & 8 CEO Delhi item No. 5.
2. RTI Section w.r.t. their Dy. No. 360/RTI/17 dated 15.03.2017.
3. Guard File.

श्रेणी - E वे मामले जहां पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के वर्तमान चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी चल-अचल संपति में पिछले चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी चल-अचल संपत्ति की तुलना में 2 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई हो और आयकर विभाग यदि जांच के दौरान प्रत्याशी द्वारा छुपाई गयी चल अचल संपति का यदि पता लगे अथवा आयकर विभाग द्वारा आकलन की गयी हो तो उसे भी भारत निर्वाचन आयोग को छः (6) महीनों के भीतर अर्थात माह सितंबर 2017 तक सूचित करे।

(Category-E : Cases where addition of new immovable assets above a threshold say Rs. 2 crore vis-à-vis last affidavit, if any, was witnessed and to report additional concealment detected/estimated by Income Tax Department within {months i.e. September 2017)

लोकसभा एवं विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरते समय शपथ पत्र (AFFIDAVIT) भरना अनिवार्य है। शपथ पत्र में प्रत्याशी द्वारा अपनी व अपने परिवार के सदस्यों (पत्नी एवं आश्रितों) की चल संपति जैसे कि नकद धनराशि, बैंक एवं अन्य संस्थान में जमा धनराशि, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बांड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्युचुअल फंड, राष्ट्रीय बचत योजना, पोस्ट आफिस जमा, बीमा पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड इत्यादि का मूल्य, वाहन, सोना, चांदी, अन्य कीमती वस्तुएं का मूल्य एवं अचल संपति जैसे कि कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, व्यवसियिक भवन, रिहायशी भवन, फ्लैट, इमारत इत्यादि का (पता सहित) वर्तमान बाजार मूल्य तथा प्रत्याशी द्वारा लिए गए ऋण व सरकारी देनदारियों एवं अन्य कई जानकारियां शपथ पर घोषणा करना अनिवार्य होता है।

प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान भरे जाने वाले शपथ पत्रों की जांच एवं चुनाव सुधार हेतु मौलिक भारत के प्रयास -

महोदय प्रत्याशियों के एफिडेविट (शपथ पत्र) की सत्यता जांच एवं चुनाव सुधार के अन्य मुद्दों को मौलिक भारत टीम द्वारा समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाया जाता रहा है। इसी क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं भी डाली गयी हैं।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी एक जनहित याचिका W.P. (C) 443/2014 [मौलिक भारत द्वारा न्यासी अनुज अग्रवाल एवं नीरज सक्सेना बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में दिनांक 22 जनवरी 2014 को [याचीगण की प्रार्थना कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन एवं शपथ पत्रों के कड़ाई से जांच किये जाने की कड़ी प्रकिया बनाई जाए। इस पर अग्रिम नोटिस पर न्यायालय में उपस्थित आए भारत निर्वाचन आयोग के वकील द्वारा माननीय खंड पीठ का ध्यान धारा 36 जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 (नामांकन पत्रों की जांच) एवं धारा 125ए (झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर दंड) की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि कानून में इन परिस्थितियों से निबटने के लिए कानूनी प्रावधान तो मौजूद हैं परन्तु इसके लिए अभी दिशानिर्देश GUIDELINES बनाये जाने हैं। आयोग के वकील द्वारा यह बयान भी किया गया कि (उपलब्ध कम समय में) नामांकन पत्रों एवं शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों की जांच आयोग द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों की

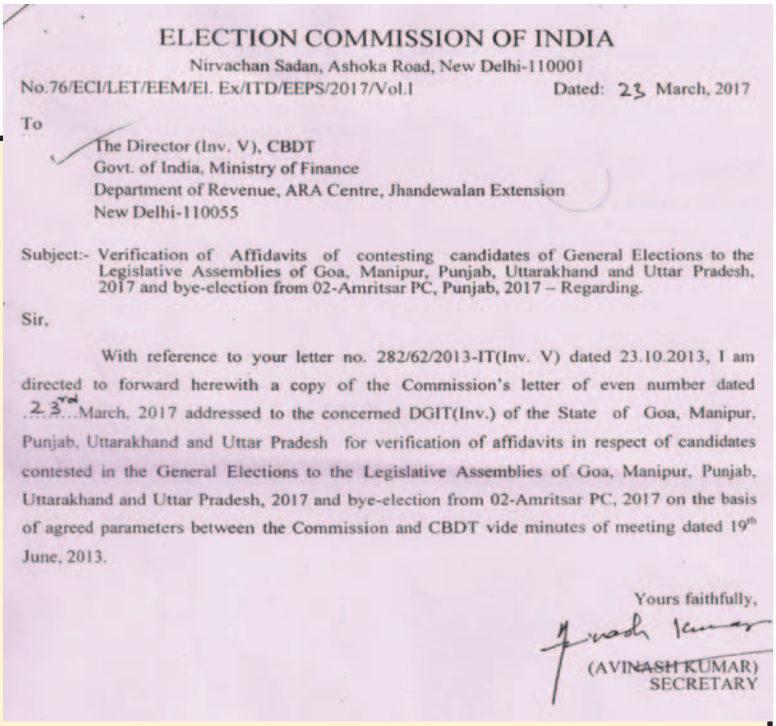
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
No.76/ECI/LET/EEM/El. Ex/ITD/EEPS/2017/Vol.I Dated: 23 March, 2017

To
The Director (Inv. V), CBDT
Govt. of India, Ministry of Finance
Department of Revenue, ARA Centre, Jhandewalan Extension
New Delhi-110055

Subject:- Verification of Affidavits of contesting candidates of General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2017 and bye-election from 02-Amritsar PC, Punjab, 2017 – Regarding.

Sir,

With reference to your letter no. 282/62/2013-IT(Inv. V) dated 23.10.2013, I am directed to forward herewith a copy of the Commission's letter of even number dated 23rd March, 2017 addressed to the concerned DGIT(Inv.) of the State of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh for verification of affidavits in respect of candidates contested in the General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2017 and bye-election from 02-Amritsar PC, 2017 on the basis of agreed parameters between the Commission and CBDT vide minutes of meeting dated 19th June, 2013.

Yours faithfully,
(AVINASH KUMAR)
SECRETARY

जांच किये जाने के मुद्दे को मौलिक भारत न्यासी अनुज अग्रवाल द्वारा 05 मार्च 2014 को विज्ञान भवन नयी दिल्ली में 2014 संसदीय चुनाव घोषणा के दौरान तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री वी0 एस0 संपथ के समक्ष भी उठाया गया था। वीडियो देखने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ygdgnuh-6Mk

अभियुक्त अरविन्द केजरीवाल (दिल्ली के मुख्य मंत्री) द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष फर्ज़ी वोट बनवाने एवं झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर मौलिक भारत के सदस्यों द्वारा पटियाला हाउस न्यायालय में दाखिल एक आपराधिक मुकदमा संख्या 20786/2016 नीरज सक्सैना एवं अनुज अग्रवाल बनाम अरविन्द केजरीवाल) अंतर्गत (धारा 31 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, धारा 125ए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 एवं धारा 177भारतीय दंड संहिता) में दिनांक 24 दिसम्बर 2016 को अभियुक्त अरविन्द केजरीवाल को जमानत पर छोड़ा गया है।

समाजवाद पर पूरा विश्वास करता हो। चुनाव प्रचार के दौरान और आगे-पीछे राजनीतिक दल पंजीकरण की इस शर्त के साथ खिलवाड़ करते ही रहते हैं। निर्वाचन आयोग ने क्या खिलवाड़ करने वाले ऐसे किसी दल का पंजीकरण रद्द किया गया ? आवश्यक मत न प्राप्त करने पर राष्ट्रीय दलों की मान्यता ररद करने का नियम है। लेकिन ऐसे सैकड़ों राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो चुनाव ही नहीं लडते। मीडिया पड़ताल में ऐसे निष्क्रिय दलों के बारे में कहा गया कि ये चंदा वसूली के जरिये महज् काला धन को सफेद करने के लिए सक्रिय रहते हैं। ऐसे दलों की मान्यता रद्द करने का काम कौन करेगा ? यदि कोई दल अपनी आंतरिक नियमावली के अनुसार, अपने संगठन का चुनाव समय से न कराये, तो निर्वाचन आयोग उसके चुनाव लड़ने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है। निर्वाचन आयोग ने सिर्फ चेतावनी देता है, कभी कोई कार्रवाई नहीं करता। आखिरकार, क्यों ?

शक्तियों की अस्पष्टता

सुधार का एक बिंदु, निर्वाचन आयोग की शक्तियों को लेकर अस्पष्टता है। हालांकि अनुच्छेद -327 निर्वाचन प्रक्रि या से संबंधित समस्त आयामों के लिए विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्रदान करता है; बावजूद इसके चुनाव संबंधी मामलों में कभी संसद, तो कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी स्वयं चुनाव आयोग को कदम उठाते देखा गया है। 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में रहे टी. एन. शेषन ने कुछ ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग किया था, जिनके बारे में कहा गया कि वे चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं हैं। 28 अगस्त, 1997 को निर्वाचन आयोग ने कहा कि न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे उस व्यक्ति ने दंड के विरूद्व उच्च न्यायालय के अपील की हुई हो। इस पर तत्कालीन सरकार ने असहमति प्रकट की। 13वीं लोकसभा के चुनाव दौरान निर्वाचन आयोग ने चुनावी सर्वेक्षण तथा अनुमानित परिणाम के प्रसारण पर रोक लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे असहमति जताई। इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या नहीं है; जबकि यह अति आवश्यक है। स्पष्ट और सुप्रीम न्यायिक शक्तियों के अभाव में निर्वाचन आयोग का पूरी क्षमता के साथ काम करना असंभव है।

चुनाव आयुक्तों के राजनीतिक होने का खुला रास्ता

अनुच्छेद 324 के अनुसार, संवैधानिक तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त आवश्यक है। संविधान ने बाकी चुनाव आयुक्त के अस्तित्व का निर्णय राष्ट्रपति की इच्छा पर छोड़ दिया है। अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या भी संवैधानिक तौर पर निर्धारित नहीं है। मु2य चुनाव आयुक्त को हटाने की बाबत यह कहा गया है कि कार्यकाल से पूर्व उसे उसी विधि से हटाया जा सकता है, जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है; किंतु अन्य चुनाव आयुक्तों के बारे में कहा गया है उन्हे मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से ही हटाया जा सकता है। इससे केन्द्र सरकार, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रभावित कर अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त नियुक्त करा सकते हैं। संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य की योग्यता भी निर्धारित नहीं है। लिहाजा, केन्द्र सरकार अपनी मर्जी के किसी भी व्यक्ति को मुख्य तथा अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देती है। चुनाव आयुक्त समेत सभी मुख्य पदों पर बैठे अधिकारियों में सेवानिवृति के पश्चात् आगे की राजनीतिक पोस्टिंग का लोभ देखा ही गया है। ऐसे में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता हेतु एक ज़रूरत चुनाव आयुक्तों की योग्यता, नियुक्ति, बर्खास्तगी के नियम निर्धारण की भी है।

तो क्या अखिलेश गुट ने भी चुनाव आयोग को रिश्वत दे खरीदा था चुनाव चिन्ह? - मौलिक भारत

तमिलनाडू में अन्नाद्रमुक पर कब्जे की लड़ाई में शशिकला के भांजे को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर शशिकला गुट के कब्जे को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों को 50 करोड़ रूपये की रिश्वत देने की कोशिश में स्त्रद्धफ दर्ज की गयी है और दलाल की गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर कब्जे को लेकर अखिलेश और मुलायम गुट का था और मामला चुनाव आयोग पहुंचा था। उस समय विभिन्न चेनलों पर अनेक संविधान विशेषज्ञ और पूर्व चुनाव आयुक्त यह दावा कर रहे थे कि इस विवाद पर जाँच कर निर्णय देने में आयोग को कम से कम छः महीने लगेंगे। किंतू कुछ ही दिनों बाद अचानक आयोग ने अखिलेश गुट को साइकिल चुनाव निशान आबंटित कर दिया। इस मामले में चुनाव आयोग का निर्णय अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बिना परीक्षण अखिलेश गुट के बहुत से दावो को मान लिया गया। जिस प्रकार की जल्दबाजी इस निर्णय को देने में की गयी उससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि हो सकता है कि यह मामला भी मोटे लेने देन की बिना पर निबटाया गया हो।

50 करोड़ से कहीं ज्यादा 100, 140 या 200 करोड़? इस तरह के मामले अधिकारियों के स्तर पर नहीं निबटाए जाते बल्कि सीधे चुनाव आयुक्त स्तर पर फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में मामला और गंभीर हो जाता है। इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रपति जी को आदेश देना चाहिए और चुनाव आयोग को भी अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोकतंत्र का रक्षक ही भक्षक वना नज़र आये तो फिर सब बेमानी है। आँखों में धूल झोंकने के समान है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) में 2,500 करोड़ का घोटाला ?

मौलिक भारत ट्रस्ट ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में पत्र भी लिखा था।

केंद्र सरकार के ई पोर्टल GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केट) में क्या करोड़ों का घोटाला हुआ हैं' यह बात भले ही पत्रकारों से कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कही लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी के ही 7 सांसदों ने वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर बताया है कि सरकार के ई-पोर्टल के जरिये करोड़ों के घोटाले की आशंका है। डायलॉग इंडिया ने अक्टूबर 2016 को अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था। इन सांसदों में केन्द्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, अशोक नेटे, कौशल किशोर, आलोक संजर, हरीश द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, अर्जुनलाल मीणा और अजय निषाद का नाम हैं।

डायलॉग इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) में 2,500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। उस वक्त 'मौलिक भारत ट्रस्ट' वित्त मंत्रालय को इस बारे में पत्र भी लिखा था। मौलिक भारत ट्रस्ट के महासचिव श्री अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा 15 अक्टूबर 2016 को लिखित इस पत्र की एक प्रति डीजीएस एंड डी के महानिदेशक (पीपी) श्री बिनय कुमार को भी भेजी गयी है। आरोप है कि पोर्टल के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर ही 2500 करोड रूपये की खरीद जीएफआर रूल्स तथा मुख्य सतर्कता आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए की गयी है।

सामान को कहाँ से खरीदा जा रहा था

मौलिक भारत के अनुसार 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के माध्यम से जो खरीददारी की जा रही है उसमें सामान सप्लाई करने वाले की सत्यता का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' की टर्म एंड कंडीशन्स की धारा 21 के अनुसार विक्रेता की सत्यता की जांच, वाजिब कीमत आदि सभी बातों की जांच की जिम्मेदारी सामान खरीदने वाले सरकारी विभागों की है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि सरकारी सामान की खरीददारी के मामले में प्रायः सभी सरकारी विभागों के पास विशेषज्ञता का अभाव है। इसीलिए डीजीएस एंड डी जैसे विशेषज्ञ विभाग की स्थापना की गयी थी। किन्तु डीजीएस एंड डी 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के माध्यम से सामान खरीदते समय यह कहकर पूरी व्यवस्था के पारदर्शी होने का दावा नहीं कर सकता कि सामान सत्यापित संस्थाओं से ही खरीदा जा रहा है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो उसने अपनी पड़ताल पाया कि 32 इंच की सोनी ब्राविया एलईडी केएलवी टीवी की कीमत जेम पर 30500 थी जबकि इसकी कीमत अमेजन पर इसकी कीमत 23 हजार रूपये है। इस तरह एचपी का 240जी5 विद विंडोज की कीमत जेम पर 45500 था वहीं एमेजन पर इसकी कीमत 32999 थी। इसी तरह कई सामान थे जो सस्ते मिल सकते थे लेकिन उन्हें महंगे में खरीदा गया।

क्या है GeM

केंद्र सरकार ने हालही में अपने मंत्रालयों को पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसके तहत उसने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) नामक एक पोर्टल की शुआत की है। सरकार का कहना था है कि इस पोर्टल के जरिये मंत्रालयों में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी सहित अन्य वस्तुओं की खरीदारी की जा सकेगी। इसके लिए सालाना 10 हजार करोड़ का बजट भी रखा गया था लेकिन इस 'मास्टर प्रोजेक्ट' के प्रारंभ होते ही इस पर भ्रष्टाचार के आरोपों लगने लगे हैं।

योगी सरकार

तूफानी रफ्तार - सुशासन की बहार

उत्तर प्रदेश को पटरी से उतरा हुआ प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश के निवासी यह आशा नहीं करते थे कि कोई सरकार ऐसी भी हो सकती है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश की शिथिल नौकरशाही के पेंच कस सके। उत्तर प्रदेश की पुलिस, गुंडों और माफियाओं पर बिना किसी राजनैतिक दवाब के कार्यवाही कर सके। प्राइवेट स्कूल की मनमानी रुक सकें। शिक्षा माफिया बाज़ार मूल्य पर किताबें देने लगे। मुस्लिमों के तुष्टीकरण के नाम पर बहुसंख्यकों का शोषण बंद हो सके। अफसर समय पर ऑफिस पहुचने लगे। पर उत्तर प्रदेश में ऐसा होने लगा है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नायक फिल्म के हीरो से भी तेज़ काम कर रहे हैं। बदलाव की ओर बढ़ चले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कार्यशैली पर **अमित त्यागी** प्रकाश डाल रहे हैं।

वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने मोदी ने मंत्र दिया था कि 'न खाऊँगा न खाने दूंगा'। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने मंत्र जपा है कि 'न सोऊंगा न सोने दूंगा'। बस इन्ही दोनों मंत्रों में भारत के भविष्य की रूपरेखा छुपी है। राष्ट्रवाद को कोसने वाले लोगों की नींदे उडी हुयी हैं। छदम सेकुलर ताक़तें दातों में उँगलियाँ दबाये बैठी हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यकायक उत्तर प्रदेश पुलिस जनता के करीब दिखने लगी है। खुले आम बिक रहा गोश्त भी नहीं दिख रहा है जिस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थीं। चौराहे पर देर रात खड़े रहने वाले शौहदे तो खैर मुख्यमंत्री के काम संभालते ही गायब हो गए थे। कॉर्पोरेट शैली में काम करने वाले मुख्यमंत्री ने एक आस जगा दी है। सिर्फ आस ही नहीं जगाई है बल्कि सोयी हुयी नौकरशाही को जगा दिया है। पिछली सरकार में जो अफसर कामचोर दिखते थे अचानक कर्मठ हो गए हैं। योगी जी ने सरकार बनने के बाद तबादलों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्ही अफसरों के पेंच कस कर उन्हे छवि सुधारने का मौका दिया। रात के 2 बजे तक अब सचिवालय खुल रहे हैं। प्रेजेंटेशन हो रही हैं। जिस विभाग की प्रेजेंटेशन होती है सिर्फ उसी विभाग के संबन्धित मंत्री ही नहीं होते हैं बल्कि कैबिनट के अन्य मंत्री भी उपस्थित होते हैं। संदेश साफ है कि अपने क्षेत्र के दौरे के समय कोई मंत्री यह बहाना न बना पाये कि हमे दूसरे विभाग की जानकारी नहीं है।

मुख्यमंत्री की स्पीड बहुत तेज़ लगती है। जब मुख्यमंत्री से इस बारें में चर्चा की जाती है तो उनका कहना होता है कि सरकार की स्पीड ऐसी ही होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन बात यह है कि मुख्यमंत्री को इतने त्वरित निर्णय लेने के बावजूद अपने किसी फैसले को अब तक रोल बैक नहीं करना पड़ा है। हमें 2012 का वह दौर नहीं भूलना चाहिए जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद नोएडा के शॉपिंग माल में रात्रिकालीन कटौती का फैसला लिया था जिसकी खूब किरकिरी हुयी थी। उनको फैसला वापस लेना पड़ा था। चुनाव के पहले डीपी यादव को पार्टी में न लेकर सुर्खियां बटोरने वाले अखिलेश यादव ने सत्ता में आते ही एक अन्य बाहुबली राजा भैया को कारागार मंत्री बना दिया था। उस समय ऐसे कई विवादित फैसले हुये थे जिसके आधार पर अखिलेश यादव एक प्रभावी शुरुआत में चूक गए थे। योगी जी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होने विवादों से स्वयं को दूर रखा है। वह 2019 तक सारे काम निपटाना चाहते हैं। उन क्षेत्रों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं जो लोगों की मूलभूत जरूरतों से जुड़े हैं। जैसे सूखे और पानी की कमी से जूझते बुंदेलखंड को दो साल में समस्या से निजात दिलाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं। उनका तर्क है कि अगर केंद्र सरकार की नीतियों को ठीक ढंग से बुंदेलखंड में लागू कर दिया गया तो दो साल में समस्या का नामोनिशान नहीं होगा। यह बात सुनने में अच्छी है। अब केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है तो अब बहाना नहीं चलेगा। जनता चाहती है कि अब उसे उसके दुखों से मुक्ति मिले। योगी और मोदी की जोड़ी सरकारी नीतियों को जनता तक पहुचाना शुरू कर दें। योगी की बातों का कर्मचारियों पर फर्क दिखने लगा है। कर्मचारी समय से दफ्तर में दिख रहे हैं। कई स्थानों पर तो सुबह 10 बजे पहुँचकर मंत्रियों ने ताला लगा लिया। देर से आने वाले कर्मचारी कोई बहाना भी नहीं बता सके। सरकारी विभागों के बाबू जो गुटखा खा कर 11 बजे पहुँचते थे और खुद को बहुत बड़ा फन्ने खाँ समझते थे अब मुंह में इलायची खाते हुये 10 बजे दिखने लगे हैं। माथे पर टीका और वस्त्रों में भगवे रंग का पुट अब यूपी में आम हो गया है। सिर्फ हिन्दू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी अब सहमति से भगवा धारण कर रहे हैं।

कॉमन सिविल कोड के पक्ष में हैं योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के तेवर नर्म नहीं हुये हैं। वह उन सभी मुद्दों पर खुल कर बात कर रहे हैं जिन्हे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री विवादित कह कर बच कर निकल जाते थे। संविधान के अनु0-44 के अनुसार देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 में सरला मुद्गल वाद में केंद्र सरकार से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि इस संदर्भ में सरकार की प्रगति क्या है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव तब समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर चूक गए और मुस्लिम अपने अधिकारों से वंचित रह गए। वर्तमान प्रधानमंत्री लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस मुद्दे पर बड़ा बयान विषय को हल की तरफ ले जाता दिख रहा है। अब यह बात किसी से छुपी नहीं है कि मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर उनसे सिर्फ वोट लिए गये। उन्हे उतने अधिकार भी नहीं दिये गए जो भारतीय संविधान ने उन्हे प्रदान किए हैं। केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद गुंडा तत्व नियंत्रित हो गया है । भारतीय मुसलमान स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगा है। स्वयं योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र के मुस्लिम लोग योगी की तारीफ करते हैं। वह योगी को कट्टर हिन्दू तो मानते हैं किन्तु मुस्लिम विरोधी नहीं। उनकी जो छवि दिखाई जाती है उससे

इत्तिफाक़ गोरखपुर के मुस्लिम नहीं रखते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का कोई फैसला ऐसा नहीं आया है जिसे मुस्लिम विरोधी कहा जाये। जो न्यायप्रिय न हो। उन्होने तीन तलाक की तुलना द्रोपदी के चीर हरण से करके मुस्लिम महिलाओं को संबल प्रदान कर दिया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप रहने वालों को उन्होने अपराधी की संज्ञा देकर उसी कटघरे में खड़ा कर दिया है जैसा महाभारत काल में भीष्म पितामह और उनके अन्य साथियों ने गलती की थी। योगी आदित्यनाथ के द्वारा तीन तलाक पर दिया गया वक्तव्य एतेहासिक बन जाता है जब वह कहते हैं कि 'देश के लोग जब एक ज्वलंत समस्या पर मुंह बंद किए हुये हैं तब मुझे महाभारत की सभा की याद आती है जब द्रोपदी का चीरहरण हो रहा थाऔर द्रोपदी ने तब भरी सभा में पूछा था कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? जब कोई नहीं बोल पाया था तब महात्मा विदुर ने उनके सवाल का जवाब देते हुये कहा था कि एक तिहाई दोषी अपराधी हैं। तिहाई दोषी उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी मौन रहने वाले हैं। तीन तलाक देश की सबसे बड़ी समस्या है जिस पर देश का राजनैतिक क्षितिज मौन है।'

योगी आदित्यनाथ की स्पष्टता के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाक़ के सम्बन्ध में कोड ऑफ़ कंडक्ट जारी कर दिया। इसमे उन्होने तीन तलाक़ देने वालों का हुक्का-पानी बंद करने तक की बात कही है। बोर्ड का कहना है कि इस्लामी शरीअत ने मर्द और औरत दोनों को बराबर के अधिकार दिए हैं और यह अधिकार औरत को दिलाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अब ऐसा करके बोर्ड ने महिलाओं के पक्ष में बात कहकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हाँ यह बात सही है कि मुस्लिम लॉ पर अमल करने का पूरा संवैधानिक अधिकार मुस्लिमों को हासिल है किन्तु यह भी एक सच है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं की यह ज़िम्मेदारी भी है कि वह पर्सनल लॉ की खुद हिफाज़त करे। उस पर राजनीति न करें।

एक और बड़ा काम मुख्यमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं की शादी के समय मेहर की रकम के भुगतान का किया है। अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक लेते समय मुख्यमंत्री ने इस पर अमली जामा पहनाने के निर्देश दिये हैं। सरकार के इस फैसले में निराश्रित मुस्लिम महिलाएं शामिल की जाएँगी और उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिये समूहिक शादियों का आयोजन करेगी। इस योजना के तहत सालाना लगभग 100 शादी कराने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। यह सभी शादियाँ सदभावना मंडप में करायी जायेंगी। इन शादियों में मेहर की रकम को सरकार वहन करेगी। गरीब महिलाओं को दी गयी यह थोड़ी सी आर्थिक मदद उनके लिये एक बड़ी मदद बनने जा रही है। आम तौर मुस्लिम निकाह में मेहर की रकम तय तो कर दी जाती है किन्तु इसको तुरंत देने का प्रावधान चलन में नहीं है। मेहर के बारें में एक बात जानना बेहद आवश्यक है कि यह मुस्लिम धर्म में एक रस्म है जिसमे शादी से पहले लड़के वाले लड़की वालो को एक तय की गयी रकम देते हैं, जिसे मेहर कहा जाता है। यह मेहर इसलिए दिया जाता है ताकि लड़की वालो पर शादी का कोई बोझ न रहे और वह इसी रकम में अपनी बेटी की शादी कर सके।

शायद यही है मुख्यमंत्री के काम करने का स्टायल। वह गैर ज़रूरी बयान न देकर संतुलित और सटीक काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को देकर बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। कभी शिवपाल यादव उनसे शिष्टाचार भेंट करने आते हैं तो कभी अर्पणा यादव। समाजवादी सरकार के बड़े और चर्चित चेहरे मन ही मन योगी से जुड़ चुके हैं। ये मुलाकातें इस बात का सबूत हैं कि राजनैतिक पंडित यह बात मान चुके हैं कि यह सरकार सिर्फ पाँच साल की सरकार नहीं है। यह सरकार पाँच साल यदि वर्तमान रफ्तार से चलती रही तो अगले 10-15 सालों तक इसमे बदलाव शायद ही हो।

उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को किया उच्चतम न्यायालय ने तलब

पुलिस रेफ़ोर्म की बात बहुत समय से चल रही है। जब राज्य सरकारें इस पर जागरूक नहीं हुयी तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों के गृह सचिव को न्यायालय में तलब कर लिया है। उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से खाली पड़े इन पदों को भरने में राज्य सरकारों द्वारा की जा रही देरी को गंभीरता से लिया है और एक एक समय सीमा के अंदर एक निश्चित रोड मैप बनाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जिन अन्य प्रदेशों के अधिकारी तलब किए गए हैं उसमे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इन राज्यों में पुलिस कर्मियों के बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों की रिपोर्ट देखते हुये कहा यह मामला 2013 से लगातार सुना जा रहा है और न्यायालय लगातार रिक्तियों को भरने की बात कह रहा है। राज्य इन पर कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही पुलिस में डेढ़ लाख पद खाली हैं। गौरतलब है कि इस याचिका में पुलिस कर्मियों के देश में 5 लाख 42 हज़ार पदों को खाली होने का दावा किया गया है।

छुटने लगी ज़ंग। महापुरुषों के नाम पर छुट्टियाँ बंद।

महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों का जीवन अनुकरणीय होता है। उनके द्वारा किए गए त्याग और तपस्या को युवा पीढ़ी तक पहुचाना चाहिए ताकि हम भविष्य के महापुरुष तैयार कर सकें। किन्तु महापुरुष के नाम स्कूल की छुट्टियों का तर्क समझ से परे था। यह न तो महापुरुषों के सम्मान का प्रतीक कहा जा सकता था और न ही किसी दूरगामी दृष्टिकोण का प्रतीक। जैसे ही मुख्यमंत्री ने महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों के बंद होने का

ऐलान किया तो संबन्धित लोगों को छोडकर सबने इस निर्णय का स्वागत किया। एक राष्ट्र का निर्माण महापुरुषों के नाम की छुट्टियों से नहीं बल्कि उस महापुरुष की जीवन शैली को आत्मसात करने से होता है।

भारत में महापुरुषों की संख्या काफी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 36 से ज्यादा सरकारी छुट्टियाँ महापुरुषों के नाम पर हैं। यदि पूरे भारत(केंद्र सरकार) की बात करें तो 21 सार्वजनिक छुट्टियाँ होती हैं। इसके उलट विदेशों में छुट्टियाँ बेहद कम हैं अमेरिका, पुर्तगाल, उक्रेन, न्यूज़ीलैंड एवं नीदरलैंड में 10 अवकाश होते हैं। पाकिस्तान, तुर्की एवं थाईलैंड में लगभग 16 अवकाश होते हैं। जापान, वियतनाम, फ़िनलैंड एवं स्वीडन में 15 दिन के अवकाश हैं। स्पेन में 14 और ब्रिटेन में लगभग 8-9 छुट्टियाँ होती हैं। यह आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ा दी गयी कि सरकारी व्यवस्था तंत्र ही चरमराने लगा। कार्य संस्कृति का अभाव हमेशा राष्ट्र निर्माण में बाधक होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य स्वभाव काम न करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखता है। वह आराम पसंद होता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को भुनाने के लिए क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने महापुरुषों की आड़ में छुट्टी संस्कृति का निर्माण कर दिया। कार्य संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया। जिन महापुरुषों के नाम पर यह अवकाश हुये थे वह स्वयं कर्मयोगी थे। उन्होने अपना जीवन अवकाशों में नहीं गंवाया बल्कि अपनी मेहनत और कर्मक्षेत्र के जरिये एक बड़े आकाश को पाया।

अब नयी योगी परिपाटी में अवकाश के स्थान पर स्कूल खुला करेंगे। छात्र इन महापुरुषों के बारें में ज्ञान प्राप्त किया करेंगे। इनकी जीवन शैली और इनके कार्यों पर वाद विवाद हुआ करेंगे। शायद इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती किसी भी महापुरुष के लिए। हाँ, इसके साथ एक काम और सरकार द्वारा किया जा सकता है कि होली, दीवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों पर एक साथ ज़्यादा छुट्टियाँ की जा सकती हैं। अपने घर से दूर रहने वाले और नौकरी पेशा लोग इन त्योहारों के माध्यम से अपने घर जाते हैं। इनमे छुट्टियाँ कम होने से उनके अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने का समय कम हो जाता है। इन पर अवकाश की संख्या बढ़ने से भारत की पुरातन मेलजोल संस्कृति का विकास होगा जो वर्तमान दौर में सिर्फ फ़ेसबुक और व्हाट्सअप तक सिमट कर रह गया है।

ईमानदार सुलखान सिंह भदौरिया को योगी आदित्यनाथ ने बनाया यूपी का डीजीपी

सुलखान सिंह भदौरिया उन चुनिदा अफसरों में से हैं जो किसी राजनेता के पैर नही छूते हैं। न कभी झुकते है। 36 साल की नौकरी में सिर्फ 3 कमरों का घर बना पाने वाले सुलखान सिंह ने पहले आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग फिर एफ़आईआई की डिग्री हांसिल की। भारतीय पुलिस सेवा में 1980 में चुने गए। वर्ष 2001 में वो लखनऊ के डीआईजी बनाये गये। इस दौरान उन्होंने कई भ्रष्ट पुलिस अफसर का तबादला किया और वे सुर्खियों में रहे। आज जब एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी अरबों की दौलत बना लेता है वही उ प्र में ये इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी 3 कमरों के घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा है। गृह जनपद बांदा में महज 2.5 एकड़ जमीन है। कल्याण सिंह के जमाने में अगर पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ तो तो उस वक्त डीजीपी की कुर्सी प्रकाश सिंह जैसे तेजतर्रार और ईमानदार अफसर के हाथ में थी। जो जिलों और थानों की नीलामी नहीं लगाते थे। आज सुलखान सिंह के हाथ में यूपी पुलिस की कमान है। उम्मीद है कि अब थाने नहीं बिकेंगे जैसा कि सपा सरकार में खबरें आती थीं। जब दारोगाओं को योग्यता नहीं बल्कि माल कमाकर देने की योग्यता से थाने मिलते थे।

सुलखान सिंह की ईमानदारी ही अब तक उनकी करियर की राह में रोड़ा बनी रही थी। अगर 2007 के बसपा राज में सुलखान सिंह मुलायम के समय यूपी पुलिस भर्ती घोटाले की पोल न खोलते तो अब तक कब के डीजीपी बन चुके होते। भला सोचिए, यूपी के आइपीएस अफसरों की सीनियारिटी लिस्ट में नंबर 1 पर नाम है। मगर अखिलेश यादव के राज में उनसे आठ सीढ़ी नीचे बैठे जावीद अहमद को डीजीपी की कुर्सी मिल गई। जावीद अहमद भी काबिल अफसर माने जाते रहे हैं मगर ऊपर के सात अफसरों को नजरअंदाज कर डीजीपी पद पर बैठाना सरकार की विशेष रुचि की तरफ इशारा करता है। जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो भर्ती घोटाले की जांच करने की कीमत चुकानी पड़ी। आम तौर पर उन्नाव के जिस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में डीआइजी स्तर के अफसर की तैनाती होती थी, वहां सुलखान सिंह को तब भेजा गया, जब वह एडीजी रैंक के अफसर थे। जिस पद को अफसर अपने लिए सजा मानते थे उस पद पर रहकर आपने (सुलखान सिंह ने) ट्रेनिंग के तौर-तरीकों को सुधारने में खास भूमिका निभाई।

सपा-बसपा गठबंधन : फैसलों से घबराये धुर विरोधी मिला रहे हाथ ?

मायावती का दलित वोट बैंक अब तक सबसे पुख्ता वोटबैंक माना जाता रहा है। अब यही वोट बैंक सिकुड़ रहा है। मायावती अपने जीवन काल के सबसे खराब दौर से गुज़र रही हैं। 2014 में सबसे पहले मायावती के गैर जाटव वोट बैंक ने मायावती को छोड़ दिया था। अब 2017 आते आते है एक आंकड़े के अनुसार लगभग 15 प्रतिशत जाटव वोट भी भाजपा के खाते में चले गए हैं। मायावती हताश हैं लाचार हैं। इसकी वजह आंकड़े भी बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बसपा को 19.6 प्रतिशत वोट मिला किन्तु उनका एक भी सांसद नहीं बना। 2017 में बसपा को 22.2 प्रतिशत वोट मिला है तो भी उनके सिर्फ 22 विधायक ही जीते हैं। इन सबसे ज्यादा एक आंकड़ा तो और भी चौकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में 85 विधानसभा सीटें सुरक्षित सीट थीं जिसमे से सिर्फ दो पर बसपा के प्रत्याशी जीत पाये।

राजनीति के इस खेल के दूसरे दावेदार सपा की स्थिति मायावती से बेहतर है। उनका यादव एवं मुस्लिम वोटबैंक अभी भी उनके ही साथ जुड़ा है। हालांकि, यादव सपा से छिटक कर भाजपा की तरफ भी गया है किन्तु विकल्प न होने के कारण सपा से लगातार जुड़ाव दिखा रहा है। तीन तलाक के विषय पर कुछ मुस्लिम महिलाएं भाजपा से जुड़ी किन्तु उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। सपा के द्वारा 54 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए गए थे

यह तूफानी कार्यवाही का समय है योगी जी - मौलिक भारत

आयकर विभाग भी जनता और सरकार की आँखों में धूल ही झोंकता रहता है। कल विभाग ने मायावती के भाई आनंद की कंपनियो का सर्वे किया। कारण विभाग को शक है कि आनंद ने बड़ी मात्रा में कालाधन बनाया है। कितना हास्यास्पद है कि जब हम काफी समय पूर्व ही मौलिक भारत के माध्यम से आनंद और यादव सिंह की जुगलबंदी और सैकड़ो फर्जी कंपनियो के सबूत काले घन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एस आई टी, सी बी आई, अन्य जांच एजेंसियो केंद्र और यू पी सरकार सहित मीडिया को भी दे चुके हैं उसके बाद भी उथली और दिखाबे की कार्यवाही करना जनता की आँखों में धूल झोंकने के समान है। सच तो सबको ही पता है कि मायावती ने अपने शासनकाल में बेतरह लूट मचाई और अपने भाई और यादव सिंह जैसी सेकड़ो कठपुतलियों के माध्यम से लाखों करोड़ का माल बनाया और सेकड़ो फर्जी कम्पनियों के माध्यम से सफ़ेद कर देश विदेश में निवेश किया। सन् 2009 में स्वयं भाजपा ने मायावती के 20 लाख करोड़ रुपयों के सेकड़ो घोटाले खोले थे और लोकायुक्त में अनेक शिकायतें भी दर्ज करायी थीं किंतु चुनाव बाद सब बिसरा दीं। सन् 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद मोदी सरकार भी मायावती के खिलाफ जांच में ढीली ही दिखी। यह जगजाहिर है कि जेपी समूह और बेब समूह के साथ मायावती की साझेदारी है और इसके अलावा भी दर्जनों बड़े बड़े बिल्डरों के साथ माया ने स्वयं या अपने प्यादों के माध्यम से अपना अवैध पैसा लगाया है। गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ सहित दर्जनों अन्य जिलों में माया सिंडिकेट के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है और यही हाल मुलायम सिंडिकेट का है। मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों को मिलकर इन दोनों सिंडिकेट की लूट के खिलाफ गहन जांच और कार्यवाही करानी होगी अन्यथा इनकी विश्वसनीयता और नीयत खतरे में पड़ जाएगी। यह सुखद है योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिल घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं और एन आर एच एम एवं यादव सिंह के खिलाफ जांच तेज हुई है किंतु सभी शहरों के प्राधिकरणों से जुड़े बिल्डरों की लूट बड़ी भयावह है जिसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही योगी सरकार ने नहीँ की है। नोयडा, ग्रेटर नोयडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गाज़ियाबाद और लखनऊ प्राधिकरणों का तो पिछले पंद्रह बर्षों का हर आदेश अपने आप में एक घोटाला है, जिसमे पंचम तल की खुली भागीदारी रही है।अभी ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य,परिवहन, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, आबकारी, कर आदि आदि विभागों के बड़े बड़े घोटाले सामने आने वाले है। आवश्यक है कि योगी सरकार उन पर प्रभावी कार्यवाही बिना किसी दबाव के करे। उदाहरणत: नोयडा में सिटी सेंटर की दो तिहाई जमीन बेब ग्रुप ने भाजपा की सरकार बनते ही प्राधिकरण को वापस कर दी ऐसा जांच के डर से किया गया। इस समूह में यू पी के सभी बड़े अधिकारियों की पत्ती पड़ी हुई है। यू पी के स्वास्थ्य विभाग में सेकड़ो डॉक्टर फर्जी प्रोन्नति लेकर दुगनी तिगनी तनख्वाह ले रहे हैं। यू पी के विद्यालयों में दो तिहाई प्रवेश फर्जी हैं और उनके नाम पर मोटी लूट चल रही है, सभी भर्तियां और स्थानांतरण पैसों के लेनदेन से हुए हैं आदि आदि।

मौलिक भारत उत्तर प्रदेश सरकार की सभी मंत्रालयों और विभागों की नीतियों और कार्यवाही पर कड़ी नजर रखेगा और समय समय पर सरकार को चेताता रहेगा।

अब निपटेगी डी एन डी टोल कम्पनी पूरी तरह

चोरी और सीनाजोरी। डीएनडी टोल कम्पनी की यही कहानी है। इलाहबाद उच्च न्यायलय द्वारा टोल वसूली बंद करने के आदेश के बाद टोल कम्पनी आदेश पर रोक के लिए उच्चतम न्यायलय तो चली गयी, किंतू वहां उसे मुँह की खानी पड़ी। न्यायलय ने टोल वसूली रोकने के आदेश को रद्द ही नहीँ किया, उलटे कम्पनी के खातों की सी ए जी से जांच के आदेश दे दिए। मौलिक भारत ने जब सी ए जी को कम्पनी के कारनामो का सबूतों सहित कच्चा चिट्ठा भेजा तो मौलिक भारत के सदस्यों विकास गुप्ता, अनुज अग्रवाल, अमरनाथ ओझा और पंकज गोयल पर 80 करोड़ रूपये का मानहानि का नोटिस भेज धमकाने की कोशिश की। अब सी ए जी ने अपनी जांच रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौप दी है तो उम्मीद है कि टोल कम्पनी के काले कारनामे और लूट के किस्से जगजाहिर होंगे और अपराधियों को सजा मिलेगी। मौलिक भारत के उपाध्यक्ष विकास गुप्ता ने उच्चतम न्यायलय में इस बिषय में विशेष अनुमति याचिका भी डाली हुई है।

भाजपा की मिशन-2019 की तैयारी शुरू सुस्त सांसदों के कटेंगे टिकट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर अब वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिक गई है। भाजपा के आंतरिक सर्वे के अनुसार 2019 के चुनाव में 20 से 25 ऐसे सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है, जिनकी छवि उनके संसदीय क्षेत्रों में अच्छी नहीं है। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ही आला कमान के इशारे पर उप्र के ऐसे सांसदों की सूची तैयार की गई थी, जिनकी जनता के बीच नकारात्मक छवि बनी हुई है। उप्र में भाजपा के सभी 71 सांसदों में से 40 सांसदों की सूची तैयार की गयी है और इस सूची में आने वाले सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में अपनी छवि ठीक करने की हिदायत दी गयी है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के जिन 40 सांसदों को मौका दिया गया, उनमें से लगभग 15 सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्रों में अपनी वापसी सुनिश्चित कराई और 'परिवर्तन यात्राओं' के दौरान उन्हें जनता का अधिक सहयोग मिला। परिवर्तन यात्राओं के दौरान ऐसे सांसदों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया गया, जिनकी छवि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में अच्छी नहीं थी। रणनीति के तहत ही सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्रों में परिवर्तन रथों पर जगह दी गई, ताकि जनता के साथ उनका जुड़ाव हो सके और उनके प्रति जनता की नाराजगी को दूर किया जा सके।

पर अब भी करीब 20 से 25 सांसद ऐसे हैं, जो जनता के बीच अपनी छवि नहीं सुधार पाए हैं। ऐसे सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि उप्र के सभी 71 सांसदों की बैठक अलग से ली थी और उन्हें जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की नीतियों और कामकाज को अच्छे तरीके से पेश करने को कहा था। दरअसल, पिछली बार मोदी लहर में कई ऐसे लोग थे, जिनकी छवि अच्छी नहीं थी, फिर भी सांसद बनने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के काम को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में न ले जाने वाले सांसदों पर गाज गिरनी तय है। बहुत से सांसदों को लग रहा है कि उप्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद उनका टिकट बच जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। सांसदों के कामकाज की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास लगातार पहुंच रही है।

जिसमे से 19 विजयी रहे वहीं दूसरी तरफ बसपा ने 97 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए थे जिसमे से सिर्फ पाँच ही सफल रहे। इस आंकड़े के आधार पर सपा अभी भी बसपा से बेहतर दिख रही है। यदि आंकड़े पर ही बात करें तो 29 प्रतिशत वोट पाने वाले दल की सरकार बन जाती है। भाजपा ने लगभग 40 प्रतिशत वोट प्राप्त किए। 2012 में भाजपा ने 15 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे। वोटों में 25 प्रतिशत के इस इजाफे ने धुर विरोधियों (सपा एवं बसपा) को साथ आने पर मजबूर कर दिया है। अब जिस तरह से योगी तड़ातड़ फैसले ले रहे हैं और जनता उनको पसंद कर रही है तब 2019 आते आते भाजपा का वोट 40 प्रतिशत से बढ़ भी सकता है। अखिलेश यादव की निगाह भाजपा को नहीं मिले 60 प्रतिशत वोटों को एक मंच पर लाने की है। मायावती इस बात को जानती हैं कि अगर उन्हे राजनैतिक रूप से ज़िंदा रहना है तो उन्हे गठबंधन के साथ आना

मायावती इस बात को जानती हैं कि अगर उन्हे राजनैतिक रूप से ज़िंदा रहना है तो उन्हे गठबंधन के साथ आना ही होगा।

ही होगा। अखिलेश यादव ने इस गठजोड़ की जरूरत को चुनाव पूर्व ही भाँप लिया था और कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। हालांकि, जमीनी सच्चाई यह है कि भाजपा को मिली विराट जीत में इस गठबंधन का भी योगदान था। बहुत से ऐसी सीटें थी जहां अगर बिना गठबंधन के लड़ा जाता तो मतदाता भाजपा के पक्ष में गोलबंद नहीं होता। पर गठबंधन के पैरोकार कहाँ समझने वाले हैं। वह फिर गठबंधन करने जा रहे हैं। कांग्रेस, बसपा और सपा 2019 के लिए एक मंच पर आना चाह रहे हैं। सपा और बसपा को 1993 में मुलायम और काशीराम का वह गठबंधन याद आ रहा है जब इन दोनों ने हाथ मिलाकर भाजपा को चुनौती दी थी। गेस्ट हाउस कांड को भुलाने के पक्ष में अब मायावती भी दिखने लगी है।

अगर योगी आदित्यनाथ के स्थान पर अन्य कोई और मुख्यमंत्री होता तो उस पर आरोप लगने की संभावनाएं होती। किन्तु योगी तो एक त्यागी पुरुष हैं। मोह माया से दूर हैं ऐसे में भाजपा के विरोधी दल भी जानते हैं कि योगी का कोई बहुत बड़ा विरोध होने नहीं जा रहा है। जिस तरह से ईमानदार अफसर चुन चुन कर प्रमुख पदों पर बैठाये जा रहे हैं उसके हिसाब से भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी नगण्य हैं। ऐसे में सब विरोधी दल 2019 के लिए आपस में हाथ मिलाये न तो क्या करें ?

गठबंधन की सुगबुगाहट से सक्रिय हुयी भाजपा।

जैसे ही भाजपा के नेताओं को इस बात की सुगबुगाहट हुयी कि विपक्षी दल गठबंधन करने जा रहे हैं उसके नेता सक्रिय हो गए। 40 प्रतिशत वोट पाने वाली भाजपा ने अब अपना लक्ष्य 50 प्रतिशत वोट का कर लिया है। यदि भाजपा के अतिरिक्त अन्य तीन दलों के वोटों को जोड़ लिया जाये तो यह लगभग 50 प्रतिशत होता है। यह भाजपा को मिले वोटों से 10 प्रतिशत ज्यादा है। भाजपा अब पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग के उन वोटों पर काम कर रही है जो 2014 और 2017 में उसको नहीं मिल पाये थे। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को ताकीद कर दी है कि किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया। इसको सोचने

मुख्यमंत्री दें तीनो प्राधिकरणों की सीबीआई जाँच के आदेश - मौलिक भारत

मौलिक भारत के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कै. विकास ने मुख्यमंत्री उप्र को नोएडा / ग्रे नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में पत्र लिखकर व्यापक जांच की मांग की उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वो कई वर्षो से नोएडा / ग्रे नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी में व्याप्त भ्रष्टाचारों के खिलाफ स्वयं तथा अपनी संस्था मौलिक भारत के माध्यम से आवाज उठाता चला आ रहे हूँ यहाँ पर हुये फार्म हाउस घोटाला , ग्रुप हाउसिंग घोटाला , व्यावसायिक भूमि (Commercial Land) घोटाला , सिटी सेंटर घोटाला , DND टोल घोटाला , यादव सिंह के द्वारा दिये गए ठेके के घोटाले , श्रम संबिदा मजदूरों का घोटाला आदि को लखनऊ / दिल्ली / नोएडा में प्रेस वार्ता करके , लोकायुक्त में शिकायतें दर्ज करके , उच्च एवं उच्चतम न्यायलय में याचिकाये दायर करके उजागर कर चुका हूँ यादव सिंह घोटाले में वर्तमान में सीबीआई जांच उनकी संस्था के अथक प्रयासों के द्वारा ही संभव हो सकी है !

इससे पहले नोएडा अथारिटी के पूर्व ओसडी यशपाल त्यागी के खिलाफ भी उन्होंने स्वयं उप्र लोकायुक्त के यहाँ ग्रुप हाउसिंग स्कैम के संबंध में शिकायत दर्ज करा चुके हूँ ।

कै. विकास ने अपने पत्र में लिखा कि नोएडा / ग्रे नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी में व्याप्त आकंठ भ्रष्टाचार में कुछ चुने हुये अधिकारी , बिल्डर , नेता , दलाल आदि के गठजोड़ शामिल रहा है तथा पिछली बसपा तथा सपा सरकार में इस गठजोड़ ने जमकर लूटपाट की है इस गठजोड़ में प्रमुख रूप से यादव सिंह , यश पाल त्यागी के अलावा आनंद कुमार (तत्कालीन मुख्यमंत्री के भाई),मोहिंदर सिंह (तत्कालीन अध्यक्ष) ललित विक्रम वसंतवानी (तत्कालीन बित्त निदेशक) ,रमा रमण (सी ई ओ), मनोज अग्रवाल (ग्रेट वैल्यू इन्फ्रा), दीपक अग्रवाल (एसडीएस इन्फ्रा) , शक्ति नाथ (लोजिग्स), पोंटी चड्ढा (वेव इन्फ्रा) व अन्य अफसर शामिल रहे है !

के. विकास ने अपने पत्र में लिखा कि इन लोगो में से कईयों के तार विदेशो से भी जुड़े रहे है तथा प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी पत्र संख्या ECIR /54/DZ/2010/ AD-SDS दिनांक 10/2/2010(संलगन) के माध्यम से इन अधिकारियों के विषय में जानकारी भी मांगी थी !

कै विकास ने अपने पत्र में लिखा कि नोएडा / ग्रे नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी में व्याप्त भ्रष्टाचारों तथा पिछले 10 वर्षो में हुयी आकंठ लूट के खिलाफ एक सघन जांच की आवश्यकता है! इसके लिये उन्होंने अनुरोध किया कि वो तीनो प्राधिकरणों की सीबीआई जाँच की अनुशंसा करने की कृपा करे तथा उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि इस विषय में जो भी जानकारी उनके पास उपलब्ध होगी वो जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएँगे ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके !

कै. विकास ने अपने पत्र की प्रतिलिपि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को भी भेजी है !

इस ओर भी सोचें योगी जी और हम - आप

वाक्या हाल ही का है। मेरे नोयडा स्थित घर के पास ही बिजली विभाग का कार्यालय है। अमूमन गन्दा रहने वाला यह कार्यालय सरकार बदलने के बाद कल पहली बार साफ़- सफाई के बाद धुल रहा था। कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यालय से इकठ्ठा हुए कूड़े को सड़क पर इकट्ठा करते जा रहे थे। मैं सुबह की सैर से लौट रहा था और रुककर कर्मचारियों के क्रिया कलाप देखने लगा। यकायक उन्होंने दो ढेर बनाकर कूड़े को आग लगानी शुरू कर दी। मैं अचकचा गया और तुरंत उनके पास पहुंचा और आगाह किया कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर उच्चतम न्यायलय और नोयडा प्राधिकरण दोनों ने कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और 5000 रुपये का जुर्माना और सजा भी हो सकती है। किंतु वे लोग लापरवाह रहे और आग में और कूड़ा डालने लगे। मुझसे रहा न गया और शिकायत करने की चेतावनी देकर उनके फोटो लेने लगा। तब जाकर वे लोग घबराये और आग पर मिट्टी डाल आग बुझा दी। पता नहीं वो मेरे शोर मचाने से लाइन पर आए या नयी सरकार के ख़ौफ़ से मगर अन्ततः मुझे प्रदूषण नियंत्रण में सफलता मिल गयी। मुझे लगा सरकारी आदेश में कार्यालयों की सफाई के साथ ही कूड़ा निस्तारण के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए और साथ ही जनता को स्वयं पहल करने और स्वयं समाज के द्वारा निगरानी की व्यवस्था या तंत्र का भी विकास जरूरी है। अन्यथा सरकारी आदेश कुछ ही समय बाद बेमानी हो जाते हैं। यह मेरा प्रदेश और मेरा देश है और इसको सवारने की जिम्मेदारी मेरी भी है, इस भाव का विकास भी बहुत जरूरी है। दुःखद है कि हम छोटी छोटी बात पर भी मुँह खोलना और आवाज उठाना भूल चुके हैं।

अनुज अग्रवाल

के स्थान पर सबके लिए कार्य करें। मोदी का इशारा साफ है कि जितना मिला है वह पर्याप्त नहीं है। अभी और पाना है। भाजपा अब अगड़े, पिछड़े को पूरी तरह एक करके विपक्ष को ध्वस्त करने पर लगी है। भाजपा पर मुस्लिम विरोधी और हिन्दुओं की पार्टी होने के आरोप लगने पर पहले भाजपा बैकफुट पर आ जाती थी। इन चुनावों ने हिन्दुओ की पार्टी होने की बात को खुल कर भुनाया। वह यह संदेश देने में कामयाब रहे कि हिन्दुओ के सरोकार कोई समझता है तो वह सिर्फ भाजपा है। भाजपा के संकल्प पत्र में अवैध बूचड़खानों पर रोक, राम मंदिर की प्रतिबद्धता और तीन तलाक जैसे विषयों ने भाजपा को मजबूत करके उभार दिया। रही सही कसर योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड नेता की प्रचार शैली ने कर दी। अब वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके फैसले जनता पसंद कर रही है। अब अगर विपक्षी दल गठबंधन करके उनके विरोध में एकजुट होते हैं तो बहुत कुछ संभव है कि उनका यह दांव इस बार भी उल्टा पड़ जाये और चुनावी लड़ाई 80 प्रतिशत बनाम 20 प्रतिशत होकर रह जाये।

मुख्यमंत्री की यह कर्मयोगी वाली आदत काफी अफसरों और मंत्रियों को परेशान कर रही है।

योगी के फैसलों में दिख रही सुशासन की बहार :

योगी आदित्यनाथ विपक्षियों को संभलने का मौका भी नहीं देते दिख रहे हैं। विपक्षी दल भले ही एकजुट होने की कवायद में लगे दिख रहे हों। पर योगी जिस तरह से काम कर रहे हैं वह तो उनको वोट न देने वालों के भी चहेते बनते जा रहे हैं। योगी ने पिछली सरकार के चहेते अफसरों से भी काम लेकर यह साबित कर दिया है काम करने की आदत होना अच्छी बात है। जरूरत पड़ने पर ज्यादा काम करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। योगी जी ने जो ऊंचे मापदंड स्थापित किए हैं उसके अनुसार जब आप किसी ऊंचे पद पर होते हैं तो फिर जिम्मेदारियां तो बढ़ ही जाती हैं। मुख्यमंत्री की यह कर्मयोगी वाली आदत काफी अफसरों और मंत्रियों को परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को यहां तक कह दिया है कि 24 घंटे में 16 से 18 घंटे तक काम करना पड़ेगा। इसके लिए सभी तैयार रहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो रास्ते सबके लिए खुले हैं। कुछ मंत्री और अफसर तो इस बात को लेकर ही परेशान दिखने लगे हैं कि वह उनके बराबर काम कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री ने जब नवरात्रों में व्रत रखे थे तब भी वह उतने ही चुस्त और फुर्तीले दिखाई दिये। यह ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो जनता के बीच में पहुचने पर उनको वोट न देने वाला भी उनसे जुडने लगा है। जब कोई मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो जाये तो विपक्षी दलों का गठबंधन भी क्या कर लेगा। मुख्यमंत्री के द्वारा अपने मंत्रियों को एक और स्पष्ट आदेश है कि अगले छह महीने में कौन मंत्री क्या करेगा इसकी पूरी जानकारी उनको मिल जानी चाहिए। कोई भी मंत्री काम के दिनों में छुट्टी नहीं लेगा और न ही लखनऊ से बाहर जाएगा। बहरहाल कुछ भी कहा जाये, यूपी में जितना मज़ा चुनाव के पूर्व बाप बेटे के झगड़े में आया था उससे ज़्यादा मज़ा अब मुख्यमंत्री की कार्य शैली में आ रहा है। रोज़ कोई न कोई ऐसा फैसला होता है जिससे जनता का विश्वास अपने मुख्यमंत्री पर बढ़ता चला जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ महत्वपूर्ण एवं त्वरित निर्णय

1. किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ
2. शोहदों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड
3. सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली देने के लिए केंद्र सरकार से करार
4. अवैध बूचड़खानों पर कठोर कार्रवाई
5. 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने का लक्ष्य
6. मंत्रियों और अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश
7. दफ्तरों में कर्मचारियों की हाजिरी के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम लगेंगे
8. सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता रखने के लिए पान-गुटखे पर पाबंदी
9. दिसंबर तक 30 जिलों को शौचमुक्त करने का लक्ष्य
10. गन्ना मिलों को किसानों का पूरा बकाया चुकाने का आदेश
11. किसानों से पूरा गेंहू खरीदने के लिए प्रदेश भर में सरकारी खरीद केंद्र
12. मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर और झांसी में मेट्रो का ऐलान
13. सबको सस्ती दवाएं देने के लिए 3000 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे
14. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में छात्र-छात्राओं को दो अतिरिक्त मौके
15. मायावती सरकार के दौरान बेची गयी 21 चीनी मिलों की जांच
16. लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट परियोजना और वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों की तफ्तीश
17. अखिलेश सरकार की समाजवादी नाम वाली योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाया
18. गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक एएलएल एंबुलेंस सेवा की शुरुआत
19. कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सरकार की ओर से 1 लाख की सब्सिडी
20. गरीब मुस्लिम बेटियों की शादी में सरकार करेगी सहायता

राष्ट्रवाद की सुगबुगाहट नहीं अब खुल्लम खुल्ला ऐलान :

अब तक राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर भाजपा को कोसने वालों के मुंह पर योगी

आदित्यनाथ ने तब करारा तमाचा मारा जब उन्होने घोषणा की कि प्रदेश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में 'राष्ट्रवाद', 'देशभक्ति' और 'संस्कृति' शामिल किए जाएंगे। नये शैक्षणिक सत्र से यूपी की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लोगों को दिखने लगेगा। यह एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। अभी तक पाठ्यक्रम में तोड़ा और मरोड़ा गया इतिहास ही पढ़ाया जा रहा है। बच्चे जिन महापुरुषों को पढ़ते हैं उन्हे ही अपना रोल मॉडेल मान लेते हैं। संस्कृति का पाठ्यक्रम में होना भारत की विरासत को मजबूत करेगा और उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं को भी मजबूत करेगा।

उत्तर प्रदेश में जमीनी बदलाव तो दिखने लगा है। अभी तक के काम काज के आधार पाए सरकार की नियत भी साफ दिख रही है। नीतियों में जहां जहां अपेक्षित है सिर्फ वहीं पर बदलाव किया गया है। जिस तरह से योगी काम कर रहे हैं उसके अनुसार वह पूरे उत्तर भारत के नेता बन कर उभर रहे हैं। वह 2024 में प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार दिखने लगे हैं। पर उसके पहले 2019 भी है। वहाँ भी उनकी भूमिका अहम होनी है। जैसा मेरा अनुमान है 2019 के चुनावों में योगी आदित्यनाथ उत्तर भारत के राज्यों में प्रचार की कमान संभालेंगे और मोदी का यहाँ से बचा हुआ समय अन्य स्थानों पर प्रयोग हो जायेगा। मोदी दक्षिण और पूर्वोत्तर में मजबूत होती भाजपा के जरिये अपनी सीटें बढ़ाने का जिम्मा संभालेंगे। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी ने एक करंट तो पैदा कर ही दी है। सुशासन दिखने लगा है। राम राज आने में तो समय लगेगा किन्तु झलक मिलने लगी है। उत्तर प्रदेश की जनता को अब इंतज़ार है कि अब कब रामलला भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होंगे ? रामराज की स्थापना के लिए राम मंदिर भी तो एक अहम शर्त है। न्यायालय द्वारा बातचीत का प्रावधान और इस विषय पर सक्रियता देखते हुये जल्दी ही इस ओर से भी कोई शुभ सूचना आने वाली है। ■

256, 556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त

पुराने विज्ञापनों की जांच शुरू, अपात्र अखबारों से वसूली के निर्देश

मोदी सरकार ने पिछले एक साल की जांच के बाद ढाई लाख से अधिक अखबारों का टाईटल निरस्त कर दिया है साथ ही सैंकड़ों अखबारों को डीएवीपी की सूची से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम को पुरानी सारी गड़बड़ी की जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें अपात्र अखबारों और मैंगजीन को सरकारी विज्ञापन देने की शिकायतों की जांच भी शामिल है। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर रिकवरी और कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी हैं। इसके चलते मीडियाजगत में हड़कंप है।

मोदी सरकार द्वारा सख्ती के इशारे के बाद आरएनआई यानि समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय और डीएवीपी यानि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय काफी सख्त हो चुके हैं. समाचार पत्र के संचालन में जरा भी नियमों को नजरअंदाज किया गया तो आरएनआई समाचार पत्र के टाईटल पर रोक लगाने को तत्पर हो जा रहा है. उधर, डीएवीपी विज्ञापन देने पर प्रतिबंध लगा दे रहा है. देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब लगभग 269,556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त कर दिए गए और 804।

अखबारों को डीएवीपी ने अपनी विज्ञापन सूची से बाहर निकाल दिया है. इस कदम से लघु और माध्यम समाचार पत्रों के संचालकों में हड़कम्प मच गया है।

पिछले काफी समय से मोदी सरकार ने समाचार पत्रों की धाधलियों को रोकने के लिए सख्ती की है. आरएनआई ने समाचार पत्रों के टाइटल की समीक्षा शुरू कर दिया है. समीक्षा में समाचार पत्रों की विसंगतियां सामने आने पर प्रथम चरण में आरएनआई ने प्रिवेंशन ऑफ प्रापर यूज एक्ट 1950 के तहत देश के 260,556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त कर दिए। इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अखबार-मैग्जीन (संख्या 59,703) और फिर उत्तर प्रदेश के अखबार-मैग्जीन (संख्या 36822) हैं।

इन दो के अलावा बाकी कहां कितने टाइटिल निरस्त हुए हैं, देखें लिस्ट.... बिहार 4796, उत्तराखंड 1860, गुजरात 11970, हरियाणा 5613, हिमाचल प्रदेश 10550 छत्तीसगढ़ 2249, झारखंड 478, कर्नाटक 23929, केरल 15754, गोआ 655, मध्य प्रदेश 21397, मणिपुर 7900, मेघालय 173 मिजोरम 872, नागालैंड 49, उड़ीसा 7649, पंजाब 7479, चंडीगढ़ 1560 राजस्थान 12519, सिक्किम 108, तमिलनाडु 16001, त्रिपुरा 2300, पश्चिम बंगाल 165799, अरुणाचल प्रदेश 52, असम 1854 लक्षद्वीप ,6, दिल्ली 3179 और पुडुचेरी 5232। ■

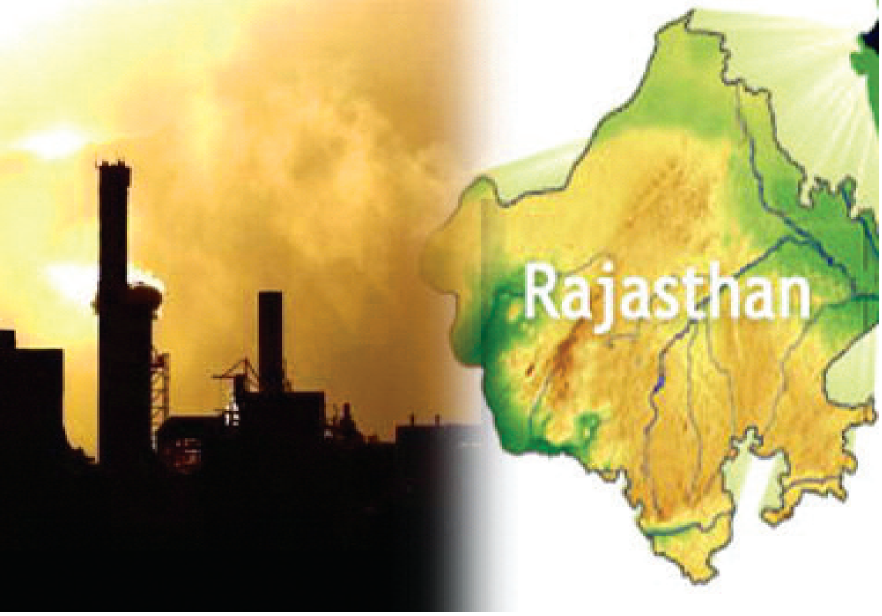

बनेगी रिफाइनरी बदलेगी सूरत

● रामस्वरूप रावतसरे

राजस्थान के बाड़मेर के पचपदरा में 4 साल बाद यानी 2021 में रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाएगी। इस रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन टन होगी, यानी इतने तेल का उत्पादन सालाना होगा। इसके लिए फिर से राज्य सरकार और एचपीसीएल के बीच एमओयू किया गया है। सरकार और एचपीसीएल के बीच एमओयू के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राजस्थान की 26 फीसदी की भागीदारी इस रिफाइनरी के उत्पादन में रहेगी। यह रिफाइनरी बीएस-6 मानक वाली होगी। एचपीसीएल ने दुनिया की सबसे आधुनिक टैक्नोलॉजी के साथ काम करने का एमओयू किया है। इसकी लागत करीब 43 हजार करोड़ रुपए होगी। केंद्र भी 27 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। राजस्थान में इतनी बड़ी निवेश पहले कभी नहीं हुआ। एचपीसीएल की भी पूरी अपनी लाइफ में यह सबसे बड़ा निवेश है।आने वाले 3 साल में केयर्न भी निवेश करेगी। यानी करीब 70 हजार करोड़ का निवेश आने वाले चार साल में किए जाएंगे। इसके लगने के साथ ही दुनियाभर के निवेशक राजस्थान आएंगे। ऐसी सम्भावना सरकार की ओर से व्यक्त की जारही है । इससे निकलने वाले अन्य प्रॉडक्ट से अच्छी क्वालिटी की जूते के सोल बनेंगे। प्लास्टिक की पाइप बनेंगे। राज्य सरकार को लगभग 9.5 करोड़ रुपए की टैक्स के मिलते रहेंगे का अनुमान भी लगाया गया है।

सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि हम काम करने में किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहते। जो करते हैं वो ठोस करते हैं। यह रिफाइनरी का एमओयू सरकार का ठोस निर्णय है। राजस्थान की रिफाइनरी देश में बीएस -6 मानक और पैट्रो कैमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ बनने वाली पहली रिफाइनरी होगी। नौ मिलियन टन क्षमता की रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स को बनाने में 43 हजार करोड़ रु. खर्च होंगे। संभावना है कि 2021 में यह रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाएगी। सालाना 2514 करोड़ रुपए कम देनी होगी राशि।

कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में रिफाइनरी लगाने के लिए जो एमओयू किया था। उसके अनुसार राज्य सरकार को अगले 15 साल तक सालाना 3637 करोड़ रु. ब्याज मुक्त ऋण देना था। नंगोशिएशन के बाद भाजपा सरकार और एचपीसीएल के बीच डील 1123 करोड़ में ही ब्याज मुक्त लोन देने पर फाइनल हो गई जा रही है। इससे राज्य सरकार की सालाना 2514 करोड़ रु. की बचत होगी। गहलोत सरकार में जहां रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स 37320 करोड़ में बनकर तैयार हो रहे थे, वहीं अब एक प्रोसेसिंग यूनिट एक्स्ट्रा लगाने से इसकी लागत बढ़कर 43 हजार करोड़ रु. हो जाएगी। रिफाइनरी के आसपास बड़े पैमाने पर ग्रीनरी विकसित की जाएगी, जिससे बिल्कुल पर्यावरण का किसी प्रकार क्षति होने पाए। इस रिफाइनरी से बाहर के साथ ही राजस्थान के कच्चे आयल को भी रिफाइंड किया जाएगा।

यह रिफाइनरी बीएस-6 मानकों के तेल का उत्पादन करेगी। यह उच्च गुणवत्ता के साथ सबसे रिफाइंड तेल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही 2020 से यूरो 6 नॉर्म यानी बीएस-6 लागू करने का आदेश दिया है। इसको ध्यान में रखकर राजस्थान में बीएस 6 मानक की रिफाइनरी लगाई जा रही है। फिलहाल चौपहिया वाहनों पर बीएस-4 मानक लागू है। बीएस-4 ईंधन में 50 पीपीएम (पाट्‌र्स पर मिलियन) जहरीला सल्फर होता है। बीएस-5 बीएस-6 दोनों तरह के ईंधनों में सल्फर की मात्रा 10 पीपीएम ही होती है।

वेस्ट मेटेरियल से 262 मेगावाट बिजली उत्पादन भी करेंगे रिफाइनरी से निकलने वाले पेट काक वेस्ट मेटेरियल से 262 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसका उपयोग रिफाइनरी चलाने में होगा।रिफाइनरी के लिए जो गैस का इस्तेमाल किया जाता, उससे पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स चलाया जाएगा। ऐसा निर्णय किया गया बताया जा रहा है। पौने चार वर्ष इंतजार के बाद पचपदरा में रिफाइनरी को लेकर केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्य सरकार व एचपीसीएल के बीच एमओयू हुआ। इसपर शहर व क्षेत्र के लोगों में फिर से उम्मीद तो जगी, लेकिन ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। लोगों में अब भी संशय है। उनका कहना है कि काम शुरू होने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 22 सितम्बर 2013 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। जल्द ही चुनाव के चलते कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। सत्ता परिवर्तन पर नई भाजपा सरकार ने इसे घाटे का सौदा बताते हुए एमओयू निरस्त कर दिया गया था। हालांकि पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और एचपीसीएल के बीच एमओयू को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे राज्य सरकार को लाभ नहीं हुआ है। श्रेय लेने के लिये राज्य की जनता को गुमराह किया गया है। ■

विनीत
नारायण

वैदिक मार्गदर्शन से बचेंगे जल प्रलय से

सूर्य नारायण अपने पूरे तेवर दिखा रहे हैं। ये तो आगाज है 10 साल पहले ही जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दे दी गई थी कि 2035 तक पूरी धरती के जलमग्न हो जायेगी। ये चेतावनी देने वाले दो वैज्ञानिकों को, राजेन्द्र पचौरी व भूतपूर्व अमेरिकन उप. राष्ट्रपति अलगौर को ग्लोबल पुरस्कार से नवाजा गया था। इस विषय पर एक डॉ1यूमेंट्री 'द इन्कवीनियेंट ट्रूथ' को भी जनता के लिए जारी किया गया था। विश्व के 3000 भूगर्भशास्त्रियों ने एक स्वर में ये कहा कि अगर जीवाष्म ईंधन यानि कोयला, डीजल, पेट्रोल का उपभोग कम नहीं किया गया, तो वायुमंडल में कार्बनडाई ऑक्साइड व ग्रीन हाऊस गैस की वायुमंडल में इतनी मोटी धुंध हो जायेगी कि सूर्य की किरणें उसमें में से प्रवेश करके धरती की सतह पर जमा हो जायेंगी और बाहर नहीं निकल पायेंगी। जिससे धरती का तापमान 2 डिग्री से बढ़कर 15 से 17 डिग्री तक जा पहुंचेगा। जिसके फ्लस्वरूप उत्तरी, दक्षिणी ध्रुव और हिमालय की ग्लेशियर की बर्फ पिघलकर समुद्र में जाकर जल स्तर बढ़ा देगी। जिससे विश्व के सारे द्वीप- इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, फिजी आईलैंड, कैरिबियन आईलैंड आदि जलमग्न हो जायेंगे और समुद्र का पानी ठांठे मारता समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों को जलमग्न करके, धरती के भू-भाग तक विनाशलीला करता हुआ आ पहुंचेगा। उदाहरण के तौर पर भारतीय संदर्भ में देखा जाए, तो बंगाल की खाड़ी का पानी विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों को डुबोता हुआ दिल्ली तक आ पहुंचेगा।

ठससे घबराकर पूरे विश्व ने 'सस्टेनेबल ग्रोथ' नारा देना शुरू किया। मतलब कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, जिससे कि लेने के देने पड़ जाए। पर अब हालात ऐसे हो गये हैं कि चूहों की मीटिंग में बिल्ली के गलें में घंटी बांधने की युक्ति तो सब चूहों ने सुझा दी। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई चूहा साहस करके आगे नहीं बढ़ा। अमेरिका जैसा विकसित 'देश कोयले, पैट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने के लिए तैयार नहीं हो सका। उसने सरेआम 'क्योटो प्रोटोकोल' की धज्जियां उड़ा दी। दुनिया की हालत ये हो गई है कि 'एक तरफ कुंआ, दूसरी तरफ खाई, दोनों ओर मुसीबत आई'। ऐसे मुसीबत के वक्त भारतीय वैदिक वैज्ञानिक सूर्य प्रकाश कपूर ने भूगर्भ वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछा कि धरती का तापमान 15 डिग्री सें0 किस स्रोत से है? तो वैज्ञानिकों ने जबाव दिया कि 15 डिग्री से0 तापमान का अकेला स्रोत सूर्य की धूप है। तो अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त के मंत्र संख्या 10 और 11 में ब्रह्मा जी ने स्पष्ट लिखा है कि धरती के तापमान के दो स्रोत है- एक 'जीओथर्मल एनर्जी' भूतापीय उर्जा और दूसरा सूर्य की धूप। याद रहे कि विश्व में 550 सक्रिय ज्वालामुखियों के मुंह से निकलने वाला 1200 डिग्री सें0 तापमान का लावा और धरती पर फैले हुए १लाख से ज्यादा गर्म पानी के चश्मों के मुंह से निकलता हुआ गर्म पानी, भाप और पूरी सूखी धरती से निकलने वाली 'ग्लोबल हीट 3लो' ही धरती के 15 डिग्री सें0 तापमान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कुल मिलाकर सूर्य की धूप के योगदान से थोड़ा सा ज्यादा योगदान, इस भूतापीय उर्जा का भी है। यूं माना जाए कि ८ डिग्री तापमान भूतापीय उर्जा और ७ डिग्री सें0 तापमान का योगदान सूर्य की धूप का है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के किसी मैदान में एक वर्ग मि0 जगह के अंदर से 85 मिलीवॉट ग्लोबल हीट 3लो निकलकर आकाश में जाती है, जो कि धरती के वायुमंडल को गर्म करने में सहयोग देती है। इस तरह विश्व की एक महत्वपूर्ण बुनियादी मान्यता को वेद के मार्ग दर्शन से गलत सिद्ध किया जा सका।

इस सबका एक समाधान है कि सभी सक्रिय ज्वालामुखियों के मुख के ऊपर 'जीओथर्मल पॉवर प्लांट' लगाकर 1200 डिग्री तापमान की गर्मी को बिजली में परिवर्तित कर दिया जाए और उसका योगदान वायुमंडल को गर्म करने से रोकने में किया जाए। इसी प्रकार गर्म पानी के चश्मों के मुंह पर भी 'जीओथर्मल पॉवर प्लांट' लगाकर भूतापीय उर्जा को बिजली में परिवर्तित कर दिया जाए। इसके अलावा सभी समुद्री तटों पर और द्वीपों पर पवन चक्कियां लगाकर वायुमंडल की गर्मी को बिजली में परिवर्तित कर दिया जाए, तो इससे ग्लोबल कूलिंग हो जायेगी और धरती जलप्रलय से बच जायेगी।

भारत के हुक्मरानों के लिए यह प्रश्न विचारणीय होना चाहिए कि जब हमारे वेदों में प्रकृति के गहनतम रहस्यों के समाधान निहित हैं, तो हम टैक्नोलोजी के चक्कर में सारी दुनिया में कटोरा लेकर क्यों घूमते रहते हैं? पर्यावरण हो, कृषि हो, जल संसाधन हो, स्वास्थ हो, शिक्षा हो या रोजगार का सवाल हो, जब तक हम अपने गरिमामय अतीत को महत्व नहीं देंगे, तब तक किसी भी समस्या का हल निकलने वाला नहीं है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं,
देखें www.vineetnarain.net

अर्थचिंतन – गौधन बनाम डॉलर

शुरू से ही पूरब और पश्चिम में अर्थव्यवस्था को लेकर श्रेष्ठता का और वर्चस्व का संघर्ष रहा है जो आज तक कायम है। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार प्रकृति आधारित रहा वहीं पश्चिम की अर्थव्यवस्था का आधार मशीनीकृत विकास रहा। प्रकृति का अर्थ था प्रकृति में उपस्थित हर जीव को अर्थव्यवस्था में उपयुक्त स्थान देना, फिर चाहे वह पशु हो या कीट।

भारत में प्राचीन काल से ही कृषि एवं व्यापार दोनों की समान प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यदि कहा जाए कि व्यापार ही किसी भी सभ्यता के जीवन का आधार है। व्यापार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, व्यापार के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में यदि हम देखें तो गौ आधारित तमाम तरह के व्यवसाय दिखते हैं और भारत में गाय के माध्यम से एक करुणा और संवेदना का भी विस्तार होता रहा है। जब तक गौ के प्रति समाज सहिष्णु रहा तब तक एक दूसरे के प्रति भी सहिष्णुता रही, धैर्य रहा, प्रेम रहा तथा अर्थव्यवस्था भी उन्नत रही। प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी उन्नत रही थी कि विदेशों के साथ इसके पारस्परिक व्यापारिक संबंध थे। यदि व्यापार था, तो कोई माध्यम रहा होगा, मुद्रा के अविष्कार से पूर्व जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, तब गौ का विनिमय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। चूंकि गाय ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जो प्रकृति से सबसे कम लेता है और वह हर रूप में उपयोगी है, जैसे गाय से घी, दूध, मक्खन, मट्ठा, गाय से खेतों के लिए बैल, गाय बैल से खेतों के लिए खाद, परिवहन के लिए बैलगाड़ी, चमड़े के लिए मृत गाय बैल और गाय बैल के लिए प्रकृति से केवल भूसे की आवश्यकता होती है।

वैदिक काल से आगे बढ़ कर यदि विश्व की सर्वाधिक उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारणों पर कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि शायद इतनी उन्नत सभ्यता, अंधाधुंध शहरीकरण का बोझ नहीं उठा सकी होगी। उन्होंने भवन बना लिए, बाँध बना लिए, मगर कहीं न कहीं प्रकृति से खिलवाड़ ही रहा होगा जिसने इतनी उन्नत सभ्यता को विनाश का मुख दिखलाया।

हड़प्पा सभ्यता के विनाश के उपरान्त आने वाली सभी सभ्यताओं ने इस उन्नत सभ्यता के इस महाविनाश से सबक लेते हुए प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए अर्थव्यवस्था का विकास किया। और इस अर्थव्यवस्था में गाय का स्थान मुख्य था। उन्होंने वेदों से गाय के संरक्षण और महत्ता को अंगीकार किया और प्रकृति के साथ समागम करते हुए अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। मौर्य काल हो, गुप्त काल हो या राजपूताना युग हो, गाय की महत्ता वही रही जो वेदों में थी। और यह मिथ्या दुष्प्रचार कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, वह अंग्रेजों की देन है। अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए और मशीन आधारित बनाने के लिए इस दुष्प्रचार को स्थापित करना आरम्भ किया कि केवल मशीनीकृत विकास ही वैज्ञानिक विकास है। और भारत के प्रकृति आधारित विज्ञान को वैचारिक स्तर पर झुठलाना आरम्भ किया। भारत यदि भारत केवल कृषि प्रधान देश था तो भारत के मसालों की सुगंध या ढाका के मलमल की कोमलता की प्रशंसा किस प्रकार सात समंदर पार पहुँची। भारत में कृषि व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी जिसमें न केवल अपनी आवश्यकता के लिए अन्न उपजाना ध्येय था बल्कि वे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण कर चुके थे। जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए यहाँ आए, तो पूरे विश्व को अपना उपनिवेश बनाने की चाह लिए अंग्रेज यहाँ कथित काले लोगों की एकता को तोड़ने में नाकाम रहे। अंग्रेजों का शासन भी व्यापार और संस्कृति पर कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाया व व्यापारी अपने क्षेत्रों में अभिनव प्रयोगों से भारतीय व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे। विश्व स्तर पर डॉलर अपना खेल नहीं खेल पा रहा था। जबकि व्यापारिक मानसिकता वाले अंग्रेज हर कीमत पर अपना अधिकार चाहते थे। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति पर सबसे पहले प्रहार करना आरम्भ किया। उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता थी, जो शरीर से तो भारतीय हों परन्तु मस्तिष्क से एकदम अंग्रेज। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले सोच पर प्रहार करते हुए भारतीयों को उनकी संस्कृति से दूर किया। उन्होंने वेदों को ग्वालों के गीत कहा और जिन वेदों ने गाय के लाभों के आधार पर गोधन बताया था, उस गाय को उन्होंने यह कहकर प्रचारित किया कि चूंकि अतिथियों के आने पर गाय और बैल के मांस को खिलाया जाता था, इसलिए उसे गोधन कहा गया।

जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा ही कृषि आधारित व्यवसाय की रही है। जिसने प्रकृति के साथ तालमेल संग अपने क़दमों को बढ़ाया है। भारत जैसे देश में प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए व्यापार का आरम्भ हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस मेरुदंड को तोड़ने के लिए जब वैचारिक कदम उठाए गए और गाय को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड न मानते हुए मात्र एक पशु की संज्ञा दी गयी वैसे ही भारतीय मेधा विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ती गयी। षड्यंत्रों का एक ऐसा चक्र बुना गया जिससे पूरा भारतीय समाज भ्रमित हो गया और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण गाय को माता के स्थान पर पशु मानने का ही चलन बढ़ गया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार होने के कारण गौ वध को क्षमायोग्य नहीं माना गया है और इसके लिए तमाम तरह के दंडों का प्रावधान था। किंतु कालांतर में इसके कर्मकांडों में परिवर्तित हो गया, और जिसके कारण दुष्प्रचार को बल मिलता रहा।

समय के साथ इस आर्थिक कुचक्र को पहचान कर कुछ संगठनों ने कार्य करना आरम्भ किया है और गौ आधारित उत्पादों को बाज़ार का अंग बनाना आरम्भ किया है जिसमें पतंजली एवं श्री श्री रविशंकर के उत्पादों को रखा जा सकता है। जब तक गाय को एक पशु मात्र के रूप में देखा जाता रहेगा प्रश्न रहेंगे परन्तु जब उसे बाज़ार के आधार के रूप में देखा जाएगा तब उसका महत्व समझ में आएगा और भारत के विश्व गुरु बनने के लिए आवश्यक है गौ और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना। क्योंकि मशीनों द्वारा संचालित डॉलर की अर्थव्यवस्था रोबोट पर समाप्त होती है तो गौ आधारित सर्वजन कल्याण मं।

गौवंश राजनीति का अखाड़ा क्यों बना डाला ?

गाय के धार्मिक पक्ष के ऊपर व्यापारिक पक्ष हावी हो रहा है। जहां व्यापार होता है वहाँ गुंडा तत्व का आना लाज़मी होता है। यह गुंडा तत्व किसी भी धर्म से जुड़े हो सकते हैं जिनका काम संरक्षण नहीं व्यापारिक भक्षण ज़्यादा होता है। गाय से संबन्धित विभिन्न पक्षों पर अमित त्यागी ने मुस्लिम जानकार, वैज्ञानिक एवं गौ संरक्षण से जुड़े देश के प्रतिष्ठित लोगों से एक परिचर्चा की जिसमे सबसे महत्वपूर्ण बात यह उभर कर आयी कि अगर हम गौ संवर्धन पर ध्यान दे पाये तो गौसंरक्षण खुद ब खुद हो जायेगा। इस पूरे विषय पर विशेष संवाददाता अमित त्यागी का एक आलेख।

गाय एक पूजनीय पशु है इसके पीछे सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण निहित हैं। गाय के गोबर एवं गौमूत्र में असंख्यक जीवाणु होते हैं जो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कृषि के संदर्भ में यह जीवाणु खेती को पल्लवित करने वाले कारक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गाय के दूध में उपस्थित तत्व अन्य दूध की अपेक्षा ज्यादा पौष्टिकता एवं ताजगी प्रदान करते हैं इसलिए गाय को माता का दर्जा दे दिया गया। सिर्फ हिन्दू धर्म में ही गाय पूजनीय हो ऐसा नहीं है, मुस्लिम धर्म के जानकारों के अनुसार हदीस में भी गाय के दूध को शिफा एवं गोश्त को नुकसानदेह बताया गया है। इसका अर्थ साफ है कि गाय को धर्म से जोड़कर इसकी आड़ में कारोबार करने वालों के निहित स्वार्थ गौ संरक्षण को चिढ़ाते रहते हैं। गाय को पूजनीय पशु से राजनैतिक पशु बनाने में जिस जिसने अपनी पशुता का परिचय दिया है उनके चेहरे छुपे रहे हैं। गाय की आड़ लेकर व्यापारिक हित ज़्यादा साधे जाते रहे हैं। कुछ लोगों ने गाय के गोश्त से खुद को मालामाल किया तो कुछ ने गाय के समर्थन में खड़े होकर अपने गैर कानूनी कामों को इसकी आड़ में छुपा लिया। खुद को गौभक्त कहने वाले इन असामाजिक तत्वों के द्वारा वास्तविक गौसेवक बदनाम हुये जो बिना किसी स्वार्थ के दिन रात गौ सेवा में लगे रहे हैं। 6 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 70-80 प्रतिशत गौरक्षक फर्जी होते हैं। यह एक बड़ा बयान था। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के इस बयान को हिन्दू विरोधी बयान माना था। कुछ विशेषज्ञों ने इसके द्वारा ऐसा जताने की कोशिश की थी जैसे प्रधानमंत्री हिन्दुओं के खिलाफ हैं। पर प्रधानमंत्री की शायद यही खूबी उनको अन्य से अलग करती है कि उनके बयान न्यायप्रिय होते हैं। सटीक समय पर आते हैं। वह चापलूस वर्ग को खुश करने के लिए जनमानस को नाराज़ नहीं करते हैं।

यदि वर्तमान समय के अनुसार देखें तो गाय को बचाने के लिए उन कथित गौ भक्तों की कतई आवश्यकता नहीं है जो गुंडागर्दी करते हैं। उन दाढ़ी वाले धर्म गुरुओ की भी आवश्यकता नहीं है जो इन गुंडों को गौ भक्त दिखाते हुये अपनी राजनीति चमकाते हैं। गाय पर राजनीति होने के कारण ही प्रधानमंत्री को इतना बड़ा बयान देना पड़ा था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी गौ हत्या पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि हम गायों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में गौवंश की हत्या बंद हो। इस कानून को प्रभावी बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। जिन राज्य सरकारों में समर्पित स्वयंसेवक हैं, उन राज्य सरकारों ने इसके लिए कानून बनाए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यह कानून पूरे देश के लिए बने। गौ हत्या के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा से इस अभियान पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि गायों की रक्षा का प्रयास करने वालों को अपना प्रयास जारी रखना चाहिये। संघ प्रमुख के केन्द्रीय कानून बनाने की मांग के पीछे की वजह वाजिब है।

अगर आस्था से जुड़ा प्रश्न है तो कुछ राज्यों में छूट क्यों ?

गौ-हत्या पर कोई केंद्रीय क़ानून नहीं है। अलग राज्यों में अलग-अलग स्तर की रोक दशकों से लागू है। भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 18 राज्यों में गौ-हत्या पर पूरी या आंशिक रोक

है। भारत की 80 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी हिंदू है फिर भी 'बीफ़' का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों में से भारत एक क्यों है ? इसकी बड़ी वजह है कि 'बीफ़', बकरे, मुर्गे और मछली के गोश्त से सस्ता होता है। यह मुस्लिम, ईसाई, दलित और आदिवासी जनजातियों के ग़रीब तबक़ों में रोज़ के भोजन का हिस्सा है। भारत के ग्यारह राज्यों कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और दो केन्द्शासित राज्यों दिल्ली, चंडीगढ़ में पूर्ण प्रतिबंध है। आठ राज्यों जिनमे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और चार केंद्र शासित राज्यों - दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऐसे प्रदेश हैं जहां आंशिक प्रतिबंध लागू है। आंशिक प्रतिबंध का अर्थ है कि गाय और बछड़े की हत्या पर तो प्रतिबंध है लेकिन बैल, सांड और भैंस को काटने और खाने की इजाज़त है।

इन सबके बीच में एक प्रश्न और उठता है कि जहां पाबंदी है वहाँ क्यों गौवंश सुरक्षित नहीं है। वास्तव में जहां गौहत्या पर पाबंदी है वहाँ उसका पालन कड़ाई से नहीं होता है। मुनाफे के इस खेल में कानून और उसका पालन करवाने वाले पैसों की चमक की चकाचौंध में खो जाते हैं जिसकी वजह से गौहत्याएँ नहीं रुकती हैं। यदि सज़ा की बात करें तो हरियाणा में एक लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है। महाराष्ट्र में गौ-हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और पांच साल की जेल की सज़ा है। न तो यह तो सज़ा कम है न ही कानून कमजोर है। कहीं न कहीं मुनाफे के इस खेल में इच्छा शक्ति कमजोर है।

गौवंश का संरक्षण नहीं संवर्धन है समस्या का हल

हम लोग चर्चाओं में गौ संरक्षण की बात करते हैं। गौ संरक्षण तो समस्या का उपचार प्रदान कर रहा है। क्यों न हम ऐसा ढांचा विकसित कर लें जिसमे गाय हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाये। ठीक वैसे ही जैसे भारत की संस्कृति में आदिकाल से चलता रहा है। गाय की उपयोगिता के आधार पर एक बिज़नस मॉडल बने और लोग खुद ब खुद गौ संरक्षण को मजबूर हो जाये। इसके लिए हमें खेती से गाय को जोड़ना होगा। गौ आधारित ज़ीरो बजट कृषि पर लौटना होगा। पदमश्री सुभाष पालेकर इस पद्वति के द्वारा वृद्ध और कमजोर गायों को भी उपयोगी बना देते हैं। रसायन के इस्तेमाल को बंद करके हमारे स्वास्थ्य को बचा देते हैं। इस कृषि की तरफ बढ़ने से गौ संवर्धन होता है और लोग भैंस की जगह गाय का दूध पीने लगते हैं। वैदिक काल में तो गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। बच्चों को विशेष तौर पर गाय का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। भैंस का दूध जहां सुस्ती लाता है, वहीं गाय का दूध बच्चों में चंचलता बनाए रखता है। गाय का बछड़ा अपनी मां का दूध पीने के तुरंत बाद उछल-कूद करता है। एक ओर घी और गोमूत्र के द्वारा आयुर्वेदिक औषधियां बनती है तो गोबर द्वारा फसलों के लिए उत्तम खाद। तो फिर गौ माता का सिर्फ संरक्षण क्यों, संवर्धन क्यों नहीं ?

> **गौमाता को नमन् करो जो हमारा जीवन है।**
> **डायलाग इंडिया का वंदन वो समाज का दर्पण है।**
> **गौमाता देवी है हमको दे दूध दही घी अमृत**
> **हम इसके आइने हैं गौवंश जीवन दर्शन हैं।**
> *साबिर जलालाबादी एवं अमित त्यागी*

केमिकल और फर्टिलाइजर ने चौपट किया गौवंश

भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुयी थी उस समय रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग के द्वारा उत्पादन बढ़ाना समय की मांग थी। भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करने में हरित क्रान्ति का योगदान भी रहा। कुछ समय के बाद इस बात का आभास होने लगा कि जिन रसायनों को हम लाभकारी मान रहे हैं वह तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बांझ बना रहे हैं। इसके बाद कृषि का मशीनीकरण प्रारम्भ हुआ। बैल से खेत जोतने के स्थान पर ट्रैक्टर से खेतों की जुताई प्रारम्भ हो गयी। लोगों ने बैल रखने बंद कर दिये। बैल कम होने का प्रभाव गायों के पालन पर पड़ा। दुग्ध उत्पादन में गाय का स्थान भैंस ने ले लिया।

यदि इतिहास को देखा जाये तो गाय, गंगा और गाँव भारतीय सभ्यता का आधार रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में गौ आधारित पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। किसानों के पास कुल कृषि भूमि की 30 प्रतिशत है। इसमें 70 प्रतिशत कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े है जिनके पास कुल पशुधन का 80 प्रतिशत भाग मौजूद है। देश का अधिकांश पशुधन, आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास है। भारत में लगभग 22 करोड़ गाय, 10 करोड़ भैंस, 14.55 करोड़ बकरी, 8.2 करोड़ भेड़, 2 करोड़ सूअर तथा 68.96 करोड़ मुर्गी का पालन होता है। भारत 121.8 मिलियन टन दुग्धउत्पादन के साथ विश्व में प्रथम, अण्डा उत्पादन में 53200 करोड़ के साथ विश्व में तृतीय तथा मांस उत्पादन में सातवें स्थान पर है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में जहाँ हम मात्र 1-2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रहे हैं वहीं पशुपालन से 4-5 प्रतिशत। इसका अर्थ साफ है कि भारत को कृषि प्रधान देश कह कर संबोधित तो किया गया वास्तव में भारत पशुपालन प्रधान देश रहा है। पशुपालन में गौवंश का बराबर का योगदान रहा। भारत को पशुपालन और कृषि से दूर करके औद्योगीकरण के रास्ते पर लाने की अन्तराष्ट्रीय साजिश ने इसको हिन्दू और मुसलमान की लड़ाई बना दिया। पहले यह काम अंग्रेजों ने किया, बाद में रासायनिक खाद बेचने वालों ने। इन सबके बीच बीफ का निर्यात करने वालों की चाँदी हो गयी। निर्यातकों ने अपने नाम मुस्लिम नामों पर रखे ताकि हिन्दू समाज दिग्भ्रमित बना रहे। गौवंश का राजनीतिकरण न सिर्फ हिन्दू और

देशी गाय का गोबर एवं गौमूत्र प्राकृतिक जीवों का महासागर है - सुभाष पालेकर

आज जब देश के जिन राज्यों में गौहत्याओं पर प्रतिबंध है वहाँ इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है, तब गायों की बढ़ती संख्या के बीच यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इन गायों का क्या किया जाये। गौ-संवर्धन एवं गौ-संरक्षण तभी सार्थक हो सकता है जब गाय की उपयोगिता सिर्फ किताबों तक सीमित न होकर ज़मीन पर दिखाई दे। जैसे जैसे लोगों को गाय की उपयोगिता का एहसास होता जायेगा वह प्राथमिकता से गौपालन करेंगे। इस दृष्टिकोण से देखने पर सुभाष पालेकर का काम महत्वपूर्ण हो जाता है। अमरावती, महाराष्ट्र निवासी शोध कृषक सुभाष पालेकर भारत मे शून्य लागत कृषि के जनक हैं। गत वर्ष भारतीय सरकार ने आपको पदमश्री से सम्मानित किया था। आत्महत्या करते किसानो के बीच में किसी किसान को पदमश्री मिलना देश मे कृषि के नये युग का आगाज माना गया था। सहज प्रवृत्ति एवं अत्यंत सरल व्यक्ति त्व के धनी पालेकर जी पूरे देश मे घूम घूम कर कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं। सीधे किसानो से संवाद करते हैं। कृषि की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। अमूमन चार से पाँच दिन चलने वाली इन कार्यशालाओं मे उनका उदबोधन जादुई होता है। कुछ समय पूर्व ऐसी ही एक कार्यशाला के दौरान अमित त्यागी की सुभाष पालेकर जी से भेंट हुयी थी। उन्होने कार्यशाला मे भाग लिया एवं बीच बीच में **सुभाष पालेकर** जी से बातचीत की।

यह शून्य लागत खेती क्या है ?

कृषि मे आजकल सबसे ज़्यादा लागत आती है फर्टिलाइजर एवं कीटनाशकों पर किये जाने वाले खर्चे पर। शून्य लागत कृषि पद्वति मे रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है इसलिए इस पर खर्च नहीं होता है। पानी की खपत भी कम हो जाती है। प्राकृतिक तरीके से खेती होने के कारण लागत शून्य हो जाती है। देशी गाय का गोबर एवं गौमूत्र इस खेती के लिये प्रमुख आवश्यकताएँ हैं।

शून्य लागत कृषि मे गाय की क्या उपयोगिता है ?

इस कृषि मे गाय की नहीं देशी गाय की उपयोगिता है। देशी गाय के एक ग्राम गोबर मे असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जीव फसल के लिये आवश्यक 16 तत्वों की पूर्ति करते हैं। इस विधि मे खास बात यह है कि फसलों को बाहर से भोजन देने के स्थान पर भोजन का निर्माण करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इस तरह इस प्रक्रिया के द्वारा 90 प्रतिशत पानी एवं खाद की बचत हो जाती है।

आप जैविक एवं रासायनिक खेती के विरोधी हैं ? इसके पीछे क्या वजह है ?

जैविक एवं रासायनिक खेती के द्वारा प्राकृतिक संसाधनो के लिये खतरा है। इनमे लागत भी ज़्यादा आती है और इनके द्वारा जहरीले पदार्थ का रिसाव होता है। यह दो तरह से नुकसान करता है। एक तो यह हमारे शरीर को प्रभावित करता हैं एवं दूसरा, इसके प्रयोग से ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती चली जाती है।

शून्य लागत कृषि को जन आंदोलन बनाने का फैसला आपने कैसे किया?

मैंने 1988 से 1995 के समयकाल मे शून्य लागत कृषि पर लगातार प्रयोग किये। इसके परिणाम आश्चर्यजनक एवं विलक्षण आये। इसके बाद अपने अनुभवों को मैंने अन्य प्रान्तों के किसानो के साथ साझा किया। इस तरह मैंने इसे जन आंदोलन बनाने का निर्णय किया।

तो अब तक लगभग कितने किसान इस जन आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं ?

यह आंदोलन सिर्फ भारत मे ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुका है। यदि भारत की ही बात करें तो लगभग 40 लाख किसान इस शून्य लागत कृषि पद्वति का प्रयोग कर रहे हैं।

इस आंदोलन मे सरकार से आपको कितना सहयोग मिला है ?

उत्तरः यह सरकारी आंदोलन नहीं है। यह पूर्णतः एक जन आंदोलन है। जनता की भागीदारी है इसमे। जहां तक सरकार की बात है तो पिछले बीस सालों मे सरकार से कोई विशेष सहयोग नहीं मिला है।

प्रश्न : आप इस आंदोलन के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं ?

उत्तरः मैं भारत के कोने कोने मे जाता हूँ। लोगों से मिलता हूँ। उनसे बात करता हूँ। कार्यशालाएँ आयोजित करता हूँ। इसके माध्यम से मैं स्थानीय कृषकों को पूरी प्रक्रिया के बारें मे

विस्तार से बताता हूँ। अब तक मैंने कितने जिलों एवं राज्यो मे मैंने सम्बोधन किये हैं मुझे याद नहीं है। देश के बाहर भी मैंने अपनी कार्यशालाएँ की हैं।

विदेशों मे कहाँ कहाँ आपका सम्बोधन हुआ है ?

उत्तर : इस तकनीक को अमेरिका, अफ्रीका समेत लगभग आधा दर्जन देशों मे अपनाया जा चुका है। वहाँ के लोग इस तरीके से आने वाले परिणामों से आश्चर्यचकित एवं उत्साहित हैं। विदेश के लोगों ने भी इस तकनीक को हाथों हाथ लिया है और इस तकनीक को अपनी फ़ार्मिंग का हिस्सा बनाया है।

प्रश्नः शून्य लागत कृषि को करने की विधि क्या है?

उत्तर- शून्य लागत कृषि मे विभिन्न चरण हैं। इसमे मुख्यत: बीजामृत एवं जीवामृत का निर्माण किया जाता है। ये देशी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से निर्मित प्राकृतिक जीवों का महासागर है। ये सूक्ष्म जीव कच्चे पोषक तत्वों को पकाकर पौधों के लिये भोजन तैयार करते हैं। बीजांमृत एवं जीवामृत को बनाने और प्रयोग करने की प्रक्रिया विस्तृत है। शून्य लागत कृषि मे अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को गहनता से समझने के लिये पूरा शिविर सुनना आवश्यक है। पुस्तकों के अध्ययन से भी विधि की जानकारी हो सकती है।

प्रश्न : जो लोग आपके बारें मे जानना चाहते हैं या इस प्रक्रिया से कृषि करना चाहते हैं। वह आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं ?

उत्तर: शून्य लागत कृषि पर मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन पुस्तकों मे कृषि को करने की पूरी प्रक्रिया सिलसिलेवार लिखी हुयी है। इसके साथ ही www.palekarzer-obudgetspritualfarming.org पर सभी जानकारी उपलब्ध है।

गायों की हालत देखकर आंखो में आँसू आ जाते हैं - रमेश भैया, विमला बहन

रमेश भैया और उनकी पत्नी विमला बहन गौ-सेवा के लिये विख्यात हैं। आप उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से 10 किमी दूर बरतारा में विनोबा सेवा आश्रम चलाते हैं। विनोबा जी से प्रेरित होकर आपने अपना सब कुछ त्याग दिया। रमेश भैया विधि स्नातक हैं और विमला बहन परास्नातक। वर्तमान में दोनों गौ सेवा में लगे हुये हैं। गौ तस्करी के लिये ले जायी जा रहीं गायें जो पुलिस द्वारा पकड़ ली जाती हैं, वह आपकी गौशाला को दे दी जाती हैं। आप बिना किसी सरकारी सहयोग के उन गायों को गौशाला में स्थान देते हैं। गौमूत्र एवं गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाकर लगभग 50 लोगों को इन गायों से रोजगार दिये हुये हैं। आपके इस निस्वार्थ सेवा के लिये आपको यश भारती एवं जमनालाल बज़ाज़ (दंपत्ति को संयुक्त रूप से) जैसे पुरुस्कार प्राप्त हो चुके हैं। गाय पर आपसे बात की अमित त्यागी ने।

आपकी गौशाला में गाय कहाँ से आती हैं ?

पुलिस दे जाती है। जब भी गौ-तस्करों से गाय पकड़ी जाती हैं। ट्रक के ट्रक वह हमें दे जाते हैं। इन गायों की हालत बड़ी दयनीय होती हैं। उनके चारों पैर नारियल की रस्सी से इतनी सख्ती से बंधे होते हैं कि खोलने पर घाव बन जाते हैं। तस्कर इन्हे तीन दिन पहले से प्यासा रखते हैं ताकि गौमूत्र विसर्जन की स्थिति में ट्रक से पानी दिख जाएगा और वह पकड़ में आ जाएंगे। यह गायें लगभग मरणासन्न होती हैं। इनकी हालत देखकर आंखो में आँसू आ जाते हैं।

आप इन गायों का खर्चा कैसे चलाते हैं ?

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुलिस को लगता है कि हमें सरकारी सहायता मिलती है इसलिए हम गौ सेवा कर रहे हैं। और जनता को लगता है कि पुलिस से हमें कुछ फायदा होता होगा इसलिए वह हमें दे जाते हैं। पर हम तो सिर्फ विनोबा जी के निर्देशानुसार गौ सेवा कर रहे हैं। आस पास के गाँव के लोगों के सहयोग से सब हो जाता है। जो लोग हमसे पेंशन या अन्य सरकारी सुविधाओं के लाभ के लिये कहने आते हैं उन्हे हम गौशाला में जोड़कर गाय उनके रोजगार का माध्यम बना देते हैं।

पुलिस द्वारा ज़्यादा गौवंश देने पर आप क्या करते हैं ?

गाय के ट्रक कब पुलिस हमें सौंप जाये। उसमे कितनी गाये हों ? हमें अंदाज़ा नहीं होता है। हम तो अपने पूरे प्रयास से अधिक से अधिक भूसे का स्टाक रखते हैं। कभी कभी कभी तो 3-4 ट्रक गौवंश एक साथ आ जाते हैं। गौसेवक है तो मना कर नहीं सकते हैं। व्यवस्था कर ही लेते हैं। जहां चाह वहाँ राह ।

विमला बहन का क्या योगदान रहता है ?

बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपका। संस्थान का हिसाब और ज़िम्मेदारी में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी प्रशासनिक क्षमता की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों और सीमित संसाधनो में संस्थान के लोग गौ सेवा कर पा रहे हैं।

गौहत्या : अंग्रेजों के बोये हुये हैं बीज़

आज भारत का दुर्भाग्य है कि विश्व में सबसे बडे मांस निर्यातक देश का दर्ज़ा चाहे-अनचाहे हमारे पास है जो कि सालाना पन्द्रह लाख टन से अधिक है। गौरतलब है कि यूरोप दो हज़ार बरसों से गाय के मांस का प्रमुख उपभोक्ता रहा है। जो पशु कभी मानव के मित्र और सहयोगी हुआ करते थे, उन पशुओं को भी उत्पाद की संज्ञा दी जाने लगी । भारत में अंग्रेजो के बढ़ते वर्चस्व के साथ ही अंग्रेजो के बुरी नज़र भारतीय गाय पर पड गई । भारत में गौ हत्या को बढ़ावा देने में अंग्रेजों ने अहम भूमिका निभाई।

जब सन् 1700 ई. में अंग्रेज़ भारत में व्यापारी बनकर आए थे, उस वक्त तक यहां गाय और सुअर का वध नहीं किया जाता था। हिन्दू गाय को पूजनीय मानते थे और मुसलमान सुअर का नाम तक लेना पसंद नहीं करते, लेकिन अंग्रेज़ इन दोनों ही पशुओं के मांस का सेवन बड़े चाव से करते हैं। भारत मे पहला कत्लखाना 1707 ईस्वी ने रॉबर्ट क्लाएव ने खोला था। उसमे रोज की 32 से 35 हजार गाय काटी जाती थी। 18वीं सदी के आखिर तक बड़े पैमाने पर गौ हत्या होने लगी। यूरोप की ही तर्ज पर अंग्रेजों की बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी सेना के रसद विभागों ने देशभर में कसाईखाने बनवाए। जैसे-जैसे भारत में अंग्रेजी सेना और अधिकारियों की तादाद बढ़ने लगी वैसे-वैसे ही गौहत्या में भी बढ़ोतरी होती गई। ख़ास बात यह रही कि गौहत्या और सुअर हत्या की वजह से अंग्रेज़ों को हिन्दू और मुसलमानों में फूट डालने का भी मौका मिल गया। अंग्रेजों के शासनकाल में गाय-बैलों का दुर्दांत क़त्ल आरम्भ हुआ और गोवंश का मांस, चमडा, सींग, हड्डियाँ आदि एक बड़े लाभ वाले व्यवसाय बन कर उभरे। ब्रिटिश फ़ौज में गोमांस पूर्ति के के लिए गौमाता को क़त्ल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम कसाइयों को इस धंधे में लगाया ताकि हिन्दू-मुसलामानों का आपस में बैर बढे। उनकी फूट डालो शासन करो वाली नीति कामयाब हो । भारतीय गरीब दूध न देने वाली गाय बेचने के लिए विवश था और लोभी इसका लाभ उठाने के लिए तैयार बैठे थे 7 अगर हम इतिहास के कुछ पुराने पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है कि भारत में एक लम्बे समय तक शासन करने वाले मुगलों के साम्राज्य में गौहत्या पर पूरी पाबंदी थी। बाबरनामे में दर्ज एक पत्र में बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को नसीहत करते हुए कहा था कि तुम्हें गौहत्या से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम हिन्दोस्तान की जनता में प्रिय रहोगे। इस देश के लोग तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारे साथ उनका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा।

आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने भी 28 जुलाई 1857 को बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी न करने का फ़रमान जारी किया था। साथ ही यह भी चेतावनी दी थी कि जो भी गौहत्या करने या कराने का दोषी पाया जाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। उस समय के एक उर्दू पत्रकार मोहम्मद बाकर जिनको अंग्रेजों ने बगावती तेवरों के लिए मौत की सजा सुनाई थी, अपने उर्दू अखबार के ज़रिये गौहत्या के खिलाफ अलख जगाने का काम बखूबी करते रहे ।उन्होंने मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच खाई खोदने के लिए गौहत्या को इस्तेमाल करने के अंग्रेजी कारनामो को कई बार उजागर किया । भारत में गौ हत्या को रोकने के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा है।

यह जगज़ाहिर है कि गौहत्या से सबसे बड़ा फ़ायदा गौ तस्करों और गाय के चमड़े का कारोबार करने वाले बड़े कारोबारियों को ही होता है। इन वर्गों के दबाव के कारण ही सरकार गौहत्या पर पाबंदी लगाने से गुरेज़ करती है। वरना दूसरी क्या वजह हो सकती है कि जिस देश में गाय को माता के रूप में पूजा जाता हो, उस देश की सरकार गौहत्या को रोकने में नाकाम है। कुरान में गौहत्या करना आवश्यक विधि नहीं है7 हज़रत मुहम्मद साहब ने फरमाया है कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मज़हब के इन्सान को नाहक तकलीफ पहुंचाई तो मैं उस गैरमुस्लिम की तरफ से क़यामत के दिन उस खुदा के सामने उस मुसलमान के विरुद्ध खड़ा हूँगा, इंसाफ दिलाऊंगा7 किसी का दिल दुखाना यों भी शरियत में गुनाह है7 मुसलमान वही है जो ज़ालिम का साथ कभी ना दे, और अपने आस पास रहने वाले दुसरे धर्म के लोगों का दिल ना दुखाये। हदीस में भी गाय के दूध को फ़ायदेमंद और गोश्त को नुकसानदेह बताया गया है।

तस्वीर बिलकुल साफ़ है 7 गाय का क़त्ल उसके मांस के निर्यातको के साथ-साथ चमड़े,हड्डी आदि के व्यापारियों की काली करतूत का हिस्सा है 7 एक आम भारतीय मुसलमान गाय के मांस को उसके साथ जुडी श्रद्धा और अपने धर्म में दी गई हिदायतों के मद्देनज़र इस्तेमाल नहीं करता। कुछ शरारती लोग जुर्म करने से बाज़ नहीं आते, पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की हिमायत पूरा मुस्लिम समाज करता है। अब सवाल आता है गाय के चमड़े का कारोबार करने वाले क्या गौ हत्या न कराने का संकल्प लेकर इस पेशे से हो रहे भारी मुनाफ़े को छोड़ने के लिए तैयार हैं ? क्या दूध न देने वाली गायों के लिए हम आर्थिक लाभ के नज़रिए से हटकर गौशालों की व्यवस्था करने को तैयार हैं ? और इन सबसे बड़ा सवाल .... क्या हमारी सरकार गौरक्षा एवं विकास विषय को अपनी प्राथमिकता सूची में लाकर केन्द्रीय कानून बनाकर गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने को तैयार है ?

-आमिर खुर्शीद मालिक
संपादक(लोकतान्त्रिक मीडिया)

मुसलमानों में विवाद पैदा करने की अन्तराष्ट्रिय साजिश है बल्कि भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को चौपट करना भी इसका एक उद्देश्य रहा है।

सरकार की नीतियों की विफलता भी है एक वजह

आज़ादी के सत्तर साल बाद तक भी हमारी सरकारें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा एवं रोजगार जैसे मूलभूत अधिकारों को अभी तक उपलब्ध नहीं करा पायी हैं। भारत को कृषि प्रधान तो कहा गया

अमेरिकी अनुसंधान कायल हैं दूध की रोगप्रतिरोधक क्षमता के

भारतीय गाय का दूध विदेशी गायों की तुलना मे बहुत उपयोगी है। भारतीय गाय के दूध में Proline अपने स्थान 67 पर अपने निकट स्थान 66 पर स्थित,mino Acid Isoleucine से Peptide बँध (Bond) बनाकर रहता है। उत्परिवर्तन (Mutation) के कारण जब Proline के स्थान पर ।listidine आ जाता है तब इस Histidine में अपने निकट स्थान 66 पर स्थित Isoleucine से मजबूती से नही जुड़ा रह पाता तथा मानव शरीर में आसानी से टूट जाता है। इस प्रक्रिया से एक 7 AminoAcid का छोटा प्रोटीन मानव शरीर में BCM 7 (Beta Caso Morphine|) बना लेता है। BCM 7 एक Opioid (narcotic) अफीम परिवार का तत्व है। जो बहुत शक्तिशाली O&idant एजेंट के रूप में दूरगामी दुष्प्रभाव छोडता है। यह दूध उन विदेशी गौओं में पाया गया है जिन के डीएन मे 67 स्थान पर Proline न हो कर Histidine होता है। इसे ए1 प्रकार का दूध कहा गया जबकि ए2 दूध मे BCM7 नही पाया जाता है। अनुसंधान अभियान में जो स्वष्टरूरहित दूध पाया गया उसे ए2 नाम दिया गया। सुखद बात यह है कि विश्व की मूल गाय की प्रजाति के दूध मे, यह विष तत्व BCM7 नहीं मिला, इसी लिए देसी गाय का दूध ए2 प्रकार का दूध पाया जाता है।

देसी गाय के दूध मे यह स्वास्थ्य नाशक मादक विष तत्व बीसीएम7 नही होता। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से अमेरिका में यह भी पाया गया कि ठीक से पोषित देसी गाय के दूध और दूध के बने पदार्थ मानव शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होने देते। भारतीय परम्परा में इसी लिए देसी गाय के दूध को अमृत कहा जाता है।

बाल्य काल के रोग Pediatric disease.

आजकल भारत वर्ष ही में नही सारे विश्व मे जन्मोपरान्त बच्चों में जो autism बोध अक्षमता और Diabetes type1 जैसे रोग बढ रहे हैं उन का स्पष्ट कारण ए1 दूध का BCM 7 पाया गया है। मानव शरीर के सभी metabolic degenerative disease शरीर के स्वजन्य रोग जैसे उच्च रक्त चाप high blood pressure ह्रदय रोग Ischemic Heart Disease तथा मधुमेह Diabetes का प्रत्यक्ष सम्बंध BCM7 वाले ए1 दूध से स्थापित हो चुका है। यही नही बुढापे के मांसिक रोग भी बचपन में ए1 दूध का प्रभाव के रूप मे भी देखे जा रहे हैं। आज यदि भारतवर्ष का डेरी उद्योग हमारी देसी गाय के ए2 दूध की उत्पादकता का महत्व समझ लें तो भारत सारे विश्व डेरी दूध व्यापार में सब से बडा दूध निर्यातक देश बन सकता है। आज सम्पूर्ण विश्व में यह चेतना आ गई है कि बाल्यावस्था मे बच्चों को केवल ए2 दूध ही देना चाहिये। ए2 दूध देने वाली गाय विश्व में सब से अधिक भारतवर्ष में पाई जाती हैं।

इसलिए ये ज़रूरी है कि विकास की अंधकार भारी ज़िंदगी मे कही हम अपनी बहुमुल्य गौ संपदा को खो ना दे।और ज़हर पीना शुरू कर दें। अपने बच्चों को हम देशी गाय का ही दूध पिलाए ना की हाइब्रिड या पैकेट दूध। भैंस का दूध भी उतना उपयोगी नही जितना कि गाय का।इसलिए ये ज़रूरी है कि हम गाय को बचकर भारतीय सभ्यता के उत्थान मे अपना योगदान दे तथा अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएँ।

-डॉ स्वप्निल यादव
जैव प्रोद्योगिकी विभागाध्यक्ष

किन्तु किसान का हाल बदतर रहा। उसके मूलभूत अधिकारों से दूर रहने के कारण इस वर्ग का ध्यान कृषि क्षेत्र से हटा। किसान आत्महत्याएँ करने लगे। रसायनो ने जल स्तर नीचे कर दिया। औद्योगीकरण ने ग्लोबल वार्मिंग कर दी तो वर्षा चक्र अनियमित हो गया। कुल मिलकर जैसे ही हमने गाय को छोड़ा, प्रकृति ने हमारा साथ छोड़ दिया। गाँव का किसान लाचार हो गया। सरकार ने कृषि को प्रोत्साहन कम मुआवजा ज़्यादा दिया। किसान शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में पलायन कर गया। इसके द्वारा धीरे धीरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संतुलन चरमराने लगा। अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के देशों में शहरी जनसंख्या अब गाँव का रुख कर रही है वहीं भारत मे इसका उल्टा हो रहा है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फ़र्म 'मेकंजी' की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2025 के बीच के दशक में विकसित देशों के 18प्रतिशत बड़े शहरों में आबादी प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत की दर से कम होने जा रही है। पूरी दुनिया में 8प्रतिशत शहरों में प्रतिवर्ष 1-1.5 प्रतिशत शहरी जनसख्या कम होने का रुझान होना संभावित है। भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी किन्तु कृषि व्यवस्था चौपट होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या का पलायन शहरों की तरफ हुआ। शहरीकरण में गौवंश पालना कम हो गया। भारत में गाँव से शहर की तरफ पलायन निरंतर बढ़ते क्रम में दिखता है। यदि पिछले 70 सालों की जनसंख्या औसत की तुलना करें तो 1951 में शहरों में रहने वाली जनसंख्या 17.3 प्रतिशत थी। 2011 में यह औसत 31.16 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह हमारी नीतियों, उनके अनुपालन में कोताही एवं अधिकारों के जमीनी स्तर पर न पहुचने का दुष्परिणाम है कि पिछले सात दशक में ग्रामीण शहरों की तरफ आकर्षित हुये। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन के द्वारा यह औसत अब लगभग दुगना होने की कगार पर है।

कृषक संरक्षण एवं गौवंश संवर्धन से ही होगा समृद्ध राष्ट्र निर्माण।

अब एक बात तो साफ है। समृद्ध देश का निर्माण बिना गौवंश के नहीं हो सकता है। इसके पीछे तर्क भी है। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पीछे जो कारण निकल कर आ रहे हैं वह है कि या तो उन्हे अपनी ज़मीन से लागत के बराबर भी मूल्य नहीं मिल रहा है। या पानी की समस्या है और कृषि प्रभावित हो रही है। सरकार ऋण देती है तो वह उसको चुका नहीं पाते हैं। ऋण माफी की स्थिति में ऋण तो माफ हो जाता है किन्तु किसान को कुछ नहीं मिल पाता है। ऋण तो वह पहले ही अपनी बंजर भूमि में लगा चुका होता है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से यदि परिवार का कोई बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। इन सबका एक ही समाधान दिखता है गौपालन। गौपालन को प्राथमिकता में लाकर एवं गौहत्या पर केन्द्रीय कानून बनाकर कृषि, कृषक, गौवंश, भूमि, वर्षा चक्र एवं स्वास्थ्य सबका एक साथ संरक्षण किया जा सकता है। इसलिए गाय हमारी माता है। जब माता संरक्षित होगी तो पुत्र को कुछ नहीं हो सकता है। ■

आस्था बचाने से रुकेगा गोवंश का कत्ल

● अरुण तिवारी

उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों को इस आधार पर बंद किया गया कि वे कानूनन अवैध थे। गोरक्षा के नाम पर हिंसात्मक कार्रवाई करने वालों को भी इसी आधार पर चुनौती दी जा रही है कि उनकी हरकत कानूनन अवैध व अमानीवीय है। गोरक्षा के लिए औजार के तौर पर मांग भी गोवंश-कत्ल पर पाबंदी कानून के रूप में सामने आई है। किंतु दुखद है कि गोरक्षा के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष के बंटवारे का आधार कानून अथवा मानवता न होकर, संप्रदाय व दलीय राजनीति हो गया है। हिंदू संगठन यह स्थापित करने में जुटे हैं कि हिंदू, गाय के पक्षधर हैं और मुसलमान, गाय के दुश्मन हैं। मुद्दे पर राजनैतिक दलों के बंटवारे का आधार यह है कि वे मुसलमानों के पक्षधर हैं अथवा हिंदुओं के। राजनैतिक विश्लेषक इसे गाय अथवा संप्रदाय की पक्षधरता की बजाय, वोट को अपनी-अपनी पार्टी के पक्ष में खींचने की कवायद के रूप में देख रहे हैं। मेरा मानना है कि राजनीति, राज करने की नीति होती है। इसका गोवंश की रक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। लिहाजा, जब तक गाय पर राजनीति होती रहेगी, गोवंश की लौकिक नीति और परालौकिक रीति कभी न सुनी जायेगी और न गुनी जायेगी।

सांप्रदायिक मसला नहीं है गोवंश का कत्ल

शांत मन से सुनने लायक आंकड़े ये हैं कि भारत में गोवंश भी बढ़ रहा है और गोदुग्ध का उत्पादन भी। यदि कुछ घट रही है, तो बूढ़ी गायों की संख्या तथा बछड़े व बैलों की वृद्धि दर। बछड़ों और बैलों की वृद्धि दर। वर्ष - 2012 में हुई शासकीय गणता बताती है कि 2007 की गणना की तुलना में गायों की संख्या में 6.52 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष - 2012 में गायों की संख्या 1229 लाख दर्ज की गई। आंकड़े गवाह हैं कि वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2015 तक सिर्फ वर्ष 1975 ही एक ऐसा वर्ष आया, जब पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष गाय के दूध का उत्पादन कम हुआ है; वरना् भारत में गाय के दूध का उत्पादन हर वर्ष बढ़ा ही है। 69 लाख, 18 हजार मीट्रिक टन (वर्ष 1966) की तुलना में छह करोड़ 35 लाख मीट्रिक (वर्ष 2015) टन हो गया। गोदूध उत्पादन की वर्तमान वृद्धि दर, 4.96 प्रतिशत है। इन आंकडों से यह भी स्पष्ट है कि मुद्दा गाय नहीं, गोवंश का कत्ल है। कत्ल भी सामान्य गाय की बजाय, बछड़े; बैल और बूढ़ी गायों का ही ज्यादा है। चिंताजनक है कि बछड़े तथा बैलों की वृद्धि दर में 12.75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

अब प्रश्न आता है गौवध और गौमांस बिक्री तथा खानपान के कारण क्षतिग्रस्त होती हमारी आस्था का। प्रश्न किया जाना चाहिए कि क्या गौमांस के लिए उपलब्ध सारा गोवंश, चोरी करके बेचा जाता हैं ? नहीं, वह बिक्री करके आता हैं। अगला प्रश्न है कि गौवध के लिए बूढ़ी गायों, बैलों और बछडों को बेचता कौन है ? क्या गोवंश बेचने वाले सभी गोपालक, गैर हिंदू हैं ? क्या सभी गो विक्रेता, गौमांस विक्रेता, खरीददार और कत्लखानों के मालिक सिर्फ मुसलमान हैं ? नहीं, तो फिर गोवंश का कत्ल, एक संप्रदाय विशेष के विरोध का मसला कैसे हो गया ?

अत: विनम्र निवेदन है कि गाय पर राजनीति कभी भी न की जाय। इसे राजनैतिक अथवा सांप्रदायिक वर्चस्व का हथियार बनने से सदैव रोका जाय। गोकशी करने वालों को मौत के घाट उतार देने से भी गोवंश की रक्षा संभव नहीं है। पाबंदी कानून बनाने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि गोपालक बछड़ों तथा बूढ़े-बीमार गोवंश को कसाइयों के हाथों बेचने की बजाय, जब तक वे जिंदा हैं, उनकी सेवा करें।

क्या भारत का गोपालक समाज इतना आस्थावन है कि इसकी कसम ले सके ? यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। वरना पाबंदी कानून का उल्ट नतीजा यह होगा कि छुट्टा छोड़े गोवंश के कारण कई इलाकों में खेती करना मुश्किल हो जायेगा। नीलगायों को लेकर हमारा रवैया और उन्हे मारने को लेकर जारी आदेशों से हम परिचित हैं ही।

आज का हमारा सच यही है। क्या हम इसे नकार सकते हैं ? यदि नही तो मैं कहूंगा कि भाई, गौमांस पर पाबंदी कानून बनाने अथवा संपद्राय विशेष को जिम्मेदार ठहराने मात्र से गोवंश की रक्षा संभव नहीं है।

गांधी जी की गाय पर प्रबल आस्था थी। गांधी जी ने एक जगह कहा - गाय के नष्ट होने के साथ, हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायेगी। गाय की रक्षा करो, सब की रक्षा हो जायेगी। गोरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए ही गांधी जी ने एक समय जमनालाल बजाज जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को गोशालाओं की जिम्मेदारी सौंपी। इस आस्था के बावजूद गांधी ज़मीनी हकीकत से परिचित थे। अत: एक फरवरी, 1942 में गो-पालकों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होने चेताया था

– 'मुसलमानों से गोकशी छुडाने के लिए उनका विरोध किया जाता है। गायों को बचाने के लिए इंसानों का खून तक हो जाता है। लेकिन मैं बार-बार कहता हूं कि मुसलमानों से लडने से गाय नहीं बच सकती।''

मेरा मानना है कि गाय को सांप्रदयिक अथवा राजनैतिक वर्चस्व का हथियार बनाने से गोवंश की भला होने की बजाय, बुरा ही होगा। मेव, वनगुर्जर, बक्करवाला, धनगड़, गडरिया, बंजारा से लेकर तमाम हिंदू-मुसलिम पारंपरिक मवेशीपालक समुदायों में से गैर हिंदू समुदाय के मन में भेद पैदा हो सकता है कि गाय तो हिंदुओं की है, वे क्यों पाले-पोसें। अलवर के मेवों ने गाय वापसी अभियान चलाकर इस विभेद का इजहार भी शुरु कर दिया है। विभेद की बेडियां, अक्सर बाधा बनकर हमारी गति रोकती रही है। इन बेडियों को काटकर ही भारत, विकास की समग्रता और गति अनवरत् बनाये रख सकता है।

कितनी उचित, मुनाफे के आधार पर पैरोकारी ?

बुनियादी प्रश्न है कि गोवंश का कत्ल कैसे रुके ? क्या मुनाफे का गणित बताकर यह संभव है ? याद कीजिए कि महात्मा गांधी जी ने भी गाय से मुनाफे के गणित को दुरुस्त करने का रास्ता बताने की कोशिश की थी। उन्होने अधिक दूध देने वाली गायों की बात की थी। गोशालाओं में खेती और गोपालन की शिक्षा व महत्ता बताने का भी प्रबंध की बात कही थी। अच्छे सांडों को रखने की सलाह दी थी। गोमृत्यु के बाद, उसके चमडे़ हड्डी, मांस और अंतडियों का उपयोग करने की सलाह दी थी। हर गोशाला के साथ चर्मशाला की बात भी वह कहते थे। गांधी जी ने अपने आश्रम में ऐसी व्यवस्था भी की थी। गोसेवा संघ के सदस्यों के लिए शर्त थी कि वे गाय का ही दूध, दही, घी आदि सेवन करेंगे तथा मुर्दा गाय-बैल का चमडा काम में लायेंगे। किंतु सच यह है कि गांधी जी को खुद भी यकीन नहीं था कि गणित के बल पर गोवंश को बचाया जा सकेगा। इसीलिए वे यह बताना कभी नहीं भूले कि गोशालाओं का काम, दूध का व्यवसाय करना नहीं है। उनका काम सूखे, बूढ़े और अपाहिज गोवंश का पालन करना है। मुझे लिखते हुए अफसोस है कि गोवंश के अत्यंत विद्वान पैरोकार भी आज गाय को गोधन अथवा गो सम्पदा कहकर पेश कर रहे हैं। वे हमें समझाते हैं कि गाय से प्राप्त होने वाले तत्वों में पोषक तत्व और औषधीय गुण कितने उम्दा हैं; गोवंश से हमें कितना मुनाफा है। ऐसे में यदि हमारे गोपालक, नफा-नुकसान के गणित पर गोपालन की लौकिक व्यवहार नीति तय कर रहे हैं, तो अफसोस क्यों ?

व्यवहार यह है कि ज्यादातर इलाकों में ट्रैक्टर ने बैल की जगह ले ली है। बैल-बछडे. से चलने वाले टयुबवैल हैं, लेकिन हम उसे बढ़ावा नहीं दे रहे। मुनाफे का कुल गणित दूध, गोबर, गोमूत्र और बछिया संतान पर आकर टिक गया है। गाय के कारण सकारात्मक ऊर्जा, देवत्व का भाव आदि अदृश्य मुनाफे की बातें उनके गणित में शामिल नहीं है। गाय का दूध लाख पौष्टिक हो; दूध के दाम, वसा के मानक पर तय करने का बाजार नियम है। अधिक वसायुक्त होने के कारण, भैंस का दूध, गाय के दूध से मंहगा बिकता है। गाय कम दूध देती है; भैंस ज्यादा दूध देती है। इसी कारण गाय सस्ती बिकती है; भैंस महंगी बिकती है। गाय के सस्ता होने के कारण जिन इलाकों में चारागाह नहीं बचे हैं; जिन इलाकों में गेहूं जैसी चारा फसलों की खेती न के बराबर होती है; जिन किसानों का जोर पूरी तरह नकदी फसलों पर है अथवा चारे का संकट है, वे दूध न देने के दिन आने पर गाय को छुट्टा छोड देते हैं अथवा बेच देते हैं। वे सोचते हैं कि जितने रुपया का चारा गाय-बछडे को खिलायेंगे; दूध खरीदकर पीयेंगे, उतने में तो दूसरी गाय ले आयेंगे। कम पानी और चारे के दिनों में गाय को इंजेक्शन लगाकर मरने के लिए छोड़ देने की प्रवृति से हम वाकिफ हैं ही। मुर्गा, मछली आदि अन्य की तुलना में गौमांस सस्ता बिकता है; इस कारण भी जिंदा गोवंश से ज्यादा मुर्दा गोवंश की बिक्री ज्यादा हैं।

सच मानिए, नफा-नुकसान के इस गणित के कारण ही बिना दूध की गायें, आज बिकने को विवश हैं और बछडे़ कटने को। इसी गणित के कारण, मवेशी दूध कम दे, तो बिक्री जाने वाले दूध में कटौती नहीं की जाती, घर के बच्चे के दूध में कटौती कर दी जाती है। इसी गणित के कारण, संताने आज मां-बाप को बोझ मानती दिखाई दे रही हैं। इसी कारण हर रिश्ते का मानक नफा-नुकसान हो गया है। इसी गणित को पेश करने के कारण, पोषण करने वाली पृथ्वी के पंचतत्वों का शोषण बेतहाशा बढ़ गया है; करोडों खर्च के बावजूद गंगा की मलीनता बढ़ गई है; प्रवाह घट रहा है; तो गोवंश क्यों नहीं घटेगा ? यह सबके शुभ को छोडकर, सिर्फ लाभ की परवाह करने वाला नया व्यापारिक और निहायत व्यक्तिवादी चरित्र है। इस चरित्र के रहते माताओं का संरक्षण कदापि नहीं हो सकता।

गाय मां है, मुनाफा कमाने की कोई वस्तु नहीं

लाख मुनाफा हो, तो भी मातायें मुनाफा कमाने की वस्तु नहीं हैं। यह परालौकिक भाव है। समझना होगा कि इस परालौकिक भाव होने पर हम पत्थर को भी पूज्यनीय मानकर, हर हाल में संजोते है। इस परालौकिक भाव ने ही सदियों से गो, गंगा, गायत्री को संजोने का लौकिक कार्य किया है। यह भाव कोई मोलभाव नहीं करता, न तर्क मांगता है; यह सिर्फ समर्पण करता है। इसका एकमेव आधार, श्रृद्धा होता है। श्रृद्धा, विश्वास से आती है। विश्वास, व्यवहार से आता है। व्यवहार का आधार, हमेशा हमारा चरित्र ही होता है। सहअस्तित्व और सहजीवन, सिर्फ सहायक तत्व होते हैं। परिस्थिति भी, हमेशा इसका अपवाद पेश नहीं कर पाती। आज भी यह भाव पूर्णतया मरा नहीं है। सिर्फ इस भाव का ह्रास हुआ है। हम गो, गंगा और अपनी जन्मना मां को मां मानते जरूर हैं, किंतु संतानवत् व्यवहार करना लगभग भुला दिया हैं। कटु सत्य है कि धर्मसंसदों में भी इनके खूब जयकारे हैं, लेकिन ज़मीनी सरोकार के नाम पर, सिर्फ जुबानी फव्वारे हैं। संरक्षण के नाम पर खुल रही फंड आधारित गोशालाओं को हमारा 'एनजीओ चरित्र' ले डुबा है। इसका कारण न राजनीति है और न लोकनीति, यह विशुद्ध रूप से हमारे चारित्रिक और सांस्कृतिक गिरावट का परिणाम है। इसे मुनाफा नहीं, चारित्रिक शुचिता की दरकार है।

अत: गोवंश के पैरोकार, यदि सचमुच गोमाता की समृद्धि चाहते हैं, तो गणित बताना तथा राजनीति व संप्रदाय की फांस लगाना बंद करें; जीव-जीव और जीव-जड़ के परालौकिक संबंधों की शुचिता बताना और अपने व्यवहार में शुचिता बढ़ाना शुरु करें; तभी मां के प्रति हमारा व्यवहार बदलेगा; शुचितापूर्ण संबध का संस्कार पुनर्जीवित होगा और गो, गंगा, गायत्री, पृथ्वी से लेकर हमें जन्म देने वाली माता तक की रक्षा हो सकेगी। ■

अमित शाह के स्वर्णकाल की कल्पना!

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अमित शाह द्वारा जताई गयी मंशा साफ़ संकेत करती है कि अभी वे इतने भर से संतुष्ट नहीं है बल्कि भाजपा के विस्तार के लिए वो परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाएंगे.

© EPA

● शिवानन्द द्विवेदी

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक इसबार देश के पूरब छोर पर स्थित ओडिसा के भुवनेश्वर में हुई। इस कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अभी यह भाजपा का स्वर्ण काल नहीं है। उनका आशय यह था देश के हर राज्य में हर स्तर तक भाजपा की सरकार बनाना उनका लक्ष्य है। अभी की स्थिति में अगर देखें तो निर्विवाद रूप से भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के सत्रह राज्यों में भाजपा और इसके गठबंधन की सरकारें हैं। तेरह राज्यों में अकेले भाजपा की सरकार है। देश के 58 फीसद भूभाग पर भाजपा की सत्ता है। इतने के बावजूद भी अगर भाजपा अध्यक्ष कहते हैं कि यह भाजपा का स्वर्णकाल नहीं है, तो उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा को इन तमाम उपलब्धियों के करीब ले जाने में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय छवि वाले नेतृत्व और अमित शाह के कुशल संगठन की बड़ी भूमिका है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अमित शाह द्वारा जताई गयी मंशा साफ़ संकेत करती है कि अभी वे इतने भर से संतुष्ट नहीं है बल्कि भाजपा के विस्तार के लिए वो परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाएंगे। खैर, वर्तमान भाजपा को समझने के लिए हमे अतीत की भाजपा पर एक संक्षिप्त नजर डालनी होगी। भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए पूरब के छोर पर स्थित ओड़िसा को चुना। बीस साल बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ओड़िसा में हुई है। इन बीस वर्षों में भारतीय राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। सियासत के सारे समीकरण नए ढंग से परिभाषित होने लगे हैं।

भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी का कथन 'अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा' अब सच दिखने लगा है। हालांकि जब अटल जी यह भाषण दे रहे थे तब भाजपा केंद्र की सत्ता में दूर-दूर तक कहीं नहीं थी। भाजपा को अपनी स्थापना के बाद पहली बार सत्ता में आने के लिए सोलह वर्ष का इन्तजार करना पड़ा था। बीस वर्ष पहले वर्ष 1996 में भाजपा की गठबंधन सरकार बन गयी थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वह सरकार 13 दिन में ही गिर गयी थी। वर्ष 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वह सरकार 13 महीने ही चल पाई थी और महज एक वोट से गिर गयी। अपना इस्तीफा देने से पूर्व लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने देश की जनता का जनादेश हासिल करने का विश्वास जताया था और उनका विश्वास सही साबित हुआ। वर्ष 1999 के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीत कर आई और अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। उस समय बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का 1980 में दिया गया भाषण सच साबित हो चुका है, लेकिन वह प्रण अभी पूर्ण नहीं था जिसमे उन्होंने कहा था कि ''अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।'' सत्ता में होने के बावजूद भी वह भाजपा का स्वर्णकाल नहीं था।

भारतीय राजनीति में वह भाजपा के लिए पहली पीढ़ी के नेताओं का दौर था जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म

मानव दर्शन को अपनी वैचारिक थाती के रूप में लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वर्ष 2004 में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार जाती रही और कांग्रेसनीत यूपीए सरकार बनी तब एकबार फिर कमल का सूरज अस्त की ओर बढ़ता नजर आया, अंधेरा घिरने लगा था। बेशक उस दौर में भाजपा की सरकार बनी थी लेकिन उसके दायरे सिमटे हुए थे। पूरब में बंगाल, ओड़िसा और पूर्वोत्तर के राज्यों सहित दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं हो सकी थी। जनाधार हासिल करने, संगठन खड़ा करने के स्तर पर बहुत कुछ करना शेष रह गया था। पश्चिम में गुजरात को भाजपा की झोली में डालने और उसे सतत बरकरार रखने का श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है। भाजपा के बुनियादी जनाधार वाले उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी भाजपा की स्थिति बेहतर होने की बजाय कमजोर होने लगी थी।

दस वर्ष के वनवास के बाद वर्ष 2014 भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी लेकर आया और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू चला और उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने करिश्माई परिणाम दिए। लिहाजा आज फिर भाजपा सत्ता में है। भाजपा का दारोमोदार दूसरी पीढ़ी के नेताओं के हाथ में है। देश में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार चल रही है। ऐसे में अगर वर्तमान नेतृत्व अभी इतने से भी संतुष्ट नहीं है तो इसका सा मतलब है कि उसे भाजपा के भविष्य को लेकर अभी बहुत कुछ करना है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली को जो लोग करीब से जानते हैं, वो इनके परिश्रम क्षमता को अवश्य जानते होंगे। दूरगामी सोच और कठोर अनुशासन इनके कार्य पद्धति का हिस्सा है। दोनों ही एक सामान्य कार्यकर्ता से शुरू करके सर्वोच्चता तक पहुंचे हैं। संगठन की बुनियादी समझ के मामले में दोनों ही निपुण हैं।

आज अगर अमित शाह कार्यकर्ताओं को यह सन्देश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यह अभी भाजपा का सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो उनकी नजर उन राज्यों पर है जहां भाजपा को मजबूत करना है और सरकार में लाना है। गौरतलब है कि अमित शाह ने यह बयान ओड़िसा में दिया है। ओडिसा और पश्चिम बंगाल सीमावर्ती राज्य हैं। ओडिसा में अभी हाल में हुए एक लोकल निकाय चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली है तो वहीं पश्चिम बंगाल के कांठी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर दूसरे पायदान पर जगह बना ली है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांठी सीट पर भाजपा को 9 फीसद वोट मिले थे जो अब 30 फीसद है। यह भाजपा के लिए उत्साह जनक परिणाम है। ओड़िसा में विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा की आशाएं प्रबल हैं।

अमित शाह अगर कहते हैं कि यह भाजपा का अभी स्वर्णकाल नहीं है तो उनके लक्ष्यों का सहज अंदाजा लगाते हुए यह मान लेना चाहिए कि अभी भाजपा और मजबूत होने वाली है.

अगर आगामी चुनावों में भाजपा ओड़िसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अच्छा कर पाती है तो यह भाजपा को उसी स्वर्णकाल की तरफ ले जाएगा, जिस लक्ष्य को अमित शाह साधे हुए बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तुष्टिकरण की जो छिछली सियासत की हदें पार की हैं, उससे तो भाजपा एक बेहतर विकल्प के रूप में वहां नजर आ रही है। ओड़िसा में भी अब भाजपा को ही लोग विकल्प के रूप में स्वीकार करने लगे हैं, ऐसा पिछले लोकल स्तर के चुनावों से स्पष्ट हो रहा है। भाजपा की नजर दक्षिण राज्यों में भी है। कर्नाटक में तो भाजपा 2008 में आ चुकी है लेकिन केरल और तमिलनाडु अभी भी भाजपा की पहुंच से बाहर हैं। हालांकि केरल में भाजपा के मत फीसद में जिस ढंग से इजाफा हो रहा है और वहां कम्युनिस्टों द्वारा भाजपा एवं संघ कार्यकर्ताओं पर बर्बर हिंसा की जा रही है, वह भाजपा के मजबूत होते जनाधार का द्योतक है।

अमित शाह एक कुशल और दूरगामी सोच रखने वाले संगठनकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी एक परफॉर्मर प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और देश की जनता से नियमित संवाद करने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। ऐसे मोदी और शाह की जोड़ी अगर उन राज्यों में भी भाजपा की भगवा पताका फहरा दे तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी जोड़ी ने 2014 के बाद उन जगहों पर भाजपा के जनाधार को मजबूत किया है, जहाँ कोई कल्पना भी नहीं करता था। राजनीतिक पंडितों के लिए जो अकल्पनीय है, वो मोदी और शाह के लक्ष्य बिंदु हैं। और, उन लक्ष्यों को लगातार भाजपा हासिल भी करती जा रही है। आमतौर पर किसी भी सरकार के तीन साल बाद लोकप्रियता कम होती है लेकिन मोदी इस मामले में भी परंपरागत धारणाओं को धता साबित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह अगर कहते हैं कि यह भाजपा का अभी स्वर्णकाल नहीं है तो उनके लक्ष्यों का सहज अंदाजा लगाते हुए यह मान लेना चाहिए कि अभी भाजपा और मजबूत होने वाली है। भगवा पताका का विस्तार अभी और बड़ा होने वाला है। ■

आर. के. सिन्हा
सांसद, राज्यसभा

लेफ्ट क्यों घबराया भाजपा से केरल में ?

केरल में भाजपा और संघ के जुझारू प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं की नियमित रूप से होने वाली नृशंस हत्याओं पर अपने को मानवाधिकारवादी कहने वालों की चुप्पी सच में भयभीत करती है। ये बुरहान वानी से लेकर याकूब मेमन के मानवाधिकारों के लिए जार-जार आंसू बहाते रहे हैं। पर इनका तब कलेजा नहीं फटता था, जब केरल में माकपा के गुंडे संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं का खून करते हैं। यह सिलसिला दशकों से चल रहा है। अब भाजपा इसका वैचारिक स्तर पर जवाब देगी। अब गोली और हथियारों के जवाब में भाजपा और संघ का राष्ट्रवाद का सिंद्धात चुनौती देगा माकपा को केरल में। केरल में राष्ट्र विरोधी ताकतों के बढ़ते असर से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बेखबर नहीं है। इसलिए उसने गॉड्स ओन कंट्री में वामपंथी विचारधारा से निपटने के लिए मिशन मोड में काम करने का फैसला किया है। हाल ही में उड़ीसा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकारिणी की बैठक में केरल में संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमलों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वामपंथी विचारधारा की पकड़ वाले राज्यों में पार्टी अपना अभियान तेज करेगी। उन्होंने माना कि राज्य में लगातार वामपंथी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के मामले सामने आते रहते हैं।

वैचारिक जंग वामपंथी गुंडों से

निश्चित रूप से भाजपा को केरल में अपने विरोधियों को मात देनी होगी। अब भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार हर 15 दिन में कम से कम एक केंद्रीय मंत्री को केरल और त्रिपुरा भेजेगी। त्रिपुरा में अगले साल ही चुनाव होने हैं। यानी भाजपा केरल में माकपा की गुंडई से लड़ने के लिए कमर कस रही है। पर भाजपा खूनी लड़ाई नहीं लडेगी, वो तो वैचारिक स्तर पर माकपा को धूल में मिलाएगी। लोकतंत्र में विरोधियों को धूल में मिलाने के रास्ते में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। भाजपा इस तथ्य को भली प्रकार से समझती है। इसलिए ही उसकी तरफ से अब केरल में लड़ी जाएगी वैचारिक लड़ाई।दरअसल पिछले साल मई में जब केरल में लेफ्ट फ्रंट सरकार सत्तासीन हुई तो लग रहा था कि अब केरल में अमन होगा। राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं नहीं होंगी। और सरकार राज्य के समावेशी विकास पर जोर देगी। पर हुआ इसके विपरीत। लेफ्ट फ्रंट की मुख्य घटक तो संघ और भाजपा की जान की दुश्मन होकर उभरी। इसने एक ठोस रणनीति के तहत संघ-भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले चालू करवा दिए।

खून से लथपथ 50 साल

केरल में पिछले 50 वर्षों में आरएसएस के 267 सक्रिय कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं! इनमें से 232 लोग, यानि अधिकाँश माकपा के गुंडों द्वारा ही मारे गए। वर्ष 2010 के बाद, सोलह संघ कार्यकर्ताओं की सीपीएम द्वारा बेरहमी से बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई। किसी के पैर काट दिए गए, किसी की आंखें फोड़ दी गईं, अनेकों को पीट पीट कर जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया गया। इन घायलों की संख्या मारे गए लोगों से लगभग छह गुना है। इन झड़पों के बाद शान्ति व्यवस्था के नाम पर पुलिस द्वारा क्रूरता का नंगा नाच किया गया। हां यह सच है कि माकपा द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक हमले के बाद पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। लेकिन लगभग सभी मामलों में वास्तविक अपराधियों को हाथ भी नहीं लगाया जाता। पुलिस केवल उन लोगों को गिरफ्तार करती है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पार्टी हरी झंडी दे देती है। इसे समझना चाहिए कि यह कैसे और क्यों होता है? दरअसल माकपा लीडरशिप का अपने कार्यकर्ताओं और केरल पुलिस पर पूरा प्रभाव है। और माकपा के गढ़ केरल के कन्नूर जिले में ही संघ स्वयंसेवकों पर सर्वाधिक अत्याचार हुए हैं। कन्नूर में पुलिस बल लेफ्ट फ्रंट के हाथ का खिलौना भर है। और जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मार गया, उन्हें सरकार से कभी कोई मदद भी नहीं मिली। संघ ने स्थानीय लोगों की मदद से अपने ऐसे पीड़ित कार्यकर्ताओं जिनकी हत्याएं हुई हैं, के परिजनों की देखरेख हेतु समुचित व्यवस्था बनाई है। इसी प्रकार अंगभंग के कारण स्थाई रूप से अपाहिज हुए कार्यकर्ताओं के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती।

कहां है कैंडिल मार्च वाले ?

और दुर्भाग्य देखिए कि केरल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कत्लेआम पर जंतर-मंतर पर कैंडिल मार्च नहीं निकलता। कोई लेखक

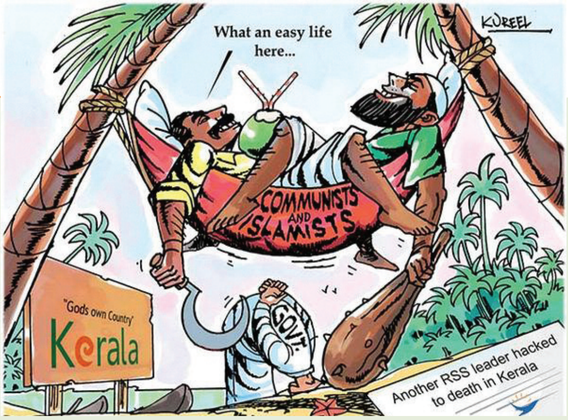

केरल सरकार को कोसते हुए अपने पुरस्कार को भी वापस नहीं करता।कश्मीर में आजादी के नारे लगाने वालों को टीम अरुंधति राय का बेशर्मी से समर्थन मिलने लगता है। ये देश के टुकड़े करने वालों के भी साथ खड़े हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश इनकी केरल में राजनीतिक विरोधियों के मारे जाने पर जुबानें सिल जाती हैं। तो इनके चुप रहने को माना जाए कि ये केरल में एक खास राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के मारे जाने से विचलित नहीं हैं?क्या संघ-भाजपा से जुड़े लोगों का मारा जाना मानवाधिकारों के हनन की श्रेणी में नहीं आता?

देश जानना नहीं चाहता कि देश के कथित मानवाधिकारवादी केरल में भाजपा-संघ के कार्यकर्ताओं के कत्लेआम पर चुप क्यों रहते हैं?आजादी के नारे लगाने वाले अरुंधति राय से लेकर कन्हैया कुमार, उमेर खालिद और तमाम किस्मों के स्वघोषित बुद्धिजीवी और स्वघोषित मानवाधिकार आंदोलनकारियों के लिए अफजल गुरु से लेकर अजमल कसाब के मानवाधिकार हो सकते हैं, पर माकपा के गुंडों की गोलियों से छलनी भाजपा-संघ के कार्यकर्ताओं के मानवाधिकारों का कोई मतलब नहीं है? जो अपराधियों के प्रति भी संवेदना दिखाने के हिमायती हों, वह आम नागरिकों के सम्मान और जीवन के तो रक्षक होने ही चाहिए। पर कभी-कभी लगता है कि इस देश के पेशेवर मानवाधिकारों के रक्षक सिर्फ अपराधियों के प्रति ही संवेदनशील हैं।

गॉड्स ओन कंट्री यानी 'ईश्वर के अपने देश केरल' में यही तो हो रहा है। वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। उनके हाथ-पैर काट दिए जाते हैं। केरल अपनी संस्कृति और प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। समुद्र के किनारे स्थित केरल के तट अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। पर इस शांतिपूर्ण माहौल के पीछे कत्लेआम हो रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के। इधर भाजपा या संघ से जुड़ा होना खतरे से खाली नहीं है।

भाजपा का दबदबा

दरअसल लेफ्ट फ्रंट के नेताओं की पेशानी से केरल में भाजपा की बढ़ती ताकत के कारण पसीना छूट रहा है। भाजपा केरल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभर रही है। वैसे केरल में भाजपा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में 1987 के विधानसभा चुनाव से अपनी मौजूदगी करा दी थी। केरल में भाजपा को खड़ा करने में जन संघ के दौर में पार्टी से जुड़े राजगोपाल का खास रोल रहा है। ओ. राजगोपाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों से प्रभावित होकर 1960 में ही भारतीय जनसंघ से जुड़कर केरल राजनीति में कदम रखा। कार्यकर्ताओं के सतत प्रयास से पिछले कुछ सालों में केरल की धरती पर भाजपा की नींव यक़ीनन मजबूत हुई है। यह मैंने स्वयं तब महसूस किया कि जब 25 सितम्बर 2016 को मैं कोझीकोड (कालीकट) गया था। वह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि, 50 वर्ष पूर्व दीनदयाल जी कोझीकोड में ही भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। 50 वर्षों में केरल भगवामय हो चुका है। यह मैने स्वयं देखा कि माकपा के लोगों में कैसी बौखलाहट है।

इस्लामी आतंकवाद और केरल

लेफ्ट फ्रंट की परेशानी की एक बड़ी वजह यह भी है कि देश में संघ की शाखाओं की सर्वाधिक संख्या केरल में ही है। राज्य में पढ़े-लिखे युवा भारी संख्या में संघ में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। दरअसल केरल एक बहुत विकट राज्य के रूप में उभर रहा है। केरल तेजी से इस्लामी आतंकवाद की प्रजनन भूमि में बदल रहा है। केरल के हिंदुओं में असुरक्षा की भावना है और वे इन ताकतों के खिलाफ एक सेतु के रूप में संघ को देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने हिन्दू विरोधी रुख के कारण केरल की मूल परम्पराओं और जीवन मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश की थी। युवा पीढ़ी अब एक बार फिर अपनी जड़ों से जुड़ना चाहती है, और वह संघ और उसके अनुसंगों में अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान को देख रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यधारा के राजनीतिक दलों में उसे भाजपा में अकूत संभावनाएं नजर आती हैं।

देश का सबसे साक्षर राज्य संकट से दो-चार हो रहा है। देश को राजनीतिक दलों को राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करके वहां पर स्वस्थ राजनीतिक माहौल स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल करनी होगी।

(लेखक राज्य सभा सांसद हैं)

● ललित गर्ग

सबको सन्मति दे भगवान!

मंदिर वहीं बनायेंगे' का नारा बार-बार लगाने वाले योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके मुख्यमंत्री बनते ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर आपसी समझबूझ से बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद को निपटाने की बात कही है। इस तरह से यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, उसे सुलझाने की कोशिशों को तेज करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती दिखाई दे रही है। परंतु प्रश्न यह है कि कैसे साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बन सकता है? कैसे प्रधानमंत्री की 'सबका साथ, सबका विकास' वाली बात में भरोसा जताया जा सकता है? क्योंकि आज न तो राजनीति से धर्म बाहर निकला है और न ही मूल्यों की राजनीति से वोट बाहर निकले। इसलिए जनजीवन में सद्भाव नहीं उत्पन्न हो सका और न ही उभर सकी राष्ट्रीयता।

बहरहाल, अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इस समस्या के समाधान की संभावनाएं काफी उजली प्रतीत हो रही है। क्योंकि नया भारत बनाने की पहली सीढ़ी साम्प्रदायिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारा ही है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को हमेशा उछाला है, उस पर खूब राजनीति की है, अपने लाभ एवं नुकसान के गणित पर उसने इस मामले को ठण्डे बस्ते में भी बरसों तक रखा है। अब भी यदि इस विवाद का कोई समाधान नहीं होता है तो फिर कब होगा? सबको सन्मति दे भगवान!

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-धार्मिक विवाद है जो नब्बे के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा हिंदू देवता राम की जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर है कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। हिन्दुओं की मान्यता है कि श्रीराम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्मस्थान पर एक भव्य मन्दिर विराजमान था जिसे मुगल बाबर ने तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बना दी। 6 दिसम्बर सन 1992 को यह विवादित ढ़ांचा गिरा दिया गया और वहाँ श्रीराम का एक अस्थायी मन्दिर निर्मित कर दिया गया। इस विवाद का समाधान पहले स्वयं को देखने से ही संभव हो सकता है। एक अंगुली दूसरे की ओर उठाने पर तीन अगुलियां स्वयं की ओर उठती हैं।

इस तरह बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि का विवाद सुदीर्घ काल से भारतीय मनमस्तिष्क को न केवल झकझोरता रहा है बल्कि अशांति, हिंसा, नफरत एवं द्वेष का कारण भी बनता रहा है। देश की जनता अब इसका समाधान चाहती है। क्योंकि लम्बे समय से साम्प्रदायिक सौहार्द एवं अपासी भाईचारें का आश्वासन, शांति का आश्वासन, उजाले का भरोसा सुनते-सुनते लोग थक गए हैं। इन्तजार में कितनी पीढ़ियां गुजारनी होंगी?

साम्प्रदायिक समस्या का हल तो तभी प्राप्त हो सकेगा जब इस बात को सारे देश के मस्तिष्क में बहुत गहराई से बैठा दिया जाए कि भारतवर्ष की अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता है और उसको आत्मसात करने में ही सबका हित है। हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही जब इस देश में रहना है तो दोनों को ही अपनी-अपनी मानसिकता बदलनी होगी। क्यों न राम भक्त अयोध्या में मस्जिद बना दें और क्यों न खुदा के बंदे अयोध्या में मंदिर बना दें। ऐसा करने वाला कभी कुछ खोता नहीं, हमेशा पाता ही है चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो। खुशी-खुशी खोकर पाने की यह परंपरा ही भारत की संस्कृति है। जिस पर गर्व करने का हक हर हिंदुस्तानी को है। एक-दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं, एक-दूसरे को ऊंचा उठाने की ईमानदार कोशिश से ही हम एक सच्चे भारतीय समाज की परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को आकार दे सकते हैं, समाज के ताने-बाने को मजबूत बना सकते हैं। हम मंदिर और मस्जिद दोनों बनाकर सदियों तक देश में साम्प्रदायिक भाईचारे को प्रगाढ कर देंगे। काश! ऐसा हो जाए तो सर्वधर्म समभाव ही नहीं सद्भाव भी स्थापित हो जाएगा। इसके लिये मोदीजी एवं योगीजी को कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिससे हमारी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति जीवंत हो जाए। राष्ट्रीय आदर्शों, राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय मान्यताओं की परिभाषा खोजने के लिए और कहीं नहीं, अपनी विरासत में झांकना होगा, अपने अतीत में खोजना होगा। हमें राष्ट्रीय स्तर से सोचना चाहिए वरना इन त्रासदियों से देश आक्रांत होता रहेगा। ■

अयोध्या मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती पर चलेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.

● सोनाली मिश्रा

भाजपा के नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया है और इन नेताओं के खिलाफ लगे आपराधिक साजिश के आरोपों को बहाल कर दिया है।

न्यायालय ने नेताओं और कारसेवकों के खिलाफ लंबित मामले को भी इस मामले में शामिल कर दिया और कहा कि कार्यवाही दो साल में पूरी हो जानी चाहिए।

हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पास संवैधानिक छूट है और उनके खिलाफ मामला पद छोड़ने पर ही चलाया जा सकता है. कल्याण सिंह वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को यह निर्देश भी दिया कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों का अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रत्येक तारीख पर पेश होना सुनिश्चित करे. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को चार सप्ताह के भीतर कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए।

आडवाणी, जोशी और भारती समेत 13 आरोपियों के खिलाफ साजिश के आरोप हटा दिए गए थे. इस मामले की सुनवाई रायबरेली की एक विशेष अदालत में चल रही है।

दूसरा सेट अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ है, जो इस विवादित ढांचे के अंदर और आसपास थे और जिन्होंने उसे गिरा दिया था। उनके खिलाफ सुनवाई लखनऊ की अदालत में चल रही है।

भाजपा के शीर्ष नेताओं समेत 21 आरोपियों के खिलाफ साजिश के आरोप हटाने के खिलाफ ये अपीलें हाजी महबूब अहमद (मृत) और सीबीआई द्वारा दायर की गई थीं. इनमें से आठ आरोपियों की मौत हो चुकी है।

आठ लोगों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था लेकिन यह उन 13 लोगों के खिलाफ दायर नहीं किया गया था, जिन्हें विध्वंस की साजिश रचने के आरोप से मुक्त कर दिया गया था।

भाजपा नेता आडवाणी, जोशी और भारती के अलावा कल्याण सिंह (राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल), शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और विहिप के नेता आचार्य गिरिराज किशोर (दोनों का निधन हो चुका है) के खिलाफ आरोप हटा लिए गए थे।

जिन अन्य लोगों के खिलाफ साजिश के आरोप हटाए गए थे, उनमें विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, सतीश प्रधान, सी आर बंसल, अशोक सिंघल (निधन हो चुका है), साध्वी रितांभरा, महंत अवैद्यनाथ (निधन हो चुका है), आर वी वेदांती, परमहंस राम चंद्र दास (निधन हो चुका है), जगदीश मुनि महाराज, बी एल शर्मा, नृत्य गोपाल दास, धर्म दास, सतीश नागर और मोरेश्वर सावे (निधन हो चुका है) शामिल हैं। ■

तीस्ता नदी मामला –
ममता बनर्जी, मौलवियों के कब्जे में

● सुरेश चिपलूनकर

हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद भारत यात्रा पर आई थीं, और इस यात्रा का उनका मुख्य उद्देश्य था तीस्ता नदी के जल बँटवारे को लेकर भारत और खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करना एवं समझौते को अंतिम स्वरूप देना।

लेकिन जैसा कि पहले ही अपेक्षित था, ममता बनर्जी ने शेख हसीना वाजेद की मांग को न सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि यह भी कह दिया कि सिक्किम में बने हुए बाँधों की वजह से पश्चिम बंगाल में पहले ही पानी के कमी है, इसलिए तीस्ता नदी का जल बंटवारा बांग्लादेश को नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता ममता बनर्जी इस बात को साफ़ छिपा गईं कि तीस्ता नदी का अतिरिक्त पानी गजबोदा बाँध से पश्चिम बंगाल की तरफ ही मोड़ा जाता है और यह पानी अंतत: समुद्र में मिलकर बेकार ही हो जाता है।

जिस समय ममता बनर्जी के सम्बन्ध भाजपा से मधुर बने हुए थे और वे केंद्र में मंत्री भी थीं, उस समय उन्हें तीस्ता नदी के जल बँटवारे से कोई ख़ास आपत्ति नहीं थी, उस समय उनका मतभेद केवल इस बात को लेकर था कि बांग्लादेश और भारत के बीच पानी का संतुलन बना रहे और बांग्लादेश के साथ समझौता तो हो, लेकिन पानी की मात्रा किस मौसम में कितनी हो इस पर एक समिति बने। लेकिन जब से ममता बनर्जी अपने 'इस्लामिक मित्रों' की सहायता से बंगाल में सत्ता पर काबिज हुई हैं (यानी पिछले छह साल से), तभी से उनके सुर बदल गए हैं। अब अचानक उन्हें बंगाल के किसानों की चिंता सताने लगी है और वे बांग्लादेश को पानी देने के खिलाफ लगातार आग उगल रही हैं। उन्होंने 'मोदी सरकार को चेतावनी' देते हुए कहा है कि यदि राज्य के हितों के खिलाफ बांग्लादेश के साथ कोई समझौता किया गया तो बंगाल में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, खून की नदियाँ बहेंगी।

सुनने और पढने में तो यह बहुत ही अच्छा लगता है कि ममता बनर्जी को किसानों की इतनी चिंता है। लेकिन वास्तविक कारण कुछ और ही है। असल में पिछले छ: वर्षों में ममता बनर्जी प्रशासन पर कट्टरवादी सलाफी मुस्लिमों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। इन सलाफी मुस्लिम नेताओं ने एक तरह से ममता बनर्जी को 'हाईजैक' कर लिया है। बंगाल सीमा पर घुसपैठ हो, तस्करी हो, आतंकियों का आवागमन हो, नकली नोटों की भारी आवाजाही हो। इन सभी मामलों में जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के मुस्लिम नेताओं का हाथ पाया गया है। ये कट्टर जेहादी तत्व इन आपराधिक गतिविधियों के जरिये न सिर्फ करोड़ों रूपए कमा रहे हैं, बल्कि बंगाल में जनसँख्या संतुलन बिगाड़कर कई जिलों में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बना चुके हैं। हाल ही में मौलाना बरकती का नाम आपने कई बार अखबारों-चैनलों पर देखा और सुना होगा। इन जैसे कम से कम बीस कट्टर मौलाना लगातार ममता बनर्जी को घेरे रहते हैं। भारत में रहने वाले इन सभी मौलानाओं के मधुर सम्बन्ध बांग्लादेश के कट्टर संगठन 'हूजी' हरकत-उल-जेहाद-इस्लामी के साथ हैं। तीस्ता नदी जल समझौते का असली पेंच यहीं पर फँसा हुआ है।

जैसा कि सभी जानते हैं, पिछले दस वर्षों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद और इनकी पार्टी अवामी लीग ने 1971 के युद्ध अपराधियों (जिसमें अधिकाँश लम्बी दाढ़ी वाले मौलाना और मुल्ले हैं) को त्वरित न्यायालय में मुक़दमे चलाकर फटाफट फाँसी दी है। भारत में तो एक फाँसी पर 'सेकुलर उल्टियाँ' शुरू हो जाती हैं, लेकिन बांग्लादेश जैसे 90% मुस्लिम देश में शेख हसीना ने बहादुरी दिखाते हुए बड़े-बड़े कट्टर जेहादियों को बिना किसी रहमोकरम के सीधे फाँसी पर चढाया है। बहुत से मौलवी और मदरसों में आग उगलने वाले मौलाना या तो बांग्लादेश में अंडरग्राउंड हो गए हैं, अथवा

भागकर पश्चिम बंगाल चले आए हैं (क्योंकि यहाँ मुमताज़ बानोर्जी का दोस्ताना कायम है)। इन सभी कट्टर सलाफी मुल्लों को यह चिंता सताए जा रही है कि यदि भारत-बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी का जल समझौता हो गया तो शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश के किसानों में न सिर्फ लोकप्रिय हो जाएंगी, बल्कि वे इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि 'बताते हुए इसका प्रचार करेंगी और आराम से तीसरी बार भी चुनाव जीत जाएँगी। इसके बाद जमात-इ-इस्लामी और हरकत-उल-जेहाद के मौलानाओं का 1या हाल होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान समर्थक मुल्लों ने बांग्लादेश में लगभग तीस लाख बंगालियों की हत्या-बलात्कार-लूट की थी, और बांग्लादेश को इन इस्लामिक अतिवादियों से मुक्ति दिलाने के लिए शेख हसीना वाजेद ने ताबड़तोड़ फांसियां दीं, जेल में ठूँसा। सबसे ताज़ा फाँसी मुफ्ती अब्दुल हन्नान को दी गई, जो कि HUJI का चीफ था।

बांग्लादेश से भागकर भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में घुसपैठ किए हुए यह कट्टर इस्लामिक समूह इस बात की राह देख रहे हैं कि जैसे भी हो शेख हसीना को तीसरी बार सत्ता न मिलने पाए और 2011 के चुनावों में उनकी 'प्यारी बहना' अर्थात बेगम खालिदा जिया स8ाा में आ जाएँ। सभी जानते हैं कि बेगम खालिदा जिया की BNP पार्टी पाकिस्तान समर्थक रही है और कठमुल्लों से उसके मधुर सम्बन्ध रहे हैं। इधर ममता बनर्जी खुद भी अपनी स8ाा बरकरार रखने के लिए जेहादियों और बरकती जैसे पागलों पर निर्भर है, इसलिए मौका साधकर ये सभी इस्लामिक समूह ममता बनर्जी पर दबाव बनाए हुए हैं कि चाहे जैसे भी हो, 2019 तक तीस्ता नदी का जल समझौता नहीं होने दिया जाए।

ये सभी इस्लामिक समूह ममता बनर्जी पर दबाव बनाए हुए हैं कि चाहे जैसे भी हो, 2019 तक तीस्ता नदी का जल समझौता नहीं होने दिया जाए.

कुल मिलाकर मामला यह है कि बांग्लादेश की 'हसीना' और 'बेगम' के बीच होने वाले रोचक मुकाबले में एक तीसरा अवांछित खिलाड़ी भी शामिल हो गया है, और वे हैं भारत की मोहतरमा 'मुमताज़ बानोर्जी'। विदेशी मामले और नदी जल का अंतर्राष्ट्रीय समझौता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए नरेंद्र मोदी चाहें तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके तीस्ता नदी जल बँटवारे पर बाले-बाले ही कोई समझौता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मुमताज़ बानोर्जी को बैठे-बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा और वे तत्काल 'नागिन डांस' दिखाने लगेंगी। इसलिए फिलहाल केंद्र सरकार मुमताज़ बानोर्जी को समझाईश देकर अथवा सीबीआई का डंडा दिखाकर मनाने की कोशिश में है, क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है कि बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार बनी हुई रहे, जो इस्लामिक कठमुल्लों के दिलों में भय पैदा करती रहे। ■

बेचैन है बंगाल की धरती

दिल्ली की मॉल संस्कृति से परे अपने बंगाल दौरे में हमने बंगाल की हरियाली, खनिज संपदा, संस्कृति, आपसी संवाद, प्रकृति से सहकार और साइंस सिटी में विज्ञान के अद्भुत आयाम देखना अधिक पसंद किया। बंगाल अब कहीं से भी पिछड़ा और गरीब प्रदेश नहीं है। देश दुनिया के साथ तेजी से कदमताल करने को आतुर भव्य रूप लेता यह प्रदेश अब देश को नेतृत्व देने के लिए ममता के हाथों से भी निकलने को बेचैन हो उठा है और दूरद्रष्टा नेतृत्व की तलाश में बेचैन है। शालीन और बेफिक्र जीवन के शौकीन बंगालियों ने बंगाली संस्कृति को बड़ी शिद्दत से सहेजकर रखा हुआ है। इसी कारण कलकत्ता या फिर समुद्र तटों पर भी कहीं भी फूहड़ता और अश्लीलता नज़र नहीं आयी। प्रदूषण मुक्त व्यवस्था और सफाई बंगाल विशेषकर कलकत्ता की पहचान बन रही है और यातायात नियंत्रण और अनुशासन भी। लोग ममता की मुस्लिमपरस्ती और हर काम में कमीशन लेने की आदत से तंग आ चुके हैं। विश्लेषको का मानना है कि बंगालियों की रीढ़ नहीं होती यानि वो लचीले होते हैं इसीलिए वे मुगल, अंग्रेजो,वामपंथियों और अब ममता को झेल रहे हैं और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से बंगाल को बेहतर बना रहे हैं। एक अच्छा राजनीतिक विकल्प शायद उनके दबे गुस्से को आप1ोश में बदल दे। चलिए उस विकल्प के निर्माण को उद्दत हों हम आप।

संपादक

मुद्दे की बात करो, बकवास न करो चीन

अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है परंतु यह चीन नहीं समझ रहा हैऔर वह गाहे बगाहे भारत को उकसाने वाला कदम उठाता रहता है। चीन का सपना रहा है वन एशिया वन चीन, और शायद इसी सपने को साकार करने के लिए वह नापाक चालें चलता है, चाहे वह दलाई लामा का विरोध हो या हाल ही में अरूणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नामों को बदलना

● ओंकारेश्वर पांडेय

चीनी मीडिया आजकल रोज ब रोज भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। और यह तब से और ज्यादा बढ़ा है, जबसे दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की। दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा से बौखलाये चीन की शी जिनपिंग सरकार ने एक बार फिर हमलावर रुख कर अख्तियार कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने के इरादे से उसने अपने नक्शे में देश के इस पूर्वोत्तर राज्य की छह जगहों के नाम भी बदल डाले।

19 अप्रैल, 2017 को चीन ने ऐलान किया कि उसने भारत के पूर्वोत्तरी राज्य के छह स्थानों को आधिकारिक नाम दिया है। चीन ने यह कदम, दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा को लेकर बीजिंग द्वारा भारत को कड़ा विरोध जताने के कुछ दिनों बाद उठाया। चीन का यह कदम अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा दोहराने का एक थोथा प्रयास है।

चीनी सरकार के साथ चीन की मीडिया का भारत के प्रति रुख लगातार धमकाने वाला है, जिससे भारत कतई नहीं डरने वाला। हाल ही में चीन के सरकारी मीडिया ने बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के छह स्थानों का नाम रखने पर भारत की प्रतिक्रिया को 'बेतुका' कहकर खारिज करते हुए चेताया कि अगर भारत ने दलाई लामा का 'तुच्छ खेल' खेलना जारी रखा तो उसे 'बहुत भारी' कीमत चुकानी होगी। दलाई लामा की अरूणाचल यात्रा से बौखलाये चीन ने इन छह स्थानों के 'मानकीकृत' आधिकारिक नामों की घोषणा कर पहले से जटिल चल रही स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है।

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार, चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 14 अप्रैल को घोषणा की थी कि उसने केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप 'दक्षिण तिब्बत' (अरुणाचल प्रदेश) के छह स्थानों के नामों का चीनी, तिब्बती और रोमन वर्णों में मानकीकरण कर दिया है। रोमन वर्णों का इस्तेमाल कर रखे गए छह स्थानों के नाम वोग्यैनलिंग, मिला री, कोईदेंगारबो री, मेनकुका, बूमो ला और नमकापब री हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। जबकि सच तो ये है कि यह भारत का अक्साई चिन क्षेत्र है, जिसे चीन ने वर्ष 1962 के युद्ध में कब्जा लिया था। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है। हिन्दी में अरुणाचल का अर्थ है – अरूण और अंचल यानी 'उगते सूर्य का पर्वत'। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएँ दक्षिण में असम दक्षिणपूर्व मे नागालैंड पूर्व मे बर्मा/म्यांमार पश्चिम मे भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। ईटानगर राज्य की राजधानी है। प्रदेश की मुख्य भाषा हिन्दी और असमिया है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के लोग भी तिब्बती-बर्मी मूल के हैं।

इस अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा की यात्रा को लेकर दैनिक ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि दलाई लामा का कार्ड खेलना नई दिल्ली के लिए कभी भी अक्लमंदी भरा चयन नहीं रहा है। तो भइया ये धमकी का खेल खेलना चीन के लिए कब से अक्लमंदी की बात होने लगी।

चीन की धमकी भारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भारत सन 1962 का भारत नहीं है। चीन अगर अपनी सैन्य ताकत के भरोसे यह धमकी दे रहा है, तो उसे बाज आना चाहिए। क्योंकि स्वभाव से ही शांति प्रिय रहा देश भारत अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत ऐसी धमकियों का करारा जवाब देने में सक्षम है। इसलिए बजाय धमकी, छल और झूठ के चीन को सच स्वीकारते हुए भारत के उस 90 हजार वर्ग मील के इलाके को खाली करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, जिसे उसने अवैध तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है।

भारत एक बड़े दिल वाला उदारवादी राष्ट्र है। भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि विवाद को बड़ी उदारता से निपटाया है। चीन को भारत के इस रुख से सीखना चाहिए।

चीनी मीडिया कहता है कि, 'दक्षिण तिब्बत ऐतिहासिक रूप से चीन का हिस्सा रहा है और वहां के स्थानों के मानकीकृत नाम रखना जायज है।' चीन का यह दावा सरासर गलत, बेबुनियाद और झूठ पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताने वाला चीन पहले तो तिब्बत की संप्रभुता ही स्वीकार कर ले। इतिहास गवाह है कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था और उसे चीन ने जबरन कब्जा लिया।

दरअसल चीन को एक परिपक्व राष्ट्र की तरह बर्ताव करते हुए सीमा विवाद के व्यावहारिक हल पर ध्यान देना चाहिए। भारत-चीन अब तक सीमा विवाद को हल करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों के साथ 19 वार्ताएं कर चुके हैं। पर कोई नतीजा नहीं निकला।

बजाय वार्ता को आगे बढ़ाने के चीन दलाई लामा हालिया अरुणाचल प्रदेश की यात्रा को बेवजह मुद्दा बना रहा है। दलाई लामा की यात्रा उनके तवांग के रास्ते तिब्बत छोड़ने और भारत में शरण मांगने के बाद सातवीं यात्रा थी। 81 वर्षीय तिब्बती आध्यात्मिक नेता की यात्रा के दौरान चीन ने भारत को चेतावनी दी थी कि वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता और हितों की रक्षा के लिए 'जरूरी कदम' उठाएगा।

चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि अगर भारत, दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करने की अनुमति देकर घटिया खेल खेलता है तो चीन को भी ''ईंट का जवाब पत्थर से देने में'' हिचकना नहीं चाहिए। दो अंग्रेजी अखबारों- चाइना डेली और ग्लोबल टाइम्स ने भारत के गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू के बयान के बाद भारत पर तीखा हमला बोला। धमकी किसे दे रहे हो भाई। भारत तुम्हारे पत्थर का जवाब लोहे से दे सकता है चीन, किसी गलतफहमी में न रहो। भारत के केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू, जो स्वयं अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, वह 'भारत का अभिन्न हिस्सा है।' रिजिजू की टिप्पणियों पर इन अखबारों ने कहा कि भारत दलाई लामा का इस्तेमाल चीन के खिलाफ एक 'रणनीतिक हथियार' के रूप में कर रहा है, क्योंकि चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के खिलाफ 'वीटो जैसे मजबूत' अधिकार का इस्तेमाल किया है।

बीते कई हफ्तों से दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर भारत और चीन के बीच वाकयुद्ध चल रहा है। चीन ने भारत पर इस दौरे की इजाजत देकर द्विपक्षीय रिश्तों को 'गंभीर नुकसान' पहुंचाने का आरोप लगाया तो नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया कि यह एक धार्मिक गतिविधि है। दलाई लामा के दौरे को लेकर चीन ने बीजिंग में भारतीय राजदूत विजय गोखले को बुलाकर अपना विरोध भी दर्ज कराया। लेकिन वह कुछ भी करे, उसका यह दावा बुनियाद रूप से गलत और दोषपूर्ण है क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश के लोग बौद्ध धर्म – जो तिब्बत, चीन और दुनिया के कई हिस्सों में भारत से ही गया है – की उसी शैली का अनुकरण करते हैं जो तिब्बत, भूटान, सिक्किम और लद्दाख में चलन में है। इसलिए भारतीय इलाकों पर चीन के दावे का कोई धार्मिक आधार नहीं बनता।

चीन की इस कुटिल चाल को नाकामयाब करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ठीक जवाब दिया कि भारतीय इलाके की जगहों को चीनी या तिब्बती नाम देने से वे चीन की नहीं हो सकतीं।

लेकिन चीन के लिए भारत की ओर से इतना जवाब दे देना भर काफी नहीं होगा। भारत को पूर्वी सीमा पर सुरक्षा और सतर्कता और मजबूत करनी होगी।

कश्मीर में अंदरुनी तत्वों के जरिये पाकिस्तान की कारस्तानियां और ठीक इसी समय अरुणाचल प्रदेश पर चीन का यह रुख दोनों देशों की भारत के खिलाफ सोची समझी साझा साजिश का संकेत देती हैं।

चीन का यह रुख इसलिए भी है क्योंकि भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बॉर्डर वन रोड में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी है और वह चीन की सीपीईसी परियोजना का विरोध भी कर रहा है। क्योंकि इसके तहत बन रही परियोजनाओं का कुछ हिस्सा जम्मू-कश्मीर के उस इलाके से भी होकर गुजर रहा है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इसलिए चीन इस मुद्दे पर जो सम्मेलन आयोजित कर रहा है उसमें अपना प्रतिनिधि भेजने की बजाय भारत को सीमाई इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने चाहिए।

चीन के अखबार और पत्रकार चीन सरकार के इशारों पर नाचते हैं। भारत में मीडिया स्वतंत्र है। निष्पक्ष भी है। भारतीय मीडिया जहां चीन के मामले पर गंभीर और संतुलित विचार रख रहा है, वहीं चीनी मीडिया का रुख लगातार चेतावनी और धमकी भरा रहता है। यह कौन सी पत्रकारिता है? चीन की मीडिया का करारा जवाब भारतीय मीडिया दे सकता है। पर क्या इससे सीमा विवाद हल हो जाएगा?

बात तो बात से ही बनेगी। बेतुके बातों से बात बिगड़ेगी ही। तो बात करो, बकवास न करो चीन। पाकिस्तान के आतंकवादियों को शरण तुम दे रहे हो चीन. पूर्वोत्तर में भारतीय उग्रवादियों को हथियार तुम देते रहे हो चीन. आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को संरक्षण तुम दे रहे हो चीन. जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के खिलाफ 'वीटो तुम ही कर देते हो चीन. भारत के इलाकों पर अवैध कब्जा तुमने कर रखा है- चीन. जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर भी कब्जा तुमने कर रखा है चीन. भारत की बढ़ती ताकत तुमसे देखी नहीं जा रही चीन. भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने से सिर्फ तुम ही रोक रहे हो चीन. एनएसजी में भारत की सदस्यता को भी सिर्फ तुम ही रोक रहे हो चीन. मगर कब तक? बात करो, बकवास न करो चीन। भारत तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है।

(लेखक समाचार एजेंसी एएनआई के संपादक हैं और असम-अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में छह साल तक रहकर पत्रकारिता कर चुके हैं)

नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न

● विनोद कुमार सर्वोदय

जम्मू-कश्मीर के नित्य बिगड़ने वाली विषम परिस्थितियों से आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है ? सोशल मीडिया पर 9 अप्रैल को कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से श्रीनगर संसदीय सीट के उपचुनाव के विरोध में अलगावादियों व उनके समर्थको द्वारा सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मियों पर हो रहें एकतरफा अत्याचारों के 3-4 वीडियो ने सभी देशभक्तो को झकझोर दिया है। उनको विचलित करते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने वाले एक वीडियो में युवाओं की हिंसक भीड़ दो जवानों को बुरी तरह से पीट रही है तो अन्य वीडियो में कुछ लड़के सुरक्षाकर्मियों को लातों से मारते हुए दिख रहे है। जबकि एक और अन्य वीडियो में अपनी ड्यूटी से लौट रहे जवानों के साथ इन देशद्रोही लड़कों की भीड़ भी चलते चलते इनको उकसाते हुए 'गो इण्डिया गो, जालिमों हमारा कश्मीर छोड़ दो' के नारे लगा रही है। इतने पर भी कुछ लड़के जवानों के हैलमेट उतारते है और कुछ ने उनकी सुरक्षा शील्ड तक छीन ली आदि ।

अनेक प्रकार से उत्पीड़ित होने पर भी यह धैर्य या संयम नही सरकारी आदेश की विवशता थी। जिसके अनुसार उनको पिटने या मरने पर भी आत्मरक्षा के लिये पलटवार के लिए हथियार न उठाने के आदेश थे। यह कैसा अनुशासन है जिसके बंधन से ये सुरक्षाकर्मी अपने अपने जख्मों से पीड़ित होकर भी चुपचाप हाथ बंधे होने की आत्मघाती प्रशासकीय नीति को मन ही मन कोस रहें होंगे ?

सीआरपीएफ के एक अधिकारी के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि ये वीडियो उन मानवाधिकारियों को वहां की सच्चाई से अवगत कराता है जो सुरक्षाबलो पर अकारण बल प्रयोग करने का आरोप लगाने से नही चूकते । लेकिन क्या इन प्रमाणों के लिये राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले जवानों की आहुति दी जाने लगेगी तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे संभव हो सकेगी ?

पिछले 2-3 दिन से निरन्तर सोशल मीडिया पर चल रहें इन वीडियो को देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों ने हमारे सुरक्षाबलों पर जो अत्याचार किये है वह एक स्वतंत्र राष्ट्र पर सीधा आक्रमण है। यह लोकतांन्त्रिक मूल्यों का खुला उल्लंघन व उसकी मान्यताओं पर अपमानपूर्ण प्रहार है। क्या ऐसे देशद्रोहियों को प्रोत्साहित करते रहने के लिये सुरक्षाबलों के राष्ट्ररक्षको पर पत्थरों, तेजाब व पेट्रोल बमो आदि से आक्रमण होने दें और उनको 'धैर्य' का पाठ पढ़ाने के नाम पर उनके जीवन को योंही न्यौछावर होने दें ? यह कैसी नपुंसकता है जो शस्त्रधारियों को आत्मग्लानि के मानसिक बाणों से घायल करती आ रही है ?

क्या कोई संवेदना इन देशभक्तों व रक्षकों के लिये शेष है जो इनको अलगाववादियों और आतंकवादियों से सुरक्षित रखने के लिये आगे आये ? देश से आज़ादी चाहने वाले षड्यंत्रकारियों को संविधान के नियम कानूनों का भय नही है , परंतु सुरक्षाबलों को संविधान की रक्षार्थ नियमो के पालन करने में बाधा पहुंचाना क्या उचित है ?

आज मुझे यह लिखने में खेद हो रहा है कि लगभग 130 करोड़ के देश भारतवर्ष में लाखों नही तो हज़ारो सेलीब्रेटीज़ (प्रसिद्ध नेता, राजनेता, धर्माचार्य, अभिनेता, पत्रकार, खिलाड़ी आदि) होने के उपरांत भी केवल दो क्रिकेट खिलाड़ियों सर्वश्री गौतम गंभीर व वीरेंद्र सहवाग ने इन अत्याचारों से द्रवित होकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। कम से कम देश की प्रथम पंक्ति में आने वाले समाज के सभी वर्गों को ऐसे राष्ट्रद्रोही कृत्यों की भरपूर भर्त्सना तो व्यापक रूप से करनी ही चाहिये।

जबकि यह बहुत दुखद है कि अनेक स्तर से सरकार को परामर्श दिया जा रहा है कि कश्मीर में पत्थरबाजों पर पैलेट गन के स्थान पर अन्य कोई विकल्प ढूंढा जाये । यह सुझाव देने वाले यह क्यों नही कहते की देशद्रोहियों को बचाने वालों के गलो मे फूलों की माला डालों ? क्या विश्व में ऐसा कोई कानून है जो अपराधियों का साथ देने या उनकी रक्षा करने वालों को दोषी नही मानता ? क्या देशद्रोहियों और आतंकियों से राष्ट्र के जान-माल की सुरक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व नही ? न्याय की परिधि में क्या यह उचित है कि सुरक्षाकर्मियों पर पत्थरो, पेट्रोल व तेजाब के

वेद प्रताप **वैदिक**

पत्थर फेंकुओं पर गज़ब की पहल

कश्मीर के पत्थरफेंकू लड़कों पर हमारी फौज ने जबर्दस्त दांव मारा है। इस बार उन्होंने एक पत्थरफेंकू लड़के को पकड़कर जीप पर बिठाया और बांध दिया। उसे जीप पर बैठा देखकर अन्य पत्थरफेंकू लड़के असमंजस में पड़ गए। अब वे पत्थर चलाते तो फौजियों पर वे पड़ते या नहीं पड़ते लेकिन उनके उस साथी को तो वे चकनाचूर कर ही देते। ऐसे में वह लड़का उन फौजी जवानों की ढाल बन गया। वह लड़का भी सही-सलामत बच निकला और ये फौजी भी अपने ठिकाने पर पहुंच गए। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर अहिंसक तरीका क्या हो सकता है? इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यह ऐसा गजब का तरीका है, जिसका अनुकरण दुनिया के सभी छापामार युद्धों में भी किया जा सकता है। जिस अफसर या जवान ने यह तरीका सुझाया है, उसे सरकार की ओर से अच्छा-सा पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

कश्मीर के कुछ मशहूर विरोधी नेताओं ने उस पत्थर फेंकू लड़के को अगुआ बनाने की निंदा की है और सारे मामले की जांच की मांग की है। इन नेताओं की हताशा और मूर्खता अपरंपार है। क्या वे यह चाहते हैं कि पत्थरफेंकू नौजवानों पर गोलियां बरसाई जाएं या फौजी जवान भी पत्थरफेंकू बन जाएं? कुछ माह पहले जवानों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थीं, तब संसद में और उसके बाहर बेहद ज्यादा खेद प्रकट किया गया था। अनेक लोग मर गए थे और सैकड़ों नौजवान अंधे हो गए थे। फारुक और उमर अब्दुल्ला क्या उसी दुखद कहानी को दुबारा दोहराना चाहते हैं? वे यह क्यों नहीं समझते कि ये गुस्साए हुए कश्मीरी नौजवान भी भारत माता के बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके प्राण भी अमूल्य हैं। इन हताश और निराश नेताओं से मुझे तो यह उम्मीद थी कि वे फौज की इस जबर्दस्त पहल की तारीफ करेंगे और कश्मीरी जवानों को अहिंसक प्रतिरोध की नई-नई तरकीबें सुझाएंगे लेकिन जिन लोगों ने कुर्सी हथियाना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है, वे ऐसी घटिया किस्म की बयानबाजी के अलावा क्या कर सकते हैं? उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज ने बलूचों पर किस बेरहमी से आसमानी हमले किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जलालाबाद में कितना बड़ा बम फोड़ा है और व्लादिमीर पुतिन ने चेचन्या के मुस्लिम बागियों पर कैसी बमों की बरसात कर दी थी। कश्मीर के लोग हिंसा के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, यह बात क्या उन्हें सभी कश्मीरी नेता समझाने का कष्ट करेंगे? ■

जाधव को सजा-ए-मौत क्यों?

पाकिस्तान की फौजी अदालत ने यदि कुलभूषण जाधव को फांसी पर लटका दिया तो भारत-पाक संबंधों को इतना गहरा झटका लगेगा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की यह शेष अवधि बांझ साबित हो जाएगी। भारत की जनता नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में पाकिस्तान से संबंध सामान्य नहीं करने देगी। अभी तो भारत सरकार ने इतनी ही प्रतिक्रिया की है कि वह जिन 11 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करनेवाली थी, उन्हें अभी छोड़ा नहीं है और पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर हमारे विदेश सचिव जयशंकर ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। यदि जाधव को पाकिस्तान की फौजी अदालत ने अपील का मौका दे दिया तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों सरकारें कुछ लेन-देन करके समझौता करना चाहेंगी। जाधव पर आरोप यह है कि वह भारतीय गुप्तचर संस्था 'रॉ' का एजेंट है और वह बलूचिस्तान में रहकर न सिर्फ जासूसी कर रहा था बल्कि वहां बगावत भी भड़का रहा था। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि जाधव को बलूचिस्तान के अंदर से पकड़ा गया है लेकिन पाकिस्तान में रहे जर्मन राजदूत मुलेन का कहना है कि तालिबान ने उसे ईरान में पकड़ा और फिर पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी को बेच दिया। वास्तव में जाधव भारतीय नौसेना के सेवा-निवृत्त अफसर हैं और वे ईरान के चाहबहार में बैठकर अपना निजी काम-धंधा चला रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी फौज का कहना है कि जाधव ने खुद कुबूल किया है कि वह 'रॉ' का एजेंट है। इसी आधार पर फौज ने उन्हें कोर्ट मार्शल किया और मौत की सजा दे दी।

आश्चर्य की बात है कि जाधव से भारतीय उच्चायुक्त को बिल्कुल भी संपर्क नहीं करने दिया गया। उच्चायुक्त ने 13 चिट्ठियां लिखीं लेकिन पाक-सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जाधव का मुकदमा बंद कमरे में चला। यह किसी को पता नहीं कि फौज ने उनके खिलाफ कौन-कौन से सबूत जुटाए। जाधव यदि उन पर लगे आरोपों को कुबूल नहीं करते तो हिरासत में ही उन्हें मार डाला जा सकता था। पाकिस्तान के लगभग विदेश मंत्री सरताज अजीज का सीनेट में बयान है कि जाधव के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके हैं। फिर भी फौजी अदालत ने इतना सख्त फैसला आखिर क्यों किया है? इसका कारण तो यह बताया जा रहा है कि नेपाल से गायब हुए पाकिस्तानी जनरल मु. हबीब जाहिर का बदला जाधव से लिया जा रहा है। यह दोनों देशों के जासूसी संगठनों की मुठभेड़ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं। यों भी 'पनामा पेपर्स' के भांडाफोड़ के कारण शरीफ की दाल पतली हो रही है। सिर्फ जाधव के बयानों के आधार पर उनको फांसी दी जा रही है, यह अंतरराष्ट्रीय कानून का सरासर उल्लंघन है। खुद पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने भी जाधव की फांसी का विरोध किया है, क्योंकि वे सिद्धांततः सजा-ए-मौत के विरुद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तानी फौज अपने फैसले पर पुनर्विचार जरूर करेगी, क्योंकि इस फैसले से पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि भी मलिन होगी। ■

बमों और अन्य घातक हथियारों से आक्रमण करके आतंकवादियों को सुरक्षित भागने में सहायक युवाओं की भीड़ को भटका हुआ समझ कर निर्दोष माना जाय ?

यह सर्वविदित है कि वर्षो से कश्मीर घाटी में अलगाववादियों व आतंकवादियों द्वारा प्रति लड़के/युवक को 500 से 1500 रुपये तक देकर सुरक्षाबलों पर हमले करवायें जाते आ रहे है। परिणामस्वरूप अनेक सुरक्षाकर्मी मारे भी गये और साथ ही सरकारी संपत्तियों की भी भारी क्षति हुई है।

पिछले कुछ वर्षों के अतिरिक्त भी जुलाई 2016 में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद इन पत्थरबाजों की टोलियों ने कई माह तक विशेषतौर पर दक्षिण कश्मीर में सामान्य जनजीवन को ही बंधक बना दिया था। जिसको नियंत्रित करने के लिए सरकार को वहां कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। बाद में ऐसा प्रतीत हुआ की नोटबंदी के 50 दिन की अवधि (9 नवंबर से 31 दिसम्बर) में व जाली मुद्रा पर अंकुश लगने से इन पत्थरबाजों का धंधा कुछ कम हुआ । परंतु ये कट्टरपंथी अपने आकाओं के आदेशों पर पुन: धीरे धीरे कोई न कोई बहाना बनाकर और अवसर देखकर अपने जिहादी जनून के दु:साहस का प्रदर्शन करने से बाज नही आ रहें है। अत: ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पत्थरबाजों की टोलियों के प्रति कोई सहानभूति करना देशद्रोहियों के दु:साहस को बढ़ावा ही देगा।

पिछले माह हमारे सेनानायक जनरल विपिन रावत ने अपने एक संदेश में स्पष्ट कहा था कि 'जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल ज्यादा हताहत इसलिए हो रहें है क्योंकि 'स्थानीय लोग' उनके अभियान में बाधा डालते है और कई बार आतंकवादियों को भगाने में भी मदद करते है।' इसके साथ ही उन्होंने अपने कड़े संदेश में स्थानीय कश्मीरी लड़कों को चेतावनी भी दी थी कि 'जिन लोगों ने हथियार उठाये है और इस्लामिक स्टेट व पाकिस्तान के झंडे लहराकर आतंकवादी कृत्य करते है तो हम उनको राष्ट्रविरोधी तत्व मानेंगे और उनको पकड़ कर उन पर कड़ी कार्यवाही होगी।' इस साहसिक बयान पर नेताओं समेत अनेक तथाकथित बुद्धिजीवियों की आलोचनाभरी नकारात्मक टिप्पणियां आयी थी।

लेकिन हमारे लोकतंत्र की बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि आतंकियों, अलगाववादियों और अन्य देशद्रोहियों के पक्ष में मौन रहना कही न कही राजनीति में बने रहकर नेताओ व उनके सहयोगियों की सत्तालोलुपता की मानसिकता का बोध कराता है। जबकि आतंकवादियों की पकड़-धकडी व मुठभेडों पर तथा पैलेटगन की आवश्यकता आदि पर इन्ही लोगों के विरोधी स्वर तेज सुनाई देते आ रहे है। कश्मीर में आतंकवादियों को जेहादी कार्यो में बाधा बनने वाले 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून' (अफस्पा) को हटाने की बार-बार हो रही मांग भी इसी विचारधारा का भाग हो तो कोई अतिश्योक्ति नही।

हमारी केंद्रीय सरकार सीआरपीएफ के जवानों को धैर्यवान बनें रह कर निरंतर घायल होते रहने की बेड़ियों से कब मुक्त करेगी ? जबकि वर्षो बाद हमारी केंद्रीय सरकार ने दृढ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए सितंबर 2016 में पीओके में 'सर्जिकल स्ट्राइक' करवाकर सेना का मनोबल बढ़ाया था। अब ऐसी परिस्थिति में हम जानते हुए भी पाकपरस्त आतंकियों व अलगाववादियों को प्रोत्साहित करने की आत्मघाती त्रुटि क्यो करना चाहते है ? क्या हिंसक के आगे अहिंसा का कोई अर्थ है ? ध्यान रखना होगा कि देश व देश की जनता की रक्षा करने वाले जवान जब अपनी रक्षा करने में ही विवश है तो फिर वह सम्पूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व कैसे निभायेंगे ? इस प्रकार की विवशताओं से नागरिकों की सुरक्षा को संकट में नही डाला जा सकता। काश यह भी आज एक चुनावी मुद्दा बन जायें ? ■

विराग गुप्ता

विदेशी सर्वरों से कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया?

'डिजिटल इंडिया''- कंप्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट के बहुआयामी प्रयोग से समाज, शासन तथा अर्थव्यवस्था में विकास के अभियान का नाम है. देश में कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट से वंचित वर्ग को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना मुश्किल है परन्तु डिजिटल इंडिया को स्वदेशी बनाकर इसे सफल बनाया जा सकता है।

'इंडियन डाटा भारतीय सर्वर्स' अभियान से बढ़ाएं रोजगार

भारत में व्यापार कर रही इंटरनेट कंपनियों ने अधिकांश सर्वर यूरोप और अमेरिका में लगा रखे हैं. मेक इन इंडिया के तहत यदि इंडियन डाटा भारत के सर्वरों में रखने का कानून बन जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। अमेरिका में ट्रंप की नई वीजा नीति के फलस्वरूप अनेक आईटी प्रोफेशनल्स भारत लौट रहे हैं. सर्वर भारत में लगने के नियम का पालन होने से देशी उद्योगों के विकास के साथ प्रति सर्वर औसतन हज़ार लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी ई-मेल का गैर-कानूनी इस्तेमाल बंद हो

संसद द्वारा पारित पब्लिक रिकॉर्डस् कानून के अनुसार अधिकारी लोगों द्वारा सरकारी काम के लिए जीमेल और याहू जैसी विदेशी ई-मेल सेवा का इस्तेमाल करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अगस्त 2013 में पारित आदेश के बावजूद केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को स्वदेशी 'एनआईसी' की ईमेल सेवा नहीं मिल पाई जिससे अधिकांश सरकारी कर्मचारी निजी ईमेल का गैर-कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को एनआईसी ई-मेल की सुविधा सुनिश्चित करने के बाद ही देशभर में डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है।

विदेशी इंटरनेट और आईटी कंपनियों से भारत में हो टैक्स की वसूली

भारत में डिजिटल इंडिया के नाम पर एप्पल, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी विदेशी कंपनियां बड़ा कारोबार कर रही हैं। ऑक्सफैम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 50 बड़ी कंपनियों द्वारा भारत जैसे विकासशील देशों में टैक्स चोरी करके 100 लाख करोड़ से अधिक की रकम आयरलैंड जैसे टैक्स हेवन देशों में जमा करने से असमानता और मंदी आ रही है। डिजिटल इंडिया से उपजे बड़े व्यापार को टैक्स कानून के दायरे में लाने की बड़ी जिम्मेदारी सरकार और संसद जल्द पूरा क्यों नहीं कर रहीं?

डाटा सुरक्षा के लिए बने कानूनों का सख्ती से हो पालन

हैकर्स ने गृह-मंत्रालय तथा एनएसजी की वेबसाइट्स को हैक करके भारत सरकार को गंभीर चुनौती दी। आधार का डाटा कितना सुरक्षित है इसका फैसला आने वाले समय में होगा. परन्तु कुछ महीने पहले 32 लाख से अधिक बैंक डेबिट कार्डों का डाटा चोरी हो गया था पर अभी तक अपराधी दंडित नहीं हुए. क्या अब भारत में भी यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर नया डाटा सुरक्षा कानून बनाने का समय नहीं आ गया?

डिजिटल इंडिया में प्राइवेसी तथा ई-सिग्नेचर की मान्यता हेतु बनें कानून

डिजिटल इंडिया अभियान के साथ जनता की प्राइवेसी उल्लंघन पर कठोर दंड हेतु सरकार संसद के माध्यम से जल्द से जल्द सख्त कानून क्यों नहीं लाती? देश में अब ई-सिग्नेचर्स को मान्यता दिए जाने का नियम बनना चाहिए जिससे ई-मेल तथा डिजिटल माध्यम से किए गए एग्रीमेंटों को कानूनी मान्यता मिल सके।

अदालतों में भी हो डिजिटल इंडिया की क्रांति

प्रधानमंत्री मोदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं जयंती पर तकनीकी के इस्तेमाल से अदालतों में न्यायिक क्रांति पर जोर दिया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कुछ निचली अदालतों में सैंपल तौर पर वीडियो कैमरे लगाए जाने हैं, परंतु उनमे ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होने से लोगों को क्या लाभ मिलेगा? संसद की तर्ज पर अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण न हो परंतु अदालतों की वीडियो रिकॉर्डिंग यदि शुरू हो जाए तो लोगों को न्याय दिखेगा भी। हरियाणा में व्हाट्सऐप द्वारा सम्मन जारी करने का नया प्रयोग हुआ है. सीपीसी कानून के अनुसार अदालतों द्वारा यदि ई-मेल से नोटिस, सम्मन और वारंट तामील किया जाए तो मुकदमों में अनावश्यक विलंब रुकने से जनता को लाभ मिलेगा। डिजिटल इंडिया से जनहित सुरक्षित होने के साथ लोगों को लाभ भी मिलने लगेगा तो इसे मनाने के लिए सरकारी पर्व की जरूरत नहीं होगी!

विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं।

यहां कौन है सुनने वाला स्वच्छाग्रह का सच ?

● अरुण तिवारी

किसानों का शोषण बंद हो। चंपारण सत्याग्रह, इसी सच का आग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के सौ साल पूरे होने पर भी क्या किसानों को शोषण रुका है ? मृत किसानों के नरमुण्डों को तमिलनाडु से लाकर जंतर-मंतर पर जमें किसानों के सत्याग्रह की क्या कोई सुन रहा है ? प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष स्वयं को नग्न कर पुलिस जीप से बाहर निकलने के बावजूद क्या शासन ने उनके सत्याग्रह का सम्मान किया ? दुखद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी 'स्वच्छाग्रह' कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। स्वच्छाग्रह का सच यह है कि राज्यों ने स्वच्छ भारत अभियान को घर-घर शौचालय तक सीमित मान लिया है। 'घर-घर शौचालय' के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर बेताबी के चलते छत्तीसगढ़ में कहीं बिना शीट, कहीं बिना दीवार, तो कहीं बिना गड्ढे के ही शौचालय बना दिए गये हैं। जहां शौचालय बन भी गये हैं, उनमें से ज्यादातर को ग्रामीण अन्य उपयोग में ला रहे हैं। क्यों ? क्योंकि यह सब जन-जरूरत और जन-मानस समझे बगैर किया जा रहा है। 'घर-घर शौचालय' गांधी जी के सबसे प्रिय गांव, गरीब, आदिवासी और किसान का भला करेगा या बुरा ? इसका आकलन करना तो दूर, सच सुनने की सहिष्णुता भी नहीं दिखाई जा रही।

दीपाली का सत्याग्रह

मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण विभाग की आयुक्त दीपाली रस्तोगी ने सच कहने की कोशिश की, तो उन्हे कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। दीपाली 1994 बैच की आई.ए.एस. अधिकारी हैं। उन्होने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर शौचालय के आने के साथ वाली खाद-पानी संबंधी चुनौतियों सामने रखी हैं। निस्संदेह, लेख लिखते हुए दीपाली इतनी असहज हुई हैं कि उन्होने यहां तक लिख डाला कि गोरों के कहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुले में शौचमुक्त अभियान चलाया,, जिनकी वाशरूम हैबिट भारतीयों से अलग हैं। दीपाली ने लिखा कि जो पीने के पानी से जूझ रहे हैं, वे शौचालय के लिए पानी कहां से लायेंगे। हमारा मानना है कि 'घर-घर शौचालय' के दूरगामी दुष्परिणामों को जो कोई भी देख पा रहा होगा, वही असहज हो उठेगा। दीपाली रस्तोगी के सत्याग्रह का समर्थन करें या विरोध यह तय करने से पहले घर-घर शौचालय का सच जानना जरूरी है।

कितना उचित घर-घर शौचालय ?

यह सच है कि कचरा, पर्यावरण का दुश्मन है और स्वच्छता, पर्यावरण की दोस्त। कचरे से बीमारी और बदहाली आती है और स्वच्छता से सेहत और समृद्धि।

ये बातें महात्मा गांधी भी बखूबी जानते थे और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी भी। इसीलिए गांधी जी ने स्वच्छता को, स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी बताया। मैला साफ करने को खुद अपना काम बनाया। गांवों में सफाई पर विशेष लिखा और किया। कुंभ मेले में शौच से लेकर सुर्ती की पीक भरी पिचकारी से हुई गंदगी से चिंतित हुए। श्रीमान मोदी ने भी स्वच्छता को प्राथमिकता पर रखते हुए स्वयं झाड़ू लगाकर अपने प्रधानमंत्रित्व काल के पहले ही वर्ष 2014 में गांधी जयंती को 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरुआत की। वर्ष-2019 में गांधी जयंती के 150 साल पूरे होने तक 5000 गांवों में दो लाख शौचालय तथा एक हजार शहरों में सफाई का लक्ष्य भी रखा। स्वच्छता सप्ताह के रूप में बाल दिवस से स्कूलों में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया, किंतु यदि मुझसे पूछे कि पर्यावरणीय अनुकूलता की दृष्टि से गांधी और मोदी के स्वच्छता विचार में फर्क क्या हैं ? ..तो मेरा जवाब कुछ यूं होगा - ''मोदी का स्वच्छता विचार, कचरा बटोरना तो जानता है, किंतु उसका प्रकृति अनुकूल उचित निष्पादन करना नहीं जानता। गांधी, दोनो जानते थे। गांधी जानते थे कि यदि कचरे का निष्पादन उचित तरीके से न हो, तो ऐसा निष्पादन पर्यावरण का दोस्त होने की बजाय, दुश्मन साबित होगा।

मोदी जी ने खुले शौच से होने वाली गंदगी से निजात का उपाय, सेप्टिक टैंक अथवा सीवेज पाइपों में कैद कर मल को बहा देने में सोचा। संप्रग सरकार की निर्मल ग्राम योजना में भी बस गांव-गांव शौचालय ही बनाये गये थे, किंतु कम से कम ठेठ गांवों के मामले में गांधी, सिद्धांतत: इसके खिलाफ थे।

शौचालय नहीं, सोनखाद

शहरों के मामले में गांधी की यह राय अवश्य थी कि शहरों की सफाई का शास्त्र हमें पश्चिम से सीखना चाहिए; किंतु वह गांवों में खुले शौच का विकल्प शौचालय की बजाय, शौच को एक फुट गहरे गड्ढे में मिट्टी से ढक देना मानते थे। सहज भाषा व भाव में उन्होने इस विकल्प को 'टट्टी पर मिट्टी' का नाम दिया। 'मेरे सपनों के भारत' पुस्तक में वह सफाई और खाद पर चर्चा करते हुए लिखते हैं - 'इस भयंकर गंदगी से बचने के लिए कोई बडा साधन नहीं चाहिए; मात्र मामूली फावडे का उपयोग करने की जरूरत है।'' दरअसल, गांधी जी, शौच और कचरे को सीधे-सीधे 'सोनखाद' में बदलने के पक्षधर थे। वह जानते थे कि मल को संपत्ति में बदला जा

सकता है। श्री मोदी जी को भी यह जानना चाहिए।

गांधी कहते थे कि इससे अनाज की कमी पूरी जा सकती है। इस सत्य को गांव के लोग आपको आज भी इस उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि बसावट की बगल के खेत की पैदावार अन्य खेतों की तुलना में ज्यादा क्यों होती है। आधुनिक भारत का सपना लेकर चलने वाले नेहरू से लेकर 'हरित क्रांति' के योजनाकारों ने भी इसे नहीं समझा। वे, विकल्प के तौर पर रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक ले आये। उसका खामियाजा प्राकृतिक जैवविविधता की हत्या, मिट्टी की दीर्घकालिक उपजाऊ क्षमता में कमी और सेहत के सत्यानाश के रूप में हम आज तक झेल रहे हैं। मोदी जी, ऐसा न होने दें।

इस बात को वैज्ञानिक तौर पर यूं समझना चाहिए। गांधी जी लिखते हैं – 'मल चाहे सूखा हो या तरल, उसे ज्यादा से ज्यादा एक फुट गहरे गड्ढा खोदकर ज़मीन में गाड दिया जाय। ज़मीन की ऊपरी सतह सूक्ष्म जीवों से परिपूर्ण होती है और हवा एवम् रोशनी की सहायता से, जो कि आसानी से वहां पहुंच जाती है; वहां जीव, मल-मूत्र को एक हफ्ते के अन्दर एक अच्छी, मुलायम और सुगन्धित मिट्टी में बदल देते हैं।'' सोपान जोशी की पुस्तक 'जल थल और मल' इस बारे में और खुलासा करती है। वह बताती है कि एक मानव शरीर एक वर्ष में 4.56 किलो नाइट्रोजन, 0.55 किलो फॉसफोरस और 1.28 किलो पोटाशियम का उत्सर्जन करता है। 115 करोड की भारतीय आबादी के गुणांक में यह मात्रा करीब 80 लाख टन होती है। मानव मल-मूत्र को शौचालयों में कैद करने से क्या हम, हर वर्ष प्राकृतिक खाद की इतनी बडी मात्रा खो नहीं देंगे ?

त्रिकुण्डीय प्रणाली वाले 'सेप्टिक टैंक' तथा मल-मूत्र को दो अलग-अलग खांचों में भरकर 'इकोसन' के रूप में हम इसमें से कुछ मात्रा बचा जरूर सकते हैं, लेकिन यह हम कैसे भूल सकते हैं कि खुले में पड़े शौच के कंपोस्ट में बदलने की अवधि दिनों में है और सीवेज टैंक व पाइप लाइनों में पहुंचे शौच की कंपोस्ट में बदलने की अवधि महीनों में; क्योंकि इनमें कैद मल का संबंध मिट्टी, हवा व प्रकाश से टूट जाता है। इन्ही से संपर्क में बने रहने के कारण खेतों में पडा मानव मल आज भी हमारी बीमारी का उतना बडा कारण नहीं है, जितना बडा कि शोधन संयंत्रों के बाद हमारी नदियों में पहुंचा मानव मल। हम खुले में शौच से ज्यादा, मलीन जल, मलीन मिट्टी और मलीन हवा के कारण बीमार और कर्जदार हो रहे हैं।

कचरा निष्पादन का सिद्धांत

गांवों में मानव मल निष्पादन का गांधी तरीका, कचरा निष्पादन के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत के पूरी तरह अनुकूल है। सिद्धांत है कि कचरे को उसके स्त्रोत पर निष्पादित किया जाये। कचरा चाहे

मानव मल-मूत्र को शौचालयों में कैद करने से क्या हम, हर वर्ष प्राकृतिक खाद की इतनी बडी मात्रा खो नहीं देंगे?

मल हो या मलवा, कचरे को ढोकर ले जाना वैज्ञानिक पाप है। अनुभव बताता है कि शौचालय कभी कहीं अकेले नहीं जाता। शौचालय के पीछे-पीछे जाती है, मोटर-टंकी और बिजली-पानी की बढी हुई खपत। एक दिन जलापूर्ति की पाइप लाइनें, उस इलाके की जरूरत बन जाती है। राजस्व के लालच में सीवर की पाइप लाइनें सरकार पहुंचा देती है। इससे, कचरा और सेहत के खतरे बिना न्योते ही चले आते हैं। दुनिया में हर जगह यही हुआ है। हमारे यहां यह ज्यादा तेजी से आयेगा; क्योंकि हमारे पास न मल शोधन पर लगाने को पर्याप्त धन है और न इसे खर्च करने की ईमानदारी। 'घर-घर शौचालय' शुचिता से ज्यादा बाज़ार का व्यापार बढ़ाने वाला खेल बनने वाला है। सोनखाद घटेगी; रासायनिक उर्वरक और रोगी बढ़ेंगे। हकीकत यही है। अभी शहरों के मल का बोझ हमारी नगरनिगम व पालिकाओं से संभाले नहीं संभल रहा। जो गांव पूरी तरह शौचालयों से जुड गये हैं, उनका तालाबों से नाता टूट गया है। गंदा पानी, तालाबों में जमा होकर उन्हे बर्बाद कर रहा है। जरा सोचिए! अगर हर गांव-हर घर में शौचालय हो गया, तो हमारी निर्मलता और 'सुनहली खाद' कितनी बचेगी ?

शौचालय नहीं, घर-घर कंपोस्ट से बनेगी बात

समझने की बात है कि एकल होते परिवारों के कारण मवेशियों की घटती संख्या और परिणामस्वरूप घटते गोबर की मात्रा के कारण जैविक खेती पहले ही कठिन हो गई है। कचरे से कंपोस्ट का चलन अभी घर-घर अपनाया नहीं जा सका है। अतः गांधी जयंती पर स्वच्छता, सेहत, पर्यावरण, गो, गंगा और ग्राम रक्षा से लेकर आर्थिकी की रक्षा के चाहने वालों को पहला संदेश यही है कि गांवों में 'घर-घर शौचालय' की बजाय, 'घर-घर पानी निकासी गड्ढा' और 'घर-घर कंपोस्ट' के लक्ष्य पर काम करें। कचरा निष्पादन हेतु गांधी जी ने कचरे को तीन वर्ग में छंटाई का मंत्र बहुत पहले बताया और अपनाया था: पहले वर्ग में वह कूडा, जिससे खाद बनाई जा सकती हो। दूसरे वर्ग में वह कूडा, जिसका पुर्नोपयोग संभव हो; जैसे हड्डी, लोहा, प्लास्टिक, कागज़, कपडे आदि।

तीसरे वर्ग में उस कूडे को छांटकर अलग करने को कहा, जिसे ज़मीन में गाडकर नष्ट कर देना चाहिए। कचरे के कारण, जलाशयों और नदियों की लज्जाजनक दुर्दशा और पैदा होने वाली बीमारियों को लेकर भी गांधी जी ने कम चिंता नहीं जताई।

गोरक्षा और सेवा के महत्व बताते हुए भी गांधी जी ने गोवंश के जरिए, खेती और ग्रामवासियों के स्वावलंबन का ही दर्शन सामने रखा। वह इसे कितना महत्वपूर्ण मानते थे, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उन्होने गोवंश रक्षा सूत्रों को बार-बार समाज के समक्ष दोहराया ही नहीं, बल्कि जमनालाल जी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को गो-पालन कार्य को आगे बढाने का दायित्व सौंपा। वह जानते थे कि जो खेती की रक्षा के लिए सच है, वही गोवंश की रक्षा के लिए भी सच है। व्यापक संदर्भ में गांधी जी बार-बार कहते थे कि हमारे जानवर, हिंदुस्तान और दुनिया के गौरव बन सकते हैं। पर्यावरणीय गौरव इसमें निहित है ही।

दिमाग शुद्ध, तो पर्यावरण शुद्ध

गांधी साहित्य, पर्यावरण के दूसरे पहलुओं पर सीधे-सीधे भले ही बहुत बात न करता हो, लेकिन संयम, सादगी, स्वावलंबन और सच पर आधारित और सही मायने में सभ्य और सांस्कारिक उनका जीवन दर्शन, पर्यावरण की वर्तमान सभी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत कर देता है। एकादश व्रत भी एक तरह से मानव और पर्यावरण के संरक्षण और समृद्धि का ही व्रत है। ''प्रकृति हरेक की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन लालच एक व्यक्ति का भी नहीं।'' जब गांधी यह कहते हैं, तो इसी से साथ आधुनिकता और तथाकथित विकास के दो पगलाये घोडें के हम सवारों को लगाम खींचने का निर्देश स्वत: दे देते हैं।

कितनी उचित उलटबांसी ?

गंदगी, अच्छाई या बुराई.... इस दुनिया में जो कुछ भी घटता है, वह हकीकत में घटने से पहले किसी ने किसी के दिमाग में घट चुका होता है। यह बात पश्चिम ने भी समझी। गौर कीजिए कि उसने हमें पहली या दूसरी दुनिया न कहकर, 'तीसरी दुनिया' कहा। इस शब्द से उसने हमें मुख्यधारा से अलग-थलग पिछड़े गंवार, दकियानूसी और अज्ञानी होने का एहसास कराने का शब्दजाल रचा। हमारे प्रकृति अनुकूल, समय-सिद्ध व स्वयं-सिद्ध ज्ञान पर से हमारे ही विश्वास को तोडा; फिर अपनी हर चीज, विधान व संस्कार को आधुनिक बताकर हमें उसका उपभोक्ता बना दिया। संयम, सादगी और सदुपयोग की जगह, सभ्यता के नाम पर अतिभोग तथा 'उपयोग करे और फेंक दो' का असभ्य सिद्धांत थमा दिया।

सब संस्कार बदल गये। परमार्थ, फालतू काम है; स्वार्थ से ही सिद्धि है। 'ग्लोबल वार्मिंग', दुनिया के लिए होगी, तुम्हारे लिए तो ए. सी. है। अपना कमरा.. अपनी गाडी के भीतर ठंडक की तरफदेखो; दुनिया जाये भाड़ में। घर का कचरा बाहर और अतिभोग का सुविधा-सामान अंदर। इसके लिए अब सिर्फ पेट नहीं, तिजोरी भरो। इसीलिए खेती बाडी, निकृष्ट बता दी गई और दलाली, चाकरी से भी उत्तम। कहा कि गांव हटाओ, शहर भगाओ। कर्ज लो, घी पियो। नदियां मारने के लिए कर्ज लो। नदियों को जिलाने के लिए कर्ज लो। कुदरती जंगल काटो; खेत बनाओ या इमारती जंगल लगाओ। जानते हुए भी कि यह धरती का पेट खाली कर पानी की कंगाली का रास्ता है; हमने नदी-तालाब से सिंचाई की बजाय, नहर और धरती का सीना चाक करने वाले ट्युबवैल, बोरवैल, समर्सिबल.. जेटपंप को अपना लिया। सेप्टिक टैंकों से भी आगे बढ़कर सीवेज पाइपों वाले आधुनिक हो गये। यूकेलिप्टस याद रहा; पंचवटी भूल गये। जहां जरूरी हो; जहां कोई और विकल्प शेष न हो; किंतु सभी जगह? यह कितना ठीक है ? जहां जेब अनुमति दे; इसी एक शर्त पर सारे निर्णय ! ओफ्फ !!

बापू का रास्ता

इन सब उलटबांसियों के बीच रास्ते बनाते हुए कभी आया एक दुबला-पतला बूढ़ा, आज फिर सेवाग्राम संचालकों से कहना चाहता है - ''खजूरी, गरीबों का वृक्ष है। उसके उपयोग तुम्हें क्या बताऊं। अगर सब खजूरी कट जाये, तो सेवाग्राम का जीवन बदल जायेगा। खजूरी हमारे जीवन में ओतप्रोत है।..... खजूरी के उपयोग का हिसाब करो।'' जिस महात्मा गांधी को खजूरी जैसे सहज उपलब्ध दरख्त और छोटी से छोटी पेंसिल को सहेजने और उसका हिसाब रखने जैसी बडी-बडी आदतें थीं; पर्यावरण और स्वच्छता के उनके सिद्धांतों को लिखकर या पढकर नहीं, बल्कि आदत बनाकर ही जिंदा रखा जा सकता है। आइये, बनायें। ■

सेप्टिक टैंक और बलवंत की झिड़की

बात फरवरी, 1941 की है। टाइफाइड नियंत्रण को लेकर डॉक्टरों की सलाह से गांधी जी ने सेवाग्राम में सेप्टिक टैंक बनाने का निर्णय लिया। जानकरी मिली, तो बलवंत सिंह भड़क उठे। वह गांव समसपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। गांधी ने बलवंत को उस समय सेवाग्राम में गोशाला आदि का जिम्मेदार नियुक्त किया हुआ था। बलवंत ने गांधी जी को कडी चिट्ठी लिखी। उनकी बदली हुई नीति को लेकर दु:ख और आश्चर्य प्रकट किया। इसे सोने को पानी करने का काम बताया। पाखाना-सफाई और उसकी खाद से प्रकृति व जीव-जगत् के स्वार्थ के घनिष्ठ संबंध के गांधी सिद्धांत की याद दिलाई।

'बापू की छाया में' पुस्तक में शामिल अपने एक पत्र में श्री बलवंत सिंह जी ने बापू को लिखा है - ''जैसा कोई नचाये, वैसा ही नाच नाचते रहेंगे, तो शायद आपके सत्तर वर्ष के बूढे पैर जवाब दे बैठेंगे। किसी की भी अच्छी चीज को अपनाने या उसका प्रयोग करने का आपका स्वभाव है। जनसंग्रह करना तो आपका धंधा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि -''जल लाये वो सोना, जिससे नाक छवे।'' अब तक आप ढोल पीट-पीट कर कहते आये हैं कि यदि हिंदुस्तान के सात लाख गांवों का पाखाना सुव्यवस्थित रूप खाद के काम में लाया जाये, तो उस का कीमिया बन सकता है। आपकी जिस बात को काटने की हिम्मत किसी में नहीं है और हो भी कैसे सकती है ? जानवर, वनस्पति खाकर भी बेशकीमती खाद ज़मीन को वापस देते हैं, तो मनुष्य ज़मीन की उत्पत्ति का सार यानी अनाज खाकर कितना कीमती खाद दे सकता है ? इसीलिए तो पाखाने को सोनखाद कहा जा सकता है न ?''

बलवंत सिंह जी ने पाखाने को सेप्टिक टैंक में यूं दफना देने को किसान और ज़मीन के साथ अन्याय माना। गांधी ने बलवंत की झिड़की को उचित माना और उत्तर में आश्वस्त किया कि खाद को बरबाद नहीं होने देंगे।

रामेश्वर तेली

बजट और मेरा मत

माननीय अध्यक्ष महोदया,
मैं, हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा वर्ष 2017 और 2018 के लिए प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट का पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूँ, यह बजट जिसका लक्ष्य किसानों, श्रमिकों, गरीबों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, महिलाओं और समाज के अन्य दबे कुचले वर्गों का कल्याण करना है, वाकई ही सरकार द्वारा बेहद ही स्वागतयोग्य कदम है। बजट में दिए गए प्रस्ताव निस्संदेह ही निर्धनता उन्मूलन की दिशा में और देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए एक अच्छा कदम साबित होंगे। और हमारे युवाओं को शक्ति प्रदान करने के प्रति सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे उन्हें विकास और रोज़गार के लाभों का दोहन करने में सहायता मिलेगी। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी का कथन भी है कि बड़ी राशि वाले बैंक नोटों का विमुद्रीकरण एक बहुत ही साहसिक और निर्णयाक फैसला रहा है। ये सभी कठोर उपाय हमारे देश से भ्रष्टाचार, काला धन, जाली मुद्रा और आतंकवादी फंडिंग को हटाने में सहायता करेंगे।

रेल बजट का आम बजट के साथ विलय एक ऐतिहासिक कदम है। मैं सरकार को इस कदम के उठाए जाने पर बधाई देते हुए कहना चाहूंगा कि यह कदम रेलवे को सरकार की वित्त नीति के केंद्र में ले आएगा और यह रेलवे, राजमार्ग, जलमार्ग, के बीच बहु मॉडल परिवहन योजना को सुगम बनाएगा। बजट में घोषणा किए गए विभिन्न उपायों के बीच जो भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलेंगे वे हैं किसानों के लिए उठाए गए कल्याणकारी उपाय जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 'हर बूंद, अधिक फसल' लक्ष्य को हासिल करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाए निधि का गठन किया जाना, नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नैम) के कवरेज का विस्तार, एक डेरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि का प्रावधान, और ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए उपाय जैसे अन्त्योदय अभियान, जिससे एक करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके और वर्ष 2011 तक 50,000 ग्राम पंचायतों को निर्धनता मुक्त करना आदि। प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि से भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा। 1 मई 2018 तक शतप्रतिशत गाँवों में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 28,000 करोड़ का बढ़ा हुआ आवंटन सरकार की एक और ऐसी उपलधि है जिसकी सराहना होनी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को अगले चार वर्षों में लगभग 28,000 आर्सेनिक और 3लूरोइड प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ जल पहुँचाने की घोषणा के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति को और जोर देने के लिए, सरकार ने गाँव के स्तर पर महिला शक्ति केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाडी केंद्रों में 500 करोड़ का आवंटन हुआ है। यह बहुत ही बड़ा कदम है क्योंकि यह उपाय ग्रामीण महिलाओं को वृहद स्तर पर लाभान्वित करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ है जब स्वतंत्र भारत ने एक संयुक्त बजट प्रस्तुत किया है - रेलवे बजट के साथ आम बजट। भारतीय रेलवे के सम्बन्ध में मुख्य मुद्दों जैसे यात्री सुरक्षा, पूंजी और विकास नेटवर्क, सफाई और वित्त और लेखा उधार भी भारतीय रेलवे के मानकों में वृद्धि करेंगे।

यह बहुत ही खुशी की बात है कि वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक बहुत ही प्रगतिशील और जनानुकूल बजट प्रस्तुत किया है जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके स्वप्नदर्शी विचारों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जो बजट में परिलक्षित हुए हैं।

लेखक डिबरूगढ़ से सांसद हैं।

सुकमा में नक्सलियों का तांडव

छत्तीसगढ़ का सुकमा एक बार फिर से नक्सली आतंक से थर्रा उठा। 25 अप्रेल 2017 को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में तांडव मचाते हुए सीआरपीएफ के 25 जवानों को असमय काल के मुंह में धकेल दिया। लगभग 300 नक्सलियों ने गाँव की तरफ से हमला किया और घात लगाकर जवानों को सम्हलने का मौका दिए बगैर ही उन पर गोलियां बरसानी शुरु कर दीं। घायल जवानों में से एक ने बताया था कि नक्सलियों ने पहले गाँव वालों को उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए भेजा और बाद में अत्याधुनिक हथियारों से उनके कैम्प पर हमला कर दिया। उनके अनुसार सभी काली पोशाकों में थे। खबर यह भी है कि नक्सली कई हथियार भी लूट ले गए। ये नक्सली हमला वहां के विकास को पटरी से उतारने के उद्देश्य से किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री घटना के समय दिल्ली में थे और जो घटना की खबर सुनते ही छत्तीसगढ़ रवाना हो गए थे। इस मसले पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके लिए जवाबदेह लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं राष्ट्रपति प्रणाब मुखर्जी ने कहा, मैं सुकमा में हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों के लिए मैं संवेदनाएं जाहिर करता हूं।

नियति एवं कर्मों का फल देने वाला न्याय प्रिय ग्रह

● सुरेन्द्र प्रभात खुर्दिया

कलर्स टीवी चैनल पर रात 9 बजे ''शनैः-शनैः कर्म फल दाता शनि'' का धरावाहिक-कई सीरियलों में से एक अलग ही प्रकार की अनूठी छाप छोडने वाला टीवी सीरियल हैं। हालांकि उक्त कथा पूर्णतया काल्पनिक कथा यात्रा पर टिकी हुई है। फिर भी उक्त कहानी के माध्यम से नियति एवं कर्मों का फल देने वाला न्याय प्रिय ग्रह और कर्म फल एवं कर्म सन्तुलन का देवता शनि नागरिक समाज में एक जिज्ञासु प्रवृति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण इस सीरियल को दर्शक देखे बिना नहीं रह सकते हैं। वर्तमान में यह अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है कि कैसे नियति को कर्म के माध्यम से बदला जा सकता है। धीरे - धीरे शनि ने क्योंकि शनि, देवों के देव महादेव का सृजन मात्र ही नहीं था, बल्कि यूं कहिए कि कर्म - ज्ञान और चेतना ना केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित था और हैं। उसके माध्य से व्यवहारिकता में उतानरने को प्रेरित करने वाला कर्म फल है। किस तरह शनि ने कर्म के जरिए उसने अपनी मां छाया और दोस्त कॉकोल को पुन: जीवित कराने में शनि अपनी बुद्धि और चात्तुर्य बल से कर्म के सहारे सफल ही नहीं होता हैं, परन्तु वह सार्थकता तक पंहुच कर ही दम लेता है। आखिर में महादेव को वह सब करना पड.ता जो नियति में कही नहीं था। उसी का नाम कर्म फल दाता शनि आगे जा कर कहलाता है। वह यूं ही नहीं कहलवाया कर्म फल दाता शनि। वर्तमान परिवेश में हमारे देश में कर्म करने का सन्देश देने का रिवाज छोड़ दिया गया हैं और उसका स्थान लोभ, लालच और लालसा और जल्दबाजी और उतावलेपन की एक संस्कृति मौजूदा दौर में निर्मित हो गई है। ऐसी स्थिति में शनि काल्पनिक अद्भुत रोमांचकारी कथा यात्रा बहुत मायने रखती हैं। तभी हमारा युवा देश होने के बावजूद अमेरिका जैसे देश का हमें पिछलग्गू बना दिया है। हमारे देश की प्रतिभा अपनी महत्वाकांक्षा और लालसा की पूर्ति के लिए अमेरिका की ओर देखता जा रहा हैं। ऐसी विषमपरिस्थिति में शनि कर्म के माध्यम से कैसे नियति तक को घूल चटा सकता है और वह हमारे खोएं हुए कर्म की ओर पुन: लौट आने का प्रेरणदायी संदेश भी साथ में देता हैं। वह हमें स्व का भी ज्ञान कराता है। हम देश समाज के लिए कैसे व्यवहारिक रूप से कर्म की और अग्रसर हो सकते हैं।

इसी के साथ ही पवित्र दृष्टि को लेकर कैसे महादेव ने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शनि ने अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। शनि को वक्र दृष्टि प्रदान ही नहीं करते है बल्कि उसको स्वयं महादेव अपने पर प्रयोग करने की अनुमति तक दे देते हैं। एक बालक से महादेव बुरी तरह फस जाते है और लाख कोशिशों के बावजूद उनकी कोशिश यह रहती है कि सुर्यास्त होने वाला हैं। अब शनि क्या और कैसे खोज पाएंगा और आखिर में शनि अपनी पवित्र दृष्टि का नारायण के कहने पर विस्तार करता है। और सूर्यास्त से पूर्व ही खोजने में कामयाब हो जाता है। महादेव एक बालक शनि से भयभीत हो कर कहां - कहां नहीं छिपते है। अब कैसे वह मुझे ढ.ढ. पाएंगा। पवित्र दृष्टि-वृक्र दृष्टि की अद्भुत यात्रा रोमांचकारी दृश्य का नारायण आनन्द लेते हैं। उसका सुन्दर ढंग से शनि के माध्यम से संवाद प्रेरित करने वाला होता है। जब महादेव ने उसे कर्म फल दाता के लिए ही उस का सृजन किया है। मार्ग पर लाने के लिए दृष्टि की शुद्धता के महत्व पर बल दिया गया है। यम्मी पर भी छायापुत्र शनि प्रयोगकर्ता हैं। उस की पवित्र दृष्टि के कारण कुछ भी महसूस नहीं होने पर शनि कैसे सुन्दर शब्दों में उसका वर्णन करते हुए न्याय पर जोर देते हुए कहता है कि बुरे कर्म का हश्र बुरा और अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता हैं। उक्त घटनाक्रम के माध्यम से यही संदेश आज भी वर्तमान परिवेश में एक दम सटीक बैठता है।

शनैः-शनैः कर्म फल दाता शनि के धारावाहिक एपिसोड में ऊर्जापुंज पर जोर दिया गया हैं, शक्तिपुंज नही तो सकारात्मकता लिए होता है और नहीं नकारात्मकता लिए होता है। बस, सिर्फ वह केवल मात्र ऊर्जापुंज होता जिसकी क्या आस्तिक और नास्तिक अपने - अपने तरीके से व्याख्या करते है। कहने का अभिप्रर्य यह कि आध्यात्मिक दृष्टि से उसे देखने का अपना - अपना नजरिया होता है। आस्तिक उसे अध्यात्म में खोजता हैं और नास्तिक ऊर्जापुंज के रूप में खोजता है। बस, उस एनर्जी का प्रयोग नकारात्मक और सकारात्मक व्यक्ति पर निर्भर करता है। मनुष्य या नागरिक समाज उस शक्तिपुंज को दोनो ही स्वीकार करते हैं। जिस एंगल से देखा जाता है। उसी एंगल में ढल जाता है। वही चीज आगे जा कर सकरात्मकता और नकारात्मकता में तब्दील हो जाती है।

प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक टॉलटॉय के उस मन्तव्य को भुलाया नहीं जा सकता है कि वर्षों पूर्व उन्होने कहा है कि ''योग्यता, ईमानदारी और नेकनीयति और सच्चरित्रता आदि सद्गुण अधिकतर नास्तिक लोगों में पाए जाते है।''वह आज की तारीख में एकदम कसोटी पर खरे उतर रहें हैं। क्योकि नास्तिकों द्वारा विवेक जन-जागरण और हर कार्य एवं कारण और भाव पर आधारित होने के कारण उसकी पड़ताल और प्रयोग द्वारा अनुभूति पर टिके होने के कारण सटीक परिणाम तक पहुंचा देते है।

नियति को कर्म से बदलने की अद्भुत यात्रा के अन्तर्गत शनि कैसे अपनी मां और दोस्त कॉकोल का जीवन वापस प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वृक्र दृष्टि और ऊर्जापुंज आदि इत्यादि इन तीनों तथ्यों के ईद - गिर्द पूरा धारावाहिक देश और समाज को कैसे व्यवहारिक जीवन में उसे अपनाकर दृढ़ इच्छाशक्ति और मनोबल के जरिए कर्म से बदलने का माद्दा रखने का शानदार कोलाज नई ऊर्जा - स्फूर्ति प्रदान करता है।

मनोवैज्ञानिक पत्रकार और लेखक

मुस्लिम लॉ बोर्ड ही है सभी मुस्लिम समस्याओं की जड़ - डा सुरेन्द्र जैन

अप्रेल 15, 2017 आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की घोषणा में कोई नया पन न होकर, नई बोतल में पुरानी शराब की तरह, केवल पुरानी बातों को ही दोहराया गया है। उसने तीन तलाक को नाजायज ठहराने की बजाए, केवल बे-बजह तलाक लिया जाता है, तो, समाज उसका बहिस्कार करेगा, यह कहा है। वह बे-बजह है कि नहीं, यह तय करने का अधिकार भी फिर उन्हीं मुल्ला-मौलवियों का ही होगा। विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डा सुरेन्द्र जैन ने आज कहा कि मध्य युगीन परंपराओं में जीने वाले ये वही लोग हैं जो आज भी उस युग की बर्बर परंपराओं को ही अपना धर्म तथा महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। अपनी आधी आवादी को ये सामान्य मानव अधिकार भी देने को तैयार नहीं हैं। तलाक देने का अधिकार महिलाओं को भी उतना ही मिले जितना पुरुषों को है, किन्तु, ये उसके लिए तैयार ही नहीं हैं। ऊपर से, हलाला जैसी बर्बर अमानवीय परंपरा को भी उचित ठहराकर इन लोगों ने महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करा दिया है। इसलिए, मुस्लिम महिलाओं को मानवाधिकार दिलाने हेतु अब केंद्र सरकार को ही अपने संकल्प पर द्रढ़ रहते हुए इस बाबत आवश्यक कानून अविलंब बनाने चाहिए।

बोर्ड के राम मन्दिर संबंधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डा जैन ने कहा कि इस मामले में भी बोर्ड ने अपनी हठ-धर्मिता को ही दोहराया है। वे राम जन्म भूमि के मामले में तो न्यायालय का निर्णय चाहते हैं किन्तु, तीन तलाक में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। उनकी इस दोहरी मानसिकता से ही स्पष्ट हो जाता है कि वे न्यायपालिका का कितना सम्मान करते हैं। इसलिए उनके बहकावे में आने की बजाए केंद्र सरकार को आगे बढ़कर तीन तलाक, हलाला व बहु विवाह जैसी बर्बर परम्पराओं को समाप्त करने हेतु अतिशीघ्र कानून लाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं तथा जागृत मुस्लिम समाज की मांग के साथ मानवता का भी यही तकाजा है।

विहिप प्रवक्ता श्री विनोद बंसल द्वारा जारी इस बयान में डा जैन ने यह भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब दिवालिया हो चुका है, जिसका मुस्लिम समाज में न कोई जनाधार है और न ही यह सम्पूर्ण मुस्लिम समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। वल्कि, यह केवल उनमें कट्टरता को बढ़ाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करना चाहता है। अतः इसकी पूर्ण रूपेण उपेक्षा कर देनी चाहिए. तभी, मुस्लिम समाज से सम्बंधित सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा।

अज़ान पर फिजूल की बहस

अज़ान को लेकर हमारे टीवी चैनलों और अखबारों में फिजूल की बयानबाजी हो रही है। यदि सिने-गायक सोनू निगम ने कह दिया कि सुबह-सुबह मस्जिदों से आनेवाली तेज आवाजें उन्हें तंग कर देती हैं और यह जबरिया धार्मिकता ठीक नहीं तो इसमें उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें इस्लाम का दुश्मन करार दे दिया जाए और उन्हें गंजा करनेवाले को दस लाख रु. का इनाम देने की घोषणा कर दी जाए। क्या लाउडिस्पीकर पर जोर-जोर से चिल्लाना इस्लाम है? इस्लाम का जन्म हुआ तब कौनसे लाउडस्पीकर चल रहे थे? सच्ची प्रार्थना तो वही है, जो मन ही मन की जाती है। ईश्वर या अल्लाह बहरा नहीं है कि उसे कानफोड़ू आवाज़ में सुनाया जाए। शायद इसीलिए कबीर ने कहा है:

कांकर-पाथर जोड़ि के मस्जिद लई चुनाय।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाय।।

माना कि अज़ान अल्लाह के लिए नहीं, उसके बंदों के लिए होती है याने ज़ोर-ज़ोर से आवाज इसीलिए लगाई जाती है कि सोते हुए बंदे उठकर मस्जिद में चले जाएं लेकिन यहां प्रश्न यह है कि उन्हें रोज़ चिल्ला चिल्ला कर उठाने का अर्थ क्या लगाया जाए? क्या इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनके साथ जबर्दस्ती कर रहे हैं? वे आना नहीं चाहते लेकिन आप उन्हें सोने नहीं दे रहे। आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। खुद पैगंबर मुहम्मद जोर-जबर्दस्ती के खिलाफ थे। उन्होंने एक हदीस में कहा है कि नए-नए मुसलमानों के लिए अजान जरुरी है ताकि वे इस्लामी तौर-तरीकों में दीक्षित हो जाएं लेकिन एक बार वे सीख लेंगे, उसके बाद अज़ान जरुरी नहीं होगी। वे अपने आप आएंगे। अल्लाह दिल की आवाज़ सुनता है। हकीम सनाई ने लिखा है कि ऊंचा मुसलमान वही है, जो अज़ान के पहले ही मस्जिद पर पहुंच जाता है। अज़ान अगर किसी की नींद तोड़े और उसे तंग करे तो वह अज़ान ही क्या है? जो बात अज़ान पर लागू होती है, वही मंदिरों के भजन-कीर्तनों पर लागू होती है। आजकल भजन-कीर्तन और नाच-गाने इतने कानफोड़ू हो गए हैं कि सरकार को अब कठोर कानून बना देना चाहिए कि शादी-ब्याह, धार्मिक कर्मकांडों तथा उत्सव-त्यौहारों में शोर-शराबा एक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही बात सोनू निगम ने कही थी। उसने सिर्फ अज़ान पर आपत्ति नहीं की थी। अजान और भजन इतने मीठे होने चाहिए कि काफिर और नास्तिक भी उन्हें सुनने के लिए खिंचा चला आए, जैसे कि लगभग 50 साल पहले अफगानिस्तान के हेरात में मैंने मिस्री कुरान सुनी थी और मेरे बुजुर्ग मित्र कुमार गंधर्वजी से में तुलसी, सूर, मीरा और कबीर के भजन घंटों बैठकर सुना करता था।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

जीएसटी को संसद की मंजूरी

संसद ने देश में ऐतिहासिक कर सुधार व्यवस्था जीएसटी' को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी। साथ ही सरकार ने आश्वस्त किया कि नयी कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा तथा कृषि पर कर नहीं लगाया जाएगा। राज्यसभा ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (सी जीएसटी विधेयक), एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आई जीएसटी विधेयक), संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूटी जीएसटी विधेयक) और माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक 2017 को सम्मिलित चर्चा के बाद लोकसभा को ध्वनिमत से लौटा दिया। इन विधेयकों पर लाये गये विपक्ष के संशोधनों को उच्च सदन ने खारिज कर दिया।

धन विधेयक होने के कारण इन चारों विधेयकों पर राज्यसभा में केवल चर्चा करने का अधिकार था। लोकसभा 29 मार्च को इन विधेयकों को मंजूरी दे चुकी है। वस्तु एवं सेवा कर संबंधी विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की इन आशंकाओं को निर्मूल बताया कि इन विधेयकों के जरिये कराधान के मामले में संसद के अधिकारों के साथ समझौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि इसी संसद ने संविधान में संशोधन कर जीएसटी परिषद को करों की दर की सिफारिश करने का अधिकार दिया है।

जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद पहली संघीय निर्णय करने वाली संस्था है। संविधान संशोधन के आधार पर जीएसटी परिषद को मॉडल कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जहां तक कानून बनाने की बात है तो यह संघीय ढांचे के आधार पर होगा, वहीं संसद और राज्य विधानसभाओं की सर्वोच्चता बनी रहेगी। हालांकि इन सिफारिशों पर ध्यान रखना होगा क्योंकि अलग-अलग राज्य अगर अलग दर तय करेंगे तो अराजक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। यह इसकी सौहार्द्रपूर्ण व्याख्या है और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि यह देश का एकमात्र ऐसा कर होगा जिसे राज्य एवं केन्द्र एक साथ एकत्र करेंगे।

एक समान कर बनाने की बजाए कई कर दर होने के बारे में आपत्तियों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कई खाद्य उत्पाद हैं जिनपर अभी शून्य कर लगता है और जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद भी कोई कर नहीं लगेगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर एक समान दर से कर नहीं लगाया जा सकता। जैसे तंबाकू, शराब आदि की दरें ऊंची होती हैं जबकि कपड़ों पर सामान्य दर होती है। जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद में चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि आरंभ में कई कर लगाना ज्यादा सरल होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विचार विमर्श के बाद जीएसटी व्यवस्था में 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें तय की हैं। लक्जरी कारों, बोतल बंद वातित पेयों, तंबाकू उत्पाद जैसी अहितकर वस्तुओं एवं कोयला जैसी पर्यावरण से जुड़ी सामग्री पर इसके ऊपर अतिरिक्त उपकर भी लगाने की बात कही है।

उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत से अधिक लगने वाला उपकर (सेस) मुआवजा कोष में जायेगा और जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है, उन्हें इसमें से राशि दी जायेगी। ऐसा भी सुझाव आया कि इसे कर के रूप में लगाया जाए। लेकिन कर के रूप में लगाने से उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता। बहरहाल, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया जायेगा।

जेटली ने कहा कि मुआवजा उन राज्यों को दिया जायेगा जिन्हें जीएसटी प्रणाली लागू होने से नुकसान हो रहा हो। यह आरंभ के पांच वर्षों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के दौरान इसलिए जीएसटी पर आमसहमति नहीं बन सकी क्योंकि नुकसान वाले राज्यों को मुआवजे के लिए कोई पेशकश नहीं की गई थी। जीएसटी में मुआवजे का प्रावधान डील करने में सहायक' हुआ और राज्य साथ आए।

जीएसटी में रीयल इस्टेट क्षेत्र को शामिल नहीं किये जाने पर कई सदस्यों की आपत्ति पर स्पष्टीकरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्यों को काफी राजस्व मिलता है। इसमें रजिस्ट्री तथा अन्य शुल्कों से राज्यों की आय होती है इसलिए राज्यों की राय के आधार पर इसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी परिषद में कोई भी फैसला लेने में केंद्र का वोट केवल एक तिहाई है जबकि दो तिहाई वोट राज्यों को है। इसलिए कोई भी फैसला करते समय केंद्र अपनी राय थोपने के पक्ष में नहीं है।

वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मंजूरी प्राप्त पहला संघीय अनुबंध करार देते हुए जेटली ने कहा कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर का भार नहीं डालते हुए जीएसटी के माध्यम से देश में एक राष्ट्र, एक कर' की प्रणाली लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद कर ढांचे को सर्वसम्मति से तय कर रही है और इस बारे में अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं। यह विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझी संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और यह ऐसी पहली पहल है। जीएसटी के लागू होने पर केन्द्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवाकर और राज्यों में लगने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) सहित कई अन्य कर इसमें समाहित हो जायेंगे।

4 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

आयकर विभाग अब उन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की योजना बना रहा है जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है। अब तक ऐसी 4 लाख कंपनियों को आयकर विभाग नोटिस भेज चुका है जिन्होंने वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 का आयकर रिटर्न नहीं भरा है।

PPF की दर में कटौती के बाद भी निवेश के 6 अवसर मौजूद, जानें यहां करीब एक महीने से आयकर विभाग ऐसी कंपनियों को नोटिस भेज रहा है। इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। हालांकि आयकर विभाग अभी भी इन कंपनियों को एक अंतिम अवसर दे रहा है।

आयकर विभाग इन कंपनियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे रहा है। अगर ये कंपनियां इस दौरान भी रिटर्न दाखिल नहीं करती हैं तो इंकम टैक्स विभाग इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी में है।

कंपनियों से संबंधित जानकारी भी होगी सार्वजनिक

इसी के साथ कंपनी मामलों का मंत्रालय ऐसा न करने वाली कंपनियों से संबंधित जानकारी भी सार्वजनिक कर देगा। इसके अलावा मंत्रालय ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर्स के नाम और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियां भी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों को दे देगा।

स्मार्टफोन बाजार: भारत के 'संरक्षणवाद' पर कार्रवाई कर सकता है चीन

हालांकि कंपनी अधिनियम अभी भी कंपनियों को 'निष्क्रिय' टैग का विकल्प चुनने का अवसर मुहैया करवाता है लेकिन बहुत कम कंपनियां इस विकल्प का चुनाव करती हैं। मार्च 2015 में वित्त वर्ष समाप्ति पर 14.6 लाख कंपनियों में से 10.2 लाख कंपनियों को एक्टिव घोषित किया गया था जबकि कुल 214 कंपनियां निष्क्रिय घोषित की गई थीं। सूत्रों के मुताबिक नाम रद्द करने की धमकी मात्र से ही कई कंपनियों ने आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दिया है।

11 लाख भारतीय शैल कंपनियां भी विभाग के राडार पर

कंपनी मामलों के मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने कहा,``हम नहीं जानते कि ऐसी कंपनियां सच में कारोबार कर रही हैं या फिर बस पेपर पर चल रही हैं। पहले हमें उनकी स्थिति की जांच करनी होगी। आयकर रिटर्न दाखिल न करने वाली करीब 11 लाख भारतीय शैल कंपनियां भी विभाग के राडार पर हैं।

दो लाख से ज्यादा कंपनियों का पंजीकरण तुरंत रद्द करने की तैयारी

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की मुहिम ने रफ्तार पकड़ रखी है।

सरकार दो लाख से ज्यादा कंपनियों का पंजीकरण रद करने की तैयारी में है। इन कंपनियों में लंबे समय से कारोबार नहीं हो रहा हैं। काले धन पर अंकुश लगाने की चौतरफा कोशिशों के बीच इस दिशा में विचार हो रहा है। इस तरह की कंपनियों का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग में किए जाने की आशंका रहती है।

विभिन्न राज्यों में फैली दो लाख से ज्यादा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इन कंपनियों से पूछा गया है कि क्यों लंबे समय से उनमें कोई ऑपरेशन या व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की मुहिम ने रफ्तार पकड़ रखी है।

मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने कंपनी एक्ट, 2013 के तहत दो लाख से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। कंपनियों को ये नोटिस एक्ट की धारा 248 के तहत जारी किए गए हैं। इसका क्रियान्वयन मंत्रालय करता है। यह धारा कुछ खास कारणों के आधार पर कंपनियों का पंजीकरण रद करने से जुड़ी है।

नोटिस के साथ संबंधित कंपनियों को अपनी स्थिति का विवरण देने को कहा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो उनके नाम मंत्रालय हटा देगा। डाटा से पता चलता है कि आरओसी मुंबई ने 71,000 से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। जबकि आरओसी दिल्ली ने 53,000 से ज्यादा फर्मों को नोटिस भेजे हैं।

नियमों के मुताबिक, आरओसी एक कंपनी से पूछ सकता है कि क्या उसने पंजीकृत होने के एक वर्ष के भीतर व्यवसाय शुरू किया। ऐसी कंपनियों को भी नोटिस जारी किया जाता है जिन्होंने निरंतर दो वित्तीय वर्षों तक कारोबार नहीं किया। न ही निष्क्रिय दर्जे के लिए आवेदन किया। कंपनियों को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है।

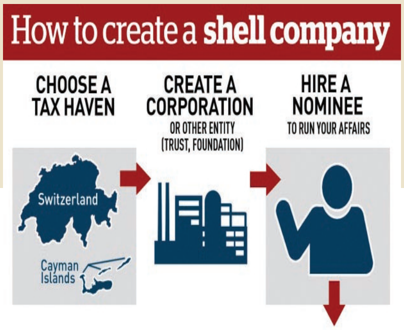

अगर प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है तो मंत्रालय के पास कंपनियों के रजिस्टर से ऐसे संस्थान का नाम हटाने का अधिकार है। इस महीने के शुरू में मंत्रालय ने कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियमों में बदलाव किया था। देश में 15 लाख से ज्यादा पंजीकृत कंपनियां हैं

जेटली ने विधेयकों को स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय जीएसटी संबंधी विधेयक के माध्यम से उत्पाद, सेवा कर और अतिरिक्त सीमा शुल्क समाप्त हो जाने की स्थिति में केंद्र को कर लगाने का अधिकार होगा। समन्वित जीएसटी या आईजीएसटी के जरिये वस्तु और सेवाओं की राज्यों में आवाजाही पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार होगा।

कर छूट के संबंध में मुनाफे कमाने से रोकने के उपबंध के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर 4.5 प्रतिशत कर छूट दी जाती है तब इसका अर्थ यह नहीं कि उसे निजी मुनाफा माना जाए बल्कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को भी दिया जाए। इस उपबंध का आशय यही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि रियल इस्टेट की तरह ही स्थिति शराब और पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में भी थी। राज्यों के साथ चर्चा के बाद पेट्रोलियम पदार्थों को इसके दायरे में लाया गया है लेकिन इसे अभी शून्य दर के तहत रखा गया है। इस पर जीएसटी परिषद विचार करेगी। शराब अभी भी इसके दायरे से बाहर है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पहले एक व्यक्ति को व्यवसाय के लिए कई मूल्यांकन एजेंसियों के पास जाना पड़ता था। आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य वैट, मनारंजन कर, प्रवेश शुल्क, लक्जरी टैक्स एवं कई अन्य कर से गुजरना पड़ता था। वित्त मंत्री कहा कि वस्तुओं और सेवरआ का देर्श म सुगम प्रवाह नहीं था। ऐसे में जीएसटी प्रणाली को आगे बढ़ाया गया। एक ऐसा कर जहां एक मूल्यांकन अधिकारी हो। अधिकतर स्व मूल्यांकन हो और ऑडिट मामलों को छोड़कर केवल सीमित मूल्यांकन हो। जेटली ने कहा कि कर के ऊपर कर लगता है जिससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए सारे देश को एक बाजार बनाने का विचार आया। यह बात आई कि सरल व्यवस्था देश के अंदर लाई जाए।

कृषि को जीएसटी के दायरे में लाने को निर्मूल बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि एवं कृषक को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 23 के तहत कृषक एवं कृषि को छूट मिली हुई है। इसलिए इस छूट की व्याख्या के लिए परिभाषा में इसे रखा गया है। इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जेटली ने कहा कि कृषि उत्पाद जब शून्य दर वाले हैं तब इस बारे में कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

इस बारे में कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि 29 राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र ने इस पर विचार किया जिसमें कांग्रेस शासित प्रदेश के आठ वित्त मंत्री शामिल थे। तब क्या इन सभी ने मिलकर एक खास वर्ग के खिलाफ साजिश की?'' जीएसटी लागू होने के बाद वस्तु एवं जिंस की कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं को खारिज करते

विश्व बैंक का कहना है कि 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर और बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो जाएगी।

हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कर की दर वर्तमान स्तर पर रखी जायेगी ताकि इसका मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव नहीं पड़े। जेटली ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा जीएसटी के बारे में अपना एक विधान लाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद की सभी बैठकों ने भाग लिया है।

लागू हुआ तो 18 फीसदी देना होगा सर्विस टैक्स, जेब ढीली करने के लिए रहें तैयार

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि सर्विस टैक्स की दर 18 फीसदी तक बढ़ सकती है...

- जीएसटी लागू होने के बाद सेवा क्षेत्र के करों में बढ़ोतरी की संभावना
- वर्तमान में लिया जा रहा 15 फीसदी सर्विस टैक्स
- वर्तमान में 60 सेवाओं को सेवा कर से छूट मिली है

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने एक साक्षात्कार में कहा, 'हां, सेवा क्षेत्र के लिए करों की मानक दर 18 फीसदी तक बढ़ सकती है.' हालांकि वर्तमान में जिन क्षेत्रों को इससे छूट मिली है वह जारी रह सकती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कृषि क्षेत्र शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'वर्तमान में जिन क्षेत्रों को छूट मिली है, हम उन्हें जारी रखने की कोशिश करेंगे. हमने परिषद के समक्ष इसकी सिफारिश की है जो इस पर फैसला करेगी. संभावना है कि वे इसे स्वीकार करेंगे.'

वर्तमान में सेवा क्षेत्र पर 14 फीसदी कर के साथ दो अलग-अलग सेस, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस, लगाया जाता है जिनकी दरें आधा-आधा फीसदी हैं. इस तरह सेवा क्षेत्र को 15 फीसदी कर चुकाना होता है. अधिया ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हालांकि जिनकी आय 20 लाख रुपये सालाना से कम है, वे जीएसटी के तहत नहीं आएंगे और उन्हें कोई सर्विस टैक्स नहीं देना होगा. जीएसटी कानून के अंतर्गत किसानों को, जो खुद व परिवारवालों के साथ खेती करते हैं और उनका कारोबार 20 लाख रुपये अधिक है, तो भी उन्हें जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा. वर्तमान में रेशम उत्पादन, फूलों की खेती, दुग्ध उत्पादन, बागवानी और मत्स्य पालन में बड़ी संख्या में बाहरी श्रमिकों की सेवाएं ली जाती है। फिलहाल उन्हें सेवा कर से छूट मिली है। क्या जीएसटी में भी उन्हें यह छूट दी जाए या नहीं, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'हमने अभी तक छूट की सूची पर फैसला नहीं किया है। इस पर परिषद अलग से विचार करेगी। मैं नहीं समझता कि फिलहाल कृषि से जुड़े किसी क्षेत्र पर कर लगाया जाएगा।'

उन्होंने यह भी कहा कि जिन सेवाओं पर फिलहाल 15 फीसदी से कम सेवा कर लगाया जा रहा है, उसे जारी रखने की कोशिश की जाएगी। राजस्व सचिव ने यह भी कहा कि चूंकि पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी के अंतर्गत शून्य शुल्क में रखा गया है, ऐसे में परिवहन पर 5 फीसदी कर लगाया जा सकता है। जीएसटी परिषद ने करों के चार स्लैब तय किए हैं, 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी। इसके अलावा एक शून्य फीसदी का स्लैब भी है। वर्तमान में 60 सेवाओं को सेवा कर से छूट मिली है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और धार्मिक यात्रा शामिल है।

नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को मामूली झटका लगा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और चालू वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। विश्व बैंक की दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक का कहना है कि 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर और बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो जाएगी। ■

जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा में (नैक) विजिट के दौरान कुलपति प्रो. दुर्ग सिंह चौहान को नैक रिपोर्ट प्रदान करते नैक के अधिकारीगण साथ हैं मुख्य परीक्षा नियंत्रक प्रो. पीएन माहेश्वरी, सेक्रेटरी सोसायटी एवं कोषाध्यक्ष श्री नीरज अग्रवाल, प्रतिकुलपति प्रो. ए.एन अग्रवाल, निदेशक प्रो. अनूप कुमार गुप्ता, कुलसचिव अशोक कुमार सिंह, आईक्यूएसी निदेशक प्रो. चारूल भटनागर व अन्य

इस वर्ष 2000 छात्रों को प्लेस कराना लक्ष्य : नीरज

जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा के लगातार बढ़ते प्लेसमेंट ग्राफ पर नजर डालते हुए सेक्रेटरी सोसायटी एवं कोषाध्यक्ष श्री नीरज अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों की लगातार दस्तक ने छात्र-छात्राओं के सपनों को जीएलए से जोड़ दिया है। यही कारण है कि शानदार पैकेज पर नियुक्ति पाने वाले छात्रों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक 165 कंपनियों में 1430 से अधिक छात्रों का चयन हो चुका है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में जीएलए विश्वविद्यालय ऐसी बड़ी कम्पनियों के साथ एक अच्छा सम्बन्ध बनाये हुये हैं, जो कि प्रतिवर्ष यहां के बेस्ट टैलेन्ट को बेहतरीन अवसर देती है। उन्होंने कहा कि जीएलए विश्वविद्यालय ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्च स्तर की गुणवत्ता को देश के समक्ष सिद्ध कर दिया है।

देश की प्रमुख कंपनी एचपी, पेप्सी प्रा.लि., अमेजन, यूफ्लेक्स, नेस्ले, वोल्टास, वॉल्वो आइशर, पिआजिओ सहित 165 राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों में जीएलए के 1430 से अधिक छात्र-छात्राओं का प्लेसमेंट हो चुका है और कामयाबी का यह सिलसिला लगातार जारी है। एक से बढ़कर एक कंपनियां लगातार दस्तक दे रही हैं। विश्वविद्यालय की प्रगति को स्पष्ट करते हुए कहा कि 19 वर्ष के कठिन प्रयासो के बाद जीएलए विश्वविद्यालय ने आज प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र में देश व विदेश में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है।

विभिन्न कंपनियों में चयनित होने वाले बीटेक कम्प्यूटर साइंस के 239, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 33, इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्यूनिकेशन के 86, मेकेनिकल के 169, सिविल इंजी. के 45, पॉलीटेक्निक के 370, एमसीए के 56, एमबीए के 214, बीफार्मा के 6, बीबीए के 94, बीबीए फैमिली बिजनेस 11, बीसीए 41, बीएससी 13, बी.कॉम 43 एवं एमएससी के 10 छात्र हैं। इन्होंने जानीं-मानीं कंपनियों में रोजगार हासिल कर जीएलए का नाम रोशन किया है।

लावा इंटरनेशनल कंपनी में चयनित बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्यूनिकेशन के छात्र सुकित अग्रवाल ने कहा कि यह मेरी मेहनत के साथ-साथ जीएलए के शिक्षकों का द्वारा दी गई बेहतर शिक्षा पद्धति की भी पहचान है। जीएलए की इंडस्ट्री ऑरिएंटेड के कारण ही मुझे यह मुकाम हासिल हुआ है।

जीएलए ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, नैक ने दिया 'ए' ग्रेड

पहली ही बार में `ए' ग्रेड मिलने पर विश्वविद्यालय में खुशी की लहर

मथुरा। जीएलए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के उन पहलुओं को दर्शाती है जो विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के साथ-साथ उनका उज्ज्वल भविष्य भी सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय मूल्याकंन एव प्रत्यायन परिषद (नैक) की टीम ने 20 से 22 फरवरी तक विश्वविद्यालय में विजिट कर यहां की खूबियों और कमियों को परखा, तत्पश्चात् रिपोर्ट जारी करते हुए जीएलए को ``ए`` ग्रेड प्रदान किया।

राष्ट्रीय मूल्याकंन एवं प्रत्यायन परिषद की टीम ने पाठ्यक्रम के पहलू, शिक्षण लर्निंग और मूल्याकंन, अनुसंधान परामर्श और विस्तार, बुनियादी ढांचे और सीखने के संसाधन, छात्र समर्थन और प्रगति, प्रशासनिक लीडरशिप और प्रबंधन, नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास सहित सात पहलुओं पर निरीक्षण किया गया। साथ ही टीम ने विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों से विष्वविद्यालय की उच्च शिक्षा और प्लेसमेंट के बारे में गहनता से पूछताछ की। इन सभी के आधार पर ``ए`` ग्रेड में शामिल किया।

विश्वविद्यालय को मिली उपलब्धि पर कुलपति प्रो. दुर्ग सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि सातों पहलुओं पर निरीक्षण कर (नैक) टीम ने विश्वविद्यालय को ``ए`` ग्रेड से नवाजा है। इस ग्रेड के मिलने से छात्रों को नामी कंपनियों में और बेहतर प्लेसमेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि कई कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम के दौरान बेहतर ग्रेड प्राप्त शिक्षण संस्थान को तरजीह देती हैं। इसके अलावा छात्रों को यदि विदेशों में आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन करना हो तो विदेशों में स्थित संस्थाएं सबसे पहले जिस संस्थान से छात्र या छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है, उक्त संस्थान के ग्रेड का आंकलन करते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक एक्सचेंज प्रोग्राम आदि को भी बढ़ावा मिलेगा।

कुलाधिपति ने दी शुभकानाएं

जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा के कुलाधिपति श्री नारायण दास अग्रवाल ने विश्वविद्यालय को `ए' ग्रेड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कुलपति प्रो. दुर्ग सिंह चौहान, प्रतिकुलपति प्रो. आनंद मोहन अग्रवाल, निदेशक प्रो. अनूप कुमार गुप्ता, प्रो. प्रदीप मिश्रा, आईक्यूएसी निदेशक प्रो. चारूल भटनागर एवं समस्त विभागाध्यक्ष व शिक्षकों सहित समस्त जीएलए परिवार को धन्यवाद ज्ञापित किया और इसी प्रकार सफलता के लिए प्रोत्साहित किया।

क्या है राष्ट्रीय मूल्याकंन एव प्रत्यायन परिषद

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शाखा है जो विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की गुणवत्ता का विभिन्न आधारों पर मूल्यांकन करता है। संसाधन एवं परफार्मेंस के आधार पर नैक विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को ग्रेड देता है। इसका फायदा कॉलेजों को यूजीसी द्वारा अनुदान प्राप्त करने में होता है। नैक मूल्यांकन के लिए जिन कॉलेजों ने अपनी स्थापना के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं या जिनके यहां डिग्री पाठ्यक्रम के दो बैच निकल चुके हैं वह आवेदन कर सकते हैं।

हम झारखण्ड की संस्कृति को देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं - अमर दावरी

झारखण्ड अब देश की मुख्य धारा में आने को बेचैन है और यहाँ की जनता के ऊँचा उड़ने के सपनों को पंख लगाने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कमरतोड़ मेहनत कर रही है। राज्य के **राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, पर्यटन,कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मंत्री प्रदेश** के प्रभावशाली मंत्रियों में हैं। स्वाभाव से धीर गंभीर और विनम्र **अमर दावरी** के पास कई मंत्रालयों का कार्यभार है और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनकी क्षमताओं को ठीक से पहचाना भी और खासी जिम्मेदारियां भी दी हुई हैं। बोकारो में उनके निवास पर हुई भेंट में उन्होंने अपने विभिन्न मंत्रालयों के कार्यो और किये जा रहे अभिनव प्रयोगों और उनके परिणामो पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत है हमारे संपादक **अनुज अग्रवाल** से हुई उनकी बातचीत के प्रमुख अंश :

औधोगिकीकरण हो, पर्यटन हो, खेलकूद हो या निवेश झारखण्ड अभी देश के नक्शे पर प्रमुखता से नहीं आ पा रहा। क्यों?

नहीँ ऐसा नहीँ है। हाल ही में हुई 'इन्वेस्टर समिट' को अपार सफलता मिली है और निवेश के बड़े प्रस्ताव हेतु बड़ी मात्रा में समझौते हुए हैं। मेरा मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर निवेशकों को जमीन उपलब्ध करा रहा है। झारखंड खनिज क्षेत्र होने के कारण प्रचुर संभावनाओं वाला क्षेत्र है। यहाँ उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल है।

झारखंड सरकार इस दिशा में क्या क्या कदम उठा रही है?

हमारे मुख्यमंत्री रघुवरदास जी की प्राथमिकता सुशासन के साथ संतुलित विकास है। उनका जोर आधारभूत ढांचा विकसित करने पर है। प्रदेश में सड़कों , पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। हर विभाग की दूरगामी नीतियां बना उन पर काम शुरू हो चूका है। बिजली, पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। ताकि प्रदेश में बड़ा निवेश आ सके और यहां के खनिज संसाधनों का भरपूर उपयोग हो पाए। इससे बड़ी मात्रा में रोजगार भी पैदा होने जा रहे हैं।

झारखंड में पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएं हैं, किंतू पर्यटन के नक्शे से यह प्रदेश गायब सा ही है। इस दिशा में आप का मंत्रालय क्या कर रहा है?

आप की बात किसी हद तक सही है, किंतु अब इस दिशा में बड़ी तीव्रता से काम हो रहा है। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि पर्यटन स्थलों की इस प्रदेश में निरंतरता है। इसे उभारने के लिए हम हर जिले के पर्यटन स्थलों का सर्वे करा रहे हैं और वहां सुविधाएं जुटा रहे हैं, ताकि लोग वहॉ आएं। हिंदू और जैनियों के प्रमुख तीर्थ हमारे प्रदेश में हैं, जहाँ पुरे देश ही नहीँ दुनिया से लोग आते हैं। रांची के चारों ओर प्राकृतिक झरनों का जाल है। जगह जगह झीले हैं। सोरदा, तिलगुर, इत्तखोरी जहां बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, पाकुड़, रजरप्पा, आदिवासी संस्कृति के अनेक केंद्रों आदि पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। यहां के ऐतिहासिक भवनों का भी जीर्णोद्धार चल रहा है।

और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

हमने पर्यटन को लेकर अपने बजट को काफी बढ़ाया है। बड़ी मात्रा में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है।अभी पतराचू महोत्सव में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 65 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया था।

मैं जहाँ भी जाता हूं, लोग नक्सलियों का नाम लेकर डराते हैं। इस समस्या का क्या उपाय है आपके पास?

यह मात्र कुछ अराजक लोगों द्वारा फैलायी गयी अफवाह और नकारात्मक प्रचार मात्र है। आप बतायें कभी आपने सुना कि नक्सलियों ने किसी पर्यटक पर आक्रमण किया? अब नक्सली समस्या पर भी खासा नियंत्रण होता जा रहा है।

कुछ और विशेष उपाय जो आप लोग कर रहे हों?

हम झारखण्ड की संस्कृति को देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। 77 बर्षो में पहली बार सूरजकुंड मेले में हम लोगॉ ने भाग लिया। प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के नारे को चरितार्थ करने की दिशा में गोवा सहित अनेक राज्यों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के समझौते किये है। नये नये कलाकारों की भर्ती की जा रही है और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। सारी

प्रक्रिया पारदर्शी रहे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। हमारे लोक कलाकार मुकेश नायक को हाल ही में पदम् श्री पुरूस्कार मिला है जिससे हमारा उत्साह बढ़ा है।

खेलों की खासी प्रतिभाएं हैं इस प्रदेश में किंतु आम मान्यता है कि टाटा समूह ही उन्हें संरक्षण देता है और राज्य सरकार ढीली है?

आपका यह आरोप सरासर गलत है। टाटा समूह दो चार खिलाड़ियों का ही संरक्षण करता होगा मगर हमारी सरकार इस दिशा में समग्र नीति बना कर काम कर रही है। हम मात्र क्रिकेट पर ध्यान नहीं दे रहे बल्कि फुटबाल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स आदि सहित 8-10 क्षेत्रो में नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने में लगे हुए हैं। हमारी रणनीति सन 2024 के ओलंपिक को केंद्र में रखकर बनायी जा रही है।

क्या खास बिंदु हैं इस रणनीति के?

हमने झारखण्ड के पहले खेल विश्वविद्यालय का गठन किया है जिसमें 10 से ज्यादा खेलों के 1400 बच्चो को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 700 बच्चे झारखंड और शेष 700 पूरे भारत से होंगे। हमने प्रदेश स्तर पर इसके लिए आवेदन मांगे जिसमें 8 से 11 बर्ष की उम्र के 50 हज़ार से अधिक बच्चो ने भाग लिया। इनमें से हमने पहले चरण में 5000 और फिर 200 बच्चे छांटे हैं। अब अंतिम रूप से इनमें से 78 बच्चो के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। हम हर प्रखंड में ग्रामीण स्टेडियम स्थापित करने जा रहे हैं और सभी 4402 पंचायतो में खेल क्लब का गठन अंतिम प्रक्रिया में है। पंचायत का 18 से 40 बर्ष के बीच की उम्र का प्रत्येक युवा इसका सदस्य है। यह प्रयास प्रदेश में खेलो के विकास में क्रांति ला देगा।

सच में आपके प्रयास सही दिशा में हैं। देखते हैं निकट भविष्य में क्या रंग लाते हैं। आपके कीमती समय देने का हमारे प्रकाशन और पाठकों की और से हार्दिक धन्यवाद।

आपका भी आभार। आपकी पत्रिका स्तरीय और विश्लेषण काफी गहन है और देश के लिए सार्थक भी। आपको और आपके पाठकों को शुभकामनाएं।

झारखंड लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी

हर राज्य द्वारा संचालित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी करने वाली पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण होती है। वंदना शेजवलकर द्वारा रचित झारखंड एक परिचय नामक पुस्तक ऐसी ही एक पुस्तक है जिसमें राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में राज्य की कला संस्कृति और राजनीतिक विविधता को बहुत ही बखूबी प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक राज्य की सूचनाओं को आज के अनुसार अद्यतन रखा है। इस पुस्तक में तथ्यों का रणनीतिक रूप से योजना बनाकर ही प्रस्तुतिकरण किया गया है। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योजना बनाकर अध्ययन करना ही प्रतियोगी परीक्षाओं की पहली शर्त होती है। अतः प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लिखना बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तमाम तरह की कसौटियों पर यह पुस्तक एकदम खरा उतरती है। राज्य सेवा के लिए आयोजित परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से लिखी गयी इस पुस्तक में तथ्यों, योजनाओं और मानचित्र का भी परीक्षानुसार ही समावेश किया गया है। कई अध्यायों में विभाजित यह पुस्तक हर प्रकार की नवीनतम जानकारियों से परिपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी

हर राज्य द्वारा संचालित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी किस्मत आजमाने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वे किस पुस्तक से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। आखिर वे ऐसा क्या पढ़ें जिससे वे इन परीक्षाओं में सफल हो सकें। सफल होने के लिए जितना आवश्यक है व्यक्ति की व्यक्तिगत मेहनत बल्कि उसके पास विश्लेषण करने के लिए कितने तथ्य हैं, क्या वे आज के अनुसार हैं। तथ्यों का प्रबंधन क्या इस प्रकार है कि उन्हें पूरी सूचना मिल सके। और वे सफल हो सकें। योजना बनाकर अध्ययन करना प्रतियोगी परीक्षाओं की पहली शर्त होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की इन्हीं शर्तों पर वंदना शेजवलकर द्वारा लिखी गयी पुस्तक उत्तर प्रदेश एक परिचय एकदम खरी उतरती है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उत्तर प्रदेश के विषय में तथ्यात्मक विवरणों को प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकता के अनुसार ही प्रस्तुत किया गया है। राज्य सेवा के लिए आयोजित परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से लिखी गयी इस पुस्तक में आंकड़े और मानचित्र का भी परीक्षानुसार ही समावेश किया गया है। 31 अध्यायों में विभाजित यह पुस्तक हर प्रकार की नवीनतम जानकारियों से परिपूर्ण है।

लेखिका अपने पति राज नारायण द्विवेदी के साथ झारखंड के मंत्री अजय दावरी को पुस्तक भेंट करते हुए

सेवा के नाम पर चंदा, धर्मान्तरण धंधा

● आशीष कुमार 'अंशु'

भारत में सबसे बड़ी विदेश से चंदा देने वाली संस्था कम्पेशन इंटरनेशनल ने दस महीने की उठा पटक के बाद तय कर लिया है कि वे भारत में अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगी। संस्था पर अपने पैसों का इस्तेमाल भारत में धर्मान्तरण पर करने की बात साबित हुई है। साथ ही संस्था ने भारतीय एफसीआरए (फॉरन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट) कानून को धत्ता बताकर अपनी मर्जी से कई जगह पैसों का दुरुपयोग किया है। जो भारतीय अधिकारियों की जांच में पकड़ा गया। ऐसा सिर्फ कम्पेशन इंटरनेशनल के साथ नहीं हुआ है। विदेशी दान लेने और खर्च करने में संस्थाओं द्वारा ईमानदारी बरती जा रही है या नहीं, इस विषय को लेकर जब से गृह मंत्रालय सतर्क हुआ है, उसके बाद से भारत में विदेश से पैसा देने वाली संस्थाओं और भारत में दान लेने वाली गैर सरकारी संस्थाओं के लिए मुश्किल की घड़ी शुरू हो गई है।

क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा भारत में दिखाई जाने वाली रूचि और बिना किसी बाधा के भारत में चलने वाली धर्मान्तरण की कबड्डी कई महीनों तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के प्रशासन और भारत के प्रधानमंत्री की सरकार के बीच तनाव की वजह भी रहा। अब ट्रंप प्रशासन के सेक्रेटरी ऑफस्टेट रेक्स टिलरसन ने कहा है कि वह कम्पेशन इंटरनेशनल के भारतीय अध्याय के बंद होने के मामले को गम्भीरता से लेंगे। पिछले साल भी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने कम्पेशन इंटरनेशनल पर की जा रही कार्यवायी पर केन्द्र की सरकार को नर्मी दिखाने का आग्रह किया था। उस वक्त खबर यही आई थी कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने केरी के साथ हुई बैठक में कहा था कि भारत की सरकार चाहती है कि यहां काम करने वाले सभी एनजीओ भारतीय नियम और शर्तो का पालन करें और फिर भारत में काम करें। जॉन केरी चाहते थे कि कम्पेशन इंटरनेशनल से विदेश से भारतीय एनजीओ को सीधा पैसा भेजने का जो अधिकार छीन लिया गया है, उसे फिर से बहाल कर दिया जाए। कम्पेशन इंटरनेशनल के अलावा यूएस की द नेशनल इनडाउनमेन्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड जॉर्ज सोर्स, मर्सी कॉर्पस, ओपन सोसायटी फाउंडेशन जैसी संस्थाएं भी थीं जिस पर गृह मंत्रालय के एफसीआरए डिविजन की नजर थी।

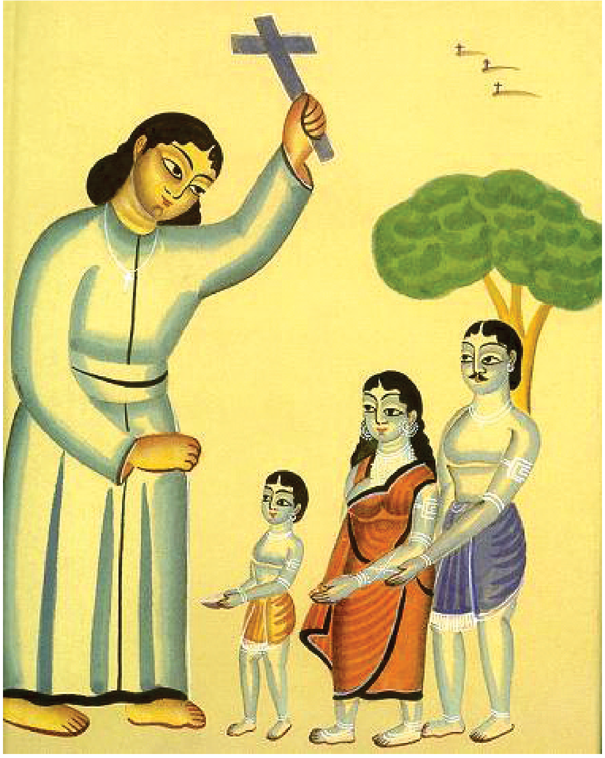

कम्पेशन इंटरनेशनल की तरफ से भारत की गैर सरकारी संस्थाओं के खाते में भेजे जाने वाले पैसों पर लंबे समय से गृह मंत्रालय की नजर थी। यह नजर और टेढ़ी तब हुई जब संस्था की तरफ से चेन्नई स्थित एक संदेहास्पद गैर सरकारी संस्था और कुछ ऐसी संस्थाओं को पैस भेजा गया, जिनके पास एफसीआरए तक नहीं था। इनमें वे संस्थाएं शामिल थीं, जिनपर धर्मान्तरण का आरोप लगता रहा है। उसके बाद कम्पेशन इंटरनेशनल मंत्रालय के अधिकारियों की रडार पर आ गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम्पेशन इंटरनेशनल भारत में 2012-13 की सबसे बड़ी विदेशी दाता संस्था थी। इस साल संस्था ने भारत की गैर सरकारी संस्थाओं को 183.83 करोड़ रुपए बांट दिए। कम्पेशन इंटरनेशनल पिछले तीस सालों से भारत में काम कर रही है। लगभग 292 करोड़ रुपए यह संस्था प्रति वर्ष 344 भारतीय गैर सरकारी संस्थाओं को बांटा करती थी। कम्पेशन इंटरनेशनल की विदाई की ताबूत पर अंतिम दो कील जो दो गैर सरकारी संस्थाएं बनी, उनमें एक चेन्नई स्थित करुणा बाल विकास ट्रस्ट है। दूसरी संस्था है, कंपेशन ईस्ट इंडिया। इन्हीं संस्थाओं को मिले धन में एफसीआरए के नियमों की अनदेखी होते हुए पाकर गृह मंत्रालय सतर्क हुआ था।

इसी साल जनवरी में यूएस से कम्पेशन इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष स्टीफन ओकले खास तौर से विदेश सचिव एस जयशंकर से मिलने के लिए भारत आए। भारत सरकार की तरफ से कम्पेशन इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों को सारे सबूत दिखाए गए। जिससे स्पष्ट था कि भारत में जो गैर सरकारी संस्थाएं कम्पेशन इंटरनेशनल के साथ सम्बद्ध हैं उन्होंने एफसीआरए के नियम और शर्तो का उल्लंघन किया है। यहां तक कि उन पैसों का बड़ा हिस्सा धर्मान्तरण में खर्च हुआ है।

भारतीय अधिकारियों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कम्पेशन इंटरनेशनल को भारत में काम करने के लिए उसी प्रकार भारतीय नियम और शर्तो को मानना पड़ेगा जिस प्रकार वे यूएस में रहकर वहां के नियम और शर्तो को ध्यान में

नरेन्द्र दाभोलकर की एफसीआरए प्रेरित अंधश्रद्धा उन्मूलन की कहानी

अपने जीवन काल में एक वक्तव्य में भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े रहे सामाजिक कार्यकर्ता राजीव दीक्षित ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संबंध में यह किस्सा सुनाया था। नवंबर 2010 में राजीव दीक्षित हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संबंध में दिया गया यह वक्तव्य अब भी समाज के बीच में उपलब्ध है, जो समिति के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था महाराष्ट्र में काम करती है। 25 से अधिक साल पुरानी इस संस्था के संस्थापक नरेन्द्र दाभोलकर थे। जिनकी अज्ञात युवको ने अगस्त 2013 में हत्या कर दी।

बकौल राजीव दीक्षित वे अक्सर नरेन्द्र दाभोलकर से मिलते रहते थे। उनके घर सतारा में रुकते भी थे। एक बार राजीव दीक्षित ने दाभोलकर से बातचीत में जानने की कोशिश की कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम क्या है? जिसके जवाब में दाभोलकर ने उन्हें बताया था कि अपने समाज में जो अंधश्रद्धा फैली है, उसका निर्मूलन ही संस्था का उद्देश्य है। भारत सरकार के 1860 सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत उनकी संस्था पंजीकृत थी।

फिर राजीव ने पूछा- आपके अंधश्रद्धा की सीमा क्या है और किसे आप श्रद्धा मानेंगे और किसे आप अंधश्रद्धा मानेंगे? इसकी कोई सीमा रेखा है क्या?

दाभोलकर - जो भी कार्य वैज्ञानिक है वह श्रद्धा है। जो अवैज्ञानिक है वह अंधश्रद्धा।

राजीव - वैज्ञानिक है या नहीं, इसकी परिभाषा क्या है? किस कार्य को आप वैज्ञानिक मानते हैं और किस कार्य को आप कहते हैं कि अवैज्ञानिक है?

दाभोलकर- आज की आधुनिक विज्ञान की जो परिभाषा है, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि क्या वैज्ञानिक है और क्या अवैज्ञानिक।

राजीव- आधुनिक विज्ञान तो यूरोप से आया है। अमेरिका से आया है। इसका मतलब यह हुआ कि यूरोप और अमेरिका में जो चीज वैज्ञानिक है, वही भारत में वैज्ञानिक है। और यूरोप अमेरिका जो चीज अवैज्ञानिक है, वह भारत में अवैज्ञानिक है। यही मतलब है?

दाभोलकर: हां यही मतलब है।

राजीव- इसका मतलब है कि अमेरिका से आप वैज्ञानिक होने और ना होने का प्रमाणपत्र लेते हैं और उसके आधार पर भारत में काम करते हैं तो इस काम की भारत में जरूरत है या अमेरिका में जरूरत है? और यदि वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक का विचार अमेरिका से लिया है तो पैसा किसका इस्तेमाल करेंगे? भारत में तो फिर कोई आपको पैसा देगा नहीं।

दाभोलकर: हमने एफसीआरए ले रखा है। एफसीआरए एक कानून है 'फॉरन कन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट' जिसके अन्तर्गत हमने एक प्रमाणपत्र ले रखा है। उस प्रमाणपत्र के आधार हमें अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है।

अब समझने की बात यह है कि अमेरिका से पैसे लाकर महाराष्ट्र राज्य में एक संस्था काम कर रही है। जिसका नाम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है। जिसके प्रमुख नरेन्द्र दाभोलकर हुआ करते थे। राजीव दीक्षित के साथ नियमित संवाद के दौरान एक बार उन्होंने यह बात स्वीकार की कि उनके संस्था के लिए विचार और पैसा दोनों अमेरिका से आता है जिसके दम पर वे महाराष्ट्र और भारत में अंध श्रद्धा निर्मूलन का काम चला पाते हैं। अब भारत में काम करने वाले को अमेरिका में रहने वाला पैसे क्यों देगा? क्या यह हमें नहीं सोचना चाहिए? यदि भारतीय अंधश्रद्धा के लिए अमेरिकियों के मन में दया, प्रेम, करूणा है तो यह सबसे पहले उनके मन में अमेरिकियों के प्रति होनी चाहिए। जहां जबर्दस्त अंधश्रद्धा है। यूरोप में उससे भी अधिक अंधश्रद्धा है। वहां चर्च में ईसाई धर्म के फायदे के नाम पर मै पहले लंगड़ा था, फिर मैं जिसस की शरण में गया और आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं जैसी बातें टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने की घटनाएं आम है। ब्रेन ट्यूमर चर्च का पवित्र जल पीकर ठीक होने की बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे यूरोप और अमेरिका में।

जब नरेन्द्र दाभोलकर से राजीव दीक्षित ने एक बार पूछा कि आप तो डॉक्टर हैं। अंधश्रद्धा के खिलाफसंघर्षरत हैं। यह क्या अंधश्रद्धा नहीं है कि चर्च में खड़ा कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने जिसस पर पड़े पानी को पीया तो मेरा कैंसर ठीक हो गया। कोई स्त्री कहती है कि उस पवित्र जल को पीकर मैं गर्भवति हो गई। कोई कहता है कि मैं मरने वाला था, मुझे प्रभू ईशू ने बचा लिया। इसको आप विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने चुप्पी साध ली। एकदम चुप्प। मानो कह रहे हों कि इसाई समाज जो करे सब श्रद्धा। एफसीआरए का पैसा इसाई समाज के अंधश्रद्धा पर सवाल उठाने के लिए थोड़े ही आता है यूरोप से।

एक बार राजीव दीक्षित नरेन्द्र दाभोलकर को उनके सतारा वाले घर से जिद करके सतारा से कराड वाले रास्ते में पड़ने वाली एक मजार पर ले गए। वहां एक फकीर बैठता था। उस फकीर के लिए बताया जाता था कि उसका ताबीज बांधने से मन मांगी मुराद पूरी होती है। दाभोलकर को वहां ले जाकर जब राजीव दीक्षित ने पूछा कि यह श्रद्धा है या अंधश्रद्धा?

जवाब में दाभोलकर ने कहा- यह काम हमारी समिति के करने का नहीं है। यानि किसी मुसलमान की मजार या मस्जिद या मदरसे से इस तरह का काम चले तो यह उनकी समिति के लिए नहीं है। इसाई वाले कुछ करें तो यह उनकी समिति के लिए नहीं है। हिन्दू धर्म वाले कुछ करें तो वह एफसीआरए से मिलने वाले पैसों की गाइड लाइन में अंध श्रद्धा है। फिर उसके खिलाफअपशब्द कहना, उनके खिलाफमोर्चा खोलना, उन पर एफआईआर कराना यह अंधश्रद्धा उन्मूलन का मुख्य धंधा रहा है।

आशीष कुमार 'अंशु'

रखकर काम करते हैं। विदेशी (यूएस की संस्था) होने के नाते किसी प्रकार के रियायत की अपेक्षा वे वर्तमान सरकार से ना रखें। सरकार की नजर में सभी बराबर हैं।

गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट अनुसार सिर्फ वर्ष 2013-14 में 12,000 करोड़ रुपए एफसीआरए के माध्यम से भारत में आया। जिसमें 200 करोड़ रुपए धर्म परिवर्तन के लिए चर्च समर्थित एनजीओ पास गया। 18 विदेशी दान दाताओं ने ऐसी संस्थाओं को मदद किया जो लोभ और लालच देकर धर्म परिवर्तन के कारोबार में संलग्न पाए गए। इस दान देने वाली संस्थाओं में दो अमेरिकी संस्था थी और उसमें साउथ कोरिया और यूरोप की भी संस्थाएं शामिल थीं। जिन धर्म परिवर्तन के काम में लगे संस्थाओं को चंदा मिला। उन्होंने छोटी मोटी घटनाओं को साम्प्रदायिक रंग देने का भी भारत में प्रयास किया। जो बेहद चिन्ताजनक है। ऐसा गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है।

उद्गम ट्रस्ट (अहमदाबाद) के निदेशक डॉ मयूर जोशी बताते हैं कि मकवाना सरनेम गुजरात में दलित परिवार भी लगाते हैं। उनका एक मित्र जिसका सरनेम मकवाना था, चर्च के स्कूल में जाता था। एक दिन पता चला कि क्रिश्चियन हो गया। वह स्कूल पढ़ने जाता था और स्कूल जाते-जाते एक दिन क्रिश्चियन हो जाने की बात हम डॉ जोशी के लिए चौंकाने वाली थी।

डॉ जोशी आगे बताते हैं, गांधीनगर में मेरे घर के पड़ोस में ही एक घर में चर्च चलता है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस चर्च से 100 मीटर पर कैथोलिक चर्च है। कैथोलिक चर्च में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में आने वाले नहीं जाते और जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में आते हैं, वे कैथोलिक चर्च में नहीं जाते। अब जो लोग कहते हैं कि दलितों के साथ भेदभाव की वजह से हिन्दू धर्म छोड़ रहे हैं। यह भेदभाव क्रिश्चियन हो जाने पर कौन सा पीछा छोड़ रहा है। उसके बावजूद यह कड़वा सच है कि गुजरात के अंदर कैथोलिक रिलिफ सर्विसेज (सीआरएस) ने बड़ी संख्या में धर्मान्तरण कराया है। इनके पास भी विदेशों से पैसा आता था।

मध्य प्रदेश में क्रिश्चियन मिशनरी की गतिविधि पर केन्द्रित एक समिति का गठन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नागपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश एम भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में किया। जिसमें एमबी पाठक, घनश्याम सिंह गुप्ता, एसके जॉर्ज, रतनलाल मालवीय और भानु प्रताप सिंह पांच सदस्य थे। समिति ने 700 गांवों के 11,360 लोगों को संपर्क किया। 375 लिखित बयान मिले और 385 लोगों ने लिखित सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया को लिख कर भेज दियां। समिति मध्य प्रदेश के 14 जिलों के अंदर चर्च, अस्पताल, संस्थानों में गई। रिपोर्ट में यह बात आई कि राज्य में बड़े पैमाने पर धर्मान्तरण हो रहा है। यह सामने आते ही पूरी की पूरी रिपोर्ट को केन्द्र की नेहरू सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया।

रिपोर्ट में यह बात आई कि राज्य में बड़े पैमाने पर धर्मान्तरण हो रहा है। यह सामने आते ही पूरी की पूरी रिपोर्ट को केन्द्र की नेहरू सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया।

रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक डॉ दिवाकर मिंज कहते हैं, ''आदिवासियों को चर्च प्रेरित एनजीओ झारखंड में मूर्ख बनाते हैं। आदिवासियों को आरक्षण की वजह से तरक्की मिली है। स्कॉलरशिप की वजह से तरक्की मिली है। चर्च को बताना चाहिए कि यह सुविधाएं एनजीओ देती है या सरकार की तरफ से मिलता है? लाभ भोले भाले आदिवासियों को सरकार की तरफ से मिलता है और उसका सारा श्रेय झारखंड के चर्च प्रेरित एनजीओ ले लेते हैं।''

एफसीआरए में एक फॉर्म एफसी 03 होता है। जिसमें यह बताना होता है कि आपका संबंध किसी धार्मिक संगठन या विचार से है या नहीं? यदि आप किसी धार्मिक गतिविधि का हिस्सा हैं तो उसका नाम फॉर्म में लिखना होता है। राकेश सिन्हा के अनुसार 128 एनजीओ की सूचि उनके पास है जिनका समाज में चेहरा विकास का है। समाज के उत्थान का है। लेकिन वे काम रिलिजन का करते हैं। उनमें एक नाम है वर्ल्ड विजन का। इनकी वेबसाइट पर परिचय है क्रिश्चियन ह्यूमिनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन और एफसीआरए के फॉर्म में लिखते हैं हमारा किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। दूसरा संगठन है कार्टिस इंडिया जिसे 2006 से 2011 के बीच में 318 करोड़ रुपया मिला। इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर लिखा मिला ऑफिसियल ऑर्गन ऑफ कैथोलिक। जबकि एफसीआरए के फॉर्म में यह जानकारी इन्होंने नहीं दी है। नगालैन्ड जेसिट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसायटी। इनके वेबसाइट पर जानकारी है लेकिन फॉर्म में इन्होंने अपने धार्मिक संबंध को स्पष्ट नहीं किया है।

झारखंड में आदिवासियों के बीच लंबे समय से काम करने वाली संस्था विकास भारती के संस्थापक अशोक भगत के अनुसार- ''मिशनरियों का गतिविधि आदिवासी क्षेत्रों में इसी उद्देश्य से बढ़ी हुई नजर आती है क्योंकि वे सेवा से अधिक वहां धर्मान्तरण के उद्देश्य से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।''

सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च की वेबसाइट (https://www.adventist.org) पर जाकर आप सन 1999 से 2015 तक की वार्षिक रिपोर्ट देख सकते हैं। इस आलेख को लिखते समय तक यह सारी रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके 2011 और 2012 के ईयर बुक के डाटा के अनुसार गुजरात में 3650 अनुयायी थे 2011 में और 2012 में बढ़कर 33,000 हो गए। महाराष्ट्र में 20,000 से बढ़कर 92,000 हो गए। आन्ध्र प्रदेश में 1 लाख आठ हजार से बढ़कर 8 लाख 8 हजार 8 सौ 34 अनुयायी हो गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3490 से 22447 हो गए। ओडिशा में 10,000 से बढ़कर 48,000 हो गए। देश में 03 लाख 10 हजार 475 से बढ़कर 14 लाख 92 हजार 189 अनुयायी हो गए। यह भारत में चर्च के एक बेहद छोटे से हिस्से की रिपोर्ट है। इस संस्था को भी विदेशों से पैसा एफसीआरए के माध्यम से ही आता है।

इस देश में ऐसी संस्थाएं बड़ी संख्या में हैं जिनका उनके अपने दस्तावेज में लिखा गया काम मानव तस्करी को रोकना और ग्रामीण विकास है। जबकि वे खुद अपनी वेबसाइट पर दावा करते हैं कि उन्होंने कितनी संख्या में भारत में धर्मान्तरण कराया है। एर्नाकुलम के 50 एनजीओ को पांच साल में 350 करोड़ रुपए विदेश से मिला है। गुंटूर के 15 एनजीओ को 299 करोड़ रुपया पांच साल में मिला। कोट्टयम के 35 एनजीओ को 268 करोड़ रुपए मिला है। ■

लालबत्ती के आतंक से मुक्ति

● ललित गर्ग

देश में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद शान समझी जाने वाली लालबत्ती वाहनों पर लगाने का अधिकार किसी के पास नहीं होगा। इस निर्णय से राजनीति की एक बड़ी विसंगति को न केवल दूर किया जा सकेगा, बल्कि ईमानदारी एवं प्रभावी तरीके से यह निर्णय लागू किया गया तो समाज में व्याप्त लालबत्ती संस्कृति के आतंक से भी जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि न केवल कीमती कारों में बल्कि लालबत्ती लगी गाड़ियों में धौंस जमाते तथाकथित छुटभैये नेता जिस तरह से कहर बनकर जनता को दोयम दर्जा का मानते रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी और इससे राजनीति में अहंकार, कदाचार एवं रौब-दाब की विडम्बनाओं एवं दुर्बलताओं से मुक्ति का रास्ता साफ होगा। इससे साफ-सुथरी एवं मूल्यों पर आधारित राजनीति को बल मिलेगा। नये भारत में इस तरह के अनुशासित, अहंकारमुक्त, स्वयं को सर्वोपरि मानने की मानसिकता से मुक्त जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा अनिवार्य है। अंग्रेजों द्वारा अपनी अलग पहचान बनाये रखने की गरज से ऐसी व्यवस्था लागू की गई थी जिसका आंखें मूंदकर हम स्वतन्त्र भारत में पालन किये जा रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार लालबत्ती संस्कृति पर अंकुश लगाने की जरूरत बताई थी मगर राजनीतिक दल इसे दरकिनार किये जा रहे थे।

लाल बत्ती एवं वीआईपी संस्कृति ने जनतांत्रिक और समतावादी मूल्यों को ताक पर ही रख दिया था। हर व्यवस्था कुछ शीर्ष पदों पर आसीन व्यक्तियों को विशिष्ट अधिकार हासिल होते हैं, इसी के अनुरूप उन्हें विशेष सुविधाएं भी मिली होती हैं, ऐसा होना कोई गलत भी नहीं है। लेकिन गलत तो तब होने लगा जब मंत्रियों और नेताओं का सुरक्षा संबंधी तामझाम बढ़ने लगा और लाल बत्ती लगी गाड़ियों का दायरा भी। बहुत सारे मामलों में सत्ता में होने का फायदा उठा कर नियमों में बदलाव करके गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने की छूट बढ़ाई गई। जाहिर है, यह सत्ता के दुरुपयोग का ही एक उदाहरण था। यह भी हुआ कि बहुत सारे वैसे लोग भी लाल बत्ती लगी गाड़ी लेकर घूमने लगे जो इसके लिए कतई अधिकृत नहीं थे। कई तो फर्जी तरीके से लालबत्ती लगाकर गैरकानूनी काम एवं प्रभाव जमाने लगे। जिस अधिकारी या व्यक्ति को लालबत्ती की सुविधा मिली थी, उनके पारिवारिकजन एवं मित्र आदि इस रौब या वीआईपी होने का दुरुपयोग करने लगे। आम जनता से हटकर एक खास मनोवृत्ति और वीवीआइपी संस्कृति को प्रतिबिंबित करने का जरिया बन गई यह लालबत्ती। अपने रुतबे का प्रदर्शन और सत्ता के गलियारे में पहुंच होने का दिखावा- इस तरह सत्ता का अहं अनेक विडम्बनापूर्ण स्थितियां का कारण बनती रही। अपने को अत्यंत विशिष्ट और आम लोगों से ऊपर मानने का दंभ- एक ऐसा दंश या नासूर बन गया जो तानाशाही का रूप लेने लगा। जनता को अधिक-से-अधिक सुविधा एवं अधिकार देने की मूल बात कहीं पृष्ठभूमि में चली गयी और राजनेता कई बार अपने लिये अधिक सुविधाओं एवं अधिकारों से लैस होते गये। राजनीति की इस बड़ी विसंगति एवं गलतफहमी को दूर करने का रास्ता खुला है जो लोकतंत्र के लिये एक नयी सुबह है। क्योंकि राजनीति एवं राजनेताओं में लोगों के विश्वास को कायम करने के लिये इस तरह के कदम जरूरी है। सत्ता का रौब, स्वार्थ सिद्धि और नफा-नुकसान का गणित हर वीआईपी पर छाया हुआ है। सोच का मापदण्ड मूल्यों से हटकर निजी हितों पर ठहरता रहा है। यही कारण है राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की बात उठना ही बन्द हो गयी। लेकिन अब बदलाव आ रहा है तो संभावनाएं भी उजागर हो रही हैं। लेकिन इस सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ते हुए समाज की कुछ खास तबकों को भी स्वयं को बदलना होगा। राजनेताओं की भांति हमारे देश में पत्रकार, वकील आदि ऐसे वर्ग है जो स्वयं को वीआईपी से कब नहीं समझते। ऐसे लोग भी अपनी कारों पर भले ही लालबत्ती न रखते हो, लेकिन प्रेस एवं एडवोकेट बड़े-बड़े शब्दों में लिखवाते हैं और पुलिस हो या आम जनता दबाने या रोब गांठने की पूरी कोशिश करते हैं। इन लोगों के लिये भी कुछ नियम बनने चाहिए।

यह फैसला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर लिया गया है जिन्होंने पिछले दिनों ही भारत यात्रा पर आयीं बंगलादेश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना वाजेद का दिल्ली हवाई अड्डे पर बिना किसी तामझाम के पहुंच कर स्वागत किया था। आदर्श सदैव ऊपर से आते हैं। लेकिन शीर्ष पर अब तक इनका अभाव छाया हुआ था, वहां मूल्य बन ही नहीं रहे थे, लेकिन अब शीर्ष पर मूल्य बन रहे हैं और उसी का यह सन्देश जनता के बीच गया है कि प्रधानमन्त्री की गाड़ी भी बिना लालबत्ती के दिल्ली की सड़कों पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए निकल सकती है। अत: राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को फिर डर किस बात का हो सकता है? लेकिन असली मुद्दा राजनीति में सेवा, सादगी एवं समर्पण के लिये आने वाले लोगों का नहीं बल्कि ऐसे अति विशिष्ट बने व्यक्तियों का है जो राजनीति में आते ही प्रदर्शन, अहंकार एवं रौब गांठने के लिये है और ऐसे ही लोग जोड़-तोड़ करके लालबत्ती की गाडियां लेते थे और फिर समाज, प्रशासन व पुलिस में अपना अनुचित प्रभाव जमाते थे।

जैसे ही प्रधानमंत्रीजी ने लालबत्ती संस्कृति पर अंकुश की बात कही, अनेक नेताओं ने अपने हाथों से अपनी कारों की लालबत्ती हटाते हुए फोटो खिचवाएं। इस तरह की कार्रवाई से कहा वे आम जनता को वीआईपी मानने की तैयारी में दिख रहे हैं, लालबत्ती हो, या अखबार में फोटो छपना, टीवी पर आना हो या स्वयं को किसी मसीहा की तरह दर्शाना हो- यह मानसिकता बदलना इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है राजनेताओं को सादगी, संयम, सरलता एवं अहं मुक्ति का पाठ पढ़ाना और उसे उनके जीवन में ढालना।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ऐसे अनेक साहसिक निर्णय लिये एवं कठोर कदम उठाये है और अब केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर मोटर वीइकल्स ऐक्ट के नियम 108 (1) और 108 (2) में बदलाव करके लाल बत्ती वाली गाड़ियों को ट्रैफिक नियमों से छूट देने की व्यवस्था ही खत्म कर दी। लेकिन मोदी एवं योगी से आगे की बात सोचनी होगी। ■

एमसीडी चुनाव और अरविन्द केजरीवाल की साख

एमसीडी चुनावों में भी अंततः भगवा ही लहराया। काँग्रेस ने दिल्ली में वापसी की है और आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत से कहीं अधिक यह वैकल्पिक राजनीति लाने वाली आम आदमी पार्टी की हार है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी और अरविन्द केजरीवाल की साख का सवाल थे और नई दिल्ली के विधान सभा चुनावों के बाद भाजपा के लिए एक इम्तहान के रूप में थे। इन चुनावों से ठीक पहले राजौरी गार्डन विधानसभा चुनावों में हालांकि इन परिणामों की झलक मिल चुकी थी,मगर फिर भी आम आदमी पार्टी को निगम में भाजपा के नकारेपन पर पूरा भरोसा था, उसे पूरा यकीन था कि एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भाजपा को वोट नहीं मिलेंगे और उसके लिए मैदान साफ है। मगर आज के ये परिणाम कहीं न कहीं उस अवधारणा को भी तोड़ते हैं। यह सच है कि यदि काम के आधार पर वोट मिलते तो भाजपा आज हार रही होती क्योंकि भाजपा ने विगत दस वर्षों में कोई ख़ास ऐसा कार्य नहीं किया था जिसके कारण भाजपा को निगम में तीसरी बार मौका दिया जाता। परन्तु ये चुनाव परिणाम है अरविन्द केजरीवाल के प्रति गुस्से के, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली का चुनाव जीतते ही हिटलरशाही का परिचय देना आरम्भ किया और जिस तरह से हर नियम और कायदे तोड़ते हुए केवल अपने ही अपने लोगों को मलाईदार पदों पर बैठाया, और अपने नेताओं के हर गलत कार्यों को प्रश्रय देते हुए नैतिक समर्थन किया, उससे जनता में बहुत गुस्सा था। भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर आया कोई दल यदि भ्रष्टाचार में पुराने दलों से भी आगे चला जाए तो उसके प्रति जनता का गुस्सा आना स्वाभाविक है। और यही गुस्सा एमसीडी के चुनावों के नतीजों में परिलक्षित हुआ है। तमाम तरह की जनाकांक्षाओं पर सवार होकर आई पार्टी ने जिस तरह से हर प्रकार की धूर्तता का परिचय दिया, उससे समाज का हर वर्ग आहत हुआ और उसके भरोसे को चोट पहुँची। धीरे धीरे कर आम आदमी पार्टी से उसके नेता निकलते रहे और अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरे दलों में करते रहे। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, एडमिरल रामदास, जस्टिस संतोष हेगड़े, शाजिया इल्मी, मधु भादुड़ी और सबसे ऊपर अन्ना हजारे - अरविंद ने अपने अहंकार और आत्म-मुग्धता में सबको ठोकर मार दी। और आज के नतीजों के बाद अरविन्द केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं, भगवंत मान ने सवाल उठा दिए हैं। अब जबाव अरविन्द केजरीवाल को देना है। अरविन्द केजरीवाल के इस हश्र के कारण और अरविन्द केजरीवाल के व्यवहार ने आने वाले समय में वैकल्पिक राजनीति के अवसरों को धूमिल कर दिया है। हर संभावना को हाल फिलहाल के लिए रोक दिया है। भाजपा का इन चुनावों मं नए चेहरों के संग उतरने का दांव सही साबित हुआ।

रघुनाथ गुप्ता

अरविन्द केजरीवाल का राजनैतिक भविष्य

चार ही वर्ष बीते हैं जिसके पूर्व भारत की जनता अरविंद केजरीवाल को योग्य प्रधानमंत्री के रुप में देखने लगी थी। अन्ना हजारे सहित अनेक लोगों ने उन पर विश्वास किया। अन्ना जी को धोखा देने के बाद भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को ऐतिहासिक समर्थन दिया। एक डेढ वर्ष बीतते बीतते ऐसा लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य पागल खाने की तरफ बढ रहा है और अब एक डेढ वर्ष और बीता है तो पागल खाने की जगह जेलखाने की चर्चाऍं शुरु हो गई हैं।

मैंने राजनीति में दो प्रकार के लोगों को देखा हैं-1-वे जो गलत काम भी ऐसे कानून सम्मत तरीके से करते है कि वे हर प्रकार के आरोपों से मुक्त रहते हैं। 2- वे जो सही काम गैर कानूनी तरीके से करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान मिलता है भले ही वह काम गैर कानूनी ही क्यों न हो। केजरीवाल ने एक तीसरी लाइन पकडी जिसमें उन्होनें गलत कार्य गैर कानूनी तरीके से करना शुरु किया। शुंगलू कमेटी सहित अन्य अनेक कार्य उनकी इस कसौटी से अलग भी रखें तब भी इनका राम जेठ मलानी को गुप्त रुप से चार करोड रुपया देने का प्रयास ऐसे संदेह के लिये पर्याप्त है कि उन्होने गलत कार्य गलत तरीके से किया।

अरविन्द केजरीवाल का काम करने का तरीका साम्यवादियों से मिलता जुलता है। साम्यवादी व्यक्तिगत जीवन में लगभग ईमानदार होते हैं किन्तु राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी सीमा तक गलत कर सकते हैं जिसमें हत्या या बलात्कार भी शामिल हो सकता है। पार्टी के लिये भ्रष्टाचार को तो ये लोग आम तौर पर सही मानते हैं। अरविन्द जी ने जिस तरह राम जेठ मलानी के नाम से इतनी बडी रकम निकालने की कोशिश की उसमें से जेठ मलानी जी को क्या देना था और पार्टी फंड कितना था यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है किन्तु राशि की बढाई गई मात्रा और गुप्तता से संदेह तो होता है । धीरे धीरे अरविन्द जी का राजनैतिक भविष्य साफ होता जा रहा है जिसके अनुसार वे प्रधानमंत्री की दौड से तो पूरी तरह बाहर हो गये हैं और यदि वे मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर सके तो स्पष्ट नहीं कि वे किस खाने की ओर जायेंगे।

बजरंग मुनि

2016 IAS PRELIMS/MAIN'S

Career Plus EDUCATIONAL SOCIETY

PCS 2017 PRE CUM MAINS

SHASHANK TRIPATHI

RANK 5th

Union Public Service Commission

CIVIL SERVICE EXAM 2015-16

TOPPERS IN 2015-16

SHASHANK TRIPATHI 5 | SAURABH 123 | RISHAV KR. JHA 162 | ANJANI KR. JHA 165 | SAGARIKA NATH 199 | NIRAJ KR. JHA 370 | RAJANI JHA 591 | PRAVEEN PRAKASH 846 | ADITYA KR. ANAND 863 | RAHUL RAJ 872

TOPPERS IN 2014-15

ROHAN JHA 95 | MAYANK KUMAR 223 | SHASHANK TRIPATHI 272 | NIDHI GUPTA 278 | SAWAN KUMAR 285 | RAHUL RAJ 375 | MODASSAR SHAFI 420 | MANISH SAURABH 547 | SONAWANE RISHIKESH 572 | EHTESHAM WAQUARIB 576 | SAURABH KUMAR 703

TOPPERS IN 2013-14

RAHUL PANDEY 52 | ROHAN JHA 97 | DEEPAK SHUKLA 127 | PRABHAT KUMAR 204 | CHINMAY ANAND JAIN 285 | MODASSAR SHAFI 418 | SUBHANSHU SHARMA 423 | EHTESHAM WAQUARIB 710 | BALAJI K. 739 | PATWEGAR AVAIS A. 882

SUBJECTS AVAILABLE

G.S. & CSAT by the Panel of Expert

- SANSKRIT 'LITT' by Dr. R. Singh
- PUBLIC ADMIN. by Smar Ranjan
- HISTORY M.K. Mohit & Dr. Priyanka Sindhu
- GEOGRAPHY by Satya Sahani
- POL. SCIENCE by R.N. Dwivedi
- Special Batch for UPPCS Dr. Priyanka Sindhu

SPECIAL FEATURES

• Postal Course • Test Series • हिन्दी / English Medium • Hostel Facility • Weekend Batches
• NEW BATCHES 10th & 25th of Every Month • Advance Batches for Prelims Exam. (G.S. & CSAT)

MAINS **G.S. & ESSAY** by the Panel of Expert under the guidance of Mr. Anuj Agarwal Editor 'Dialogue India'

HEAD OFFICE (NORTH DELHI) | 301/A-37, 38, 39, Ansal Building, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phone : 011-27652829, Fax : 011-27654588, Mob. : 09811069629

ROHINI (OUTER DELHI)
F-3/8, Sec-11, Basement, Near Power House, Via Metro Walk, Rohini, Delhi-85, # 09811651353

ALLAHABAD
- 16/34/4, Mayur Road, Near Traffic Chauraha, Allahabad-211002, (U.P.), # 09415630464
- 265/1A, Ashok Nagar, Patrakar Colony, Allahabad

NOIDA
C-106, Sector - 23, Near GAIL Vihar, Noida, Mob. : 09811424443

RAIPUR
C/o Gurukul, Azad Chowk, Raipur (Chhatisgarh) Ph. : 09425520531

HALDWANI
14/18, Govindpura, Behind Bhatiyapadav Police Station Street Haldwani, Nainital
3/325, Guru Nanak Pura, Near Krishna Hospital Anand Poly Clinic Lane, Haldwani, Nainital
09811069629, 09412216123

REWA
7/206, Murlidhar Colony, Boda Bagh Road (Civil Lines) Rewa, M.P.-480001,
Infront of PDW, Near United India Insurance, Remour Chauraha, Rewa, MP
Mob. : 9415630464

E-MAIL : contact@careerplusgroup.com
VISIT US : www.careerplusgroup.com
Centralised Enquiry No. +91-9811069629

This issue Published on 1st May, 2017 Postal Registration No. G-3/DL (N)/252/2017-19, Postal dt. 1st & 2nd Every Month

R.N.I. No. - DELHIN/2009/30089